लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
14-10-92

[खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. X contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : **Four Rupees**

विषय सूची/CONTENTS

अंक 10, शुक्रवार, 3 मार्च, 1978/12 फाल्गुन, 1899 (शक)

No. 10, Friday, March 3, 1978/Phalguna 12, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 163, 166 और 169 से 172	*Starred Questions Nos. 163, 166 and 169 to 172	1—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 164, 165, 167 168 और 173 से 183	Starred Questions Nos. 164, 165, 167, 168 and 173 to 183 . . .	17—26
अतारांकित प्रश्न संख्या 1487 से 1505, 1507 से 1509, 1511 से 1600 और 1602 से 1686	Unstarred Questions Nos. 1487 to 1505, 1507 to 1509, 1511 to 1600 and 1602 to 1686	26—141
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	142
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha .	143
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति— पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Committee on Subordinate Legislation Fifth Report presented. . .	144
सभा कार्य—	Business of the House .	144
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Verma	144
समिति के लिए निर्वाचन— इलायची बोर्ड	Election to Committee Cardamom Board .	144
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1975-76—	Demands for Excess Grants (General) 1975-76	145
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented.	145
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1977-78	Supplementary Demands for Grants (General) 1977-78 . . .	145
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented . . .	145

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the house by him.

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरः स्थापित	Reserve Bank of India (Amendment) Bill—Introduced	
उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) विधेयक—पुरः स्थापित	High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Bill—Introduced	146
उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश, 1978 के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Ordinance, 1978	146
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel . . .	146
विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Second Report of Committee of Privileges.	146
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—	Motion of Thanks on the President's Address—	
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa . . .	151
श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी	Shri Shambhu Nath Chaturvedi	153
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe . .	154
श्री राम किशन	Shri Ram Kishan . .	155
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—12वां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ	Committee on Private Members' Bills and Resolutions Twelfth Report adopted	155
अर्थव्यवस्था में सुधार और आय की असमानता कम करने आदि के बारे में उपायों संबंधी संकल्प—	Resolution Re. Steps to improve the Economy and to reduce inequalities of income, etc.	156
श्री एच०एम० पटेल	Shri H.M. Patel .	156
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta . .	158
संविधान (42वां संशोधन) का निरसन और आसुका को वापस लेने के बारे में संकल्प	Resolution Re. Repeal of Constitution (Forty-second Amendment) Act and withdrawal of MISA	159
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	159
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री	Shri Y.P. Shastri	161
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	162
श्री युवराज	Shri Yuvraj .	163
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	163
श्री विनायक प्रसाद यादव	Shri Vinayak Prasad Yadav .	164

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 3 मार्च, 1978/12 फाल्गुन, 1899 (शक)

Friday, March 3, 1978/Phalguna 12, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को श्री बशीर अहमद के दुःखद निधन की सूचना देनी है। वे उत्तर प्रदेश के फतहपुर निर्वाचन क्षेत्र की इस सभा में प्रतिनिधित्व करते थे। 52 वर्ष की अल्पायु में उनका 2 मार्च, 1978 को देहांत हो गया।

श्री बशीर अहमद बहुत मिलनसार और प्रसन्न व्यक्तित्व वाले थे। एक सुप्रसिद्ध वकील और शिक्षाविद होने के साथ-साथ वे कई पुस्तकों के लेखक और शैक्षिक तथा सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध थे। एक प्रमुख वक्ता के रूप में वह सभा की कार्यवाही में सक्रिय भाग लिया करते थे। उनकी असामयिक मृत्यु से हमने एक होनहार संसदज्ञ खो दिया है।

हम इस मित्र की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त करते हैं और मुझे दृढ़ विश्वास है कि संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने मे सभा भी मेरे साथ है।

सभासद दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(तत्पश्चात सदस्य कुछ देर मौन खड़े रहे)
(The Members then stood in silence for a shortwhile)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Export of Handloom Cloth from U.P.

*163. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the quantum and varieties of handloom cloth exported from Uttar Pradesh during the past two years;

(b) the value of the cloth exported (year-wise);

(c) whether a part of the profit earned thereby was also given to the handloom cloth manufacturers; and

(d) if so, the percentage of profit given to them, (year-wise) ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Krishan Kumar Goel) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) & (b) State-wise export statistics are not compiled. It is, therefore, not possible to quantify the export of handloom goods from Uttar Pradesh. The main varieties of cotton handloom cloth and made-ups exported from Uttar Pradesh are bed-spreads, pillow-covers, towels, durries etc., and also fabrics in running length. The value of cotton handloom fabrics and made-ups exported by the exporters from U.P. registered with the Handloom Export Promotion Council during the last two years was :

1975-76	Rs.1.38 crores
1976-77	Rs.2.38 crores

Apart from the registered exporters from U.P., parties based in Delhi, Bombay, etc. procure the export varieties from U.P. and export the goods from the respective places. Value of such exports is not available.

(c) & (d) When manufacturers sell goods to merchant exporters, there is generally an element of profit for the former in the transaction. No data are, however, available on the percentage of profits earned by the manufacturers.

Shri Rajendra Kumar Sharma : The Janata Government has promised to start new schemes with a view to encouraging rural industries. The hon. Minister has stated in his reply that because he has no figures so he can not tell the quantity of handloom goods being exported from Uttar Pradesh. Handloom industry is one of the most important industries of U.P. so we should pay special attention towards it. It is clear from hon. Minister's reply that goods worth Rs.1.38 crores and Rs.2.38 crores were exported during 1975-76 and 1976-77 respectively. May I know the total quantity of exports from U.P. and the total profit earned thereby ?

Minister of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : I have placed before you the available figures. I can not tell the exact figures relating to the goods exported from each State because businessmen from outside the State also export the goods after purchasing them from there. We are trying our best to promote cottage and small scale industries. We have told the export houses to take into account the value of goods exported as Rs.2 lakhs if a small industry exports goods worth Rs. 1 lakhs. In this way we are giving facilities. It is our policy to help as much as possible the small industries and handlooms.

Shri Rajendra Kumar Sharma : Sir, the fact is that the handloom weavers in small industries do not get any part of profits. They do not get even reasonable remuneration for their labour. All the margin is taken away by the middlemen. What steps Government propose to take to ensure that they get maximum benefit ?

Shri Mohan Dharia : It is correct that middlemen earn the real profit and small handloom weavers do not get their reasonable share. For that they should form cooperatives and associations and we are ready to extend full cooperation to them for that.

Shri Manohar Lal : In fact the Members of board of directors themselves go in for exports in place of weavers. So, will the hon. Minister take steps and inquire to see that goods are exported only by weavers in order to check the board of directors from spreading corruption ?.

Shri Mohan Dharia : I will look into it.

प्रो० दलीप चक्रवर्ती: क्या मंत्री महोदय को पता है कि अधिकांश लाभ बिचौलियों को मिलता है ; और क्या पश्चिम बंगाल और असम में बहुत से हथकरघा बुनकर धागे, रंग, और अपनी उत्पादित वस्तुओं के उचित मूल्यों के अभाव में खाली बैठे हैं ? सरकार इस बारे में क्या उपाय कर रही है ?

श्री मोहन धारिया : इसी सन्दर्भ में सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि आगे से बड़े क्षेत्र में बड़ी मिलों को आवश्यक अतिरिक्त कपड़ा या निर्यात के लिए कपड़े का उत्पादन नहीं करने दिया जायेगा । हम विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को उत्साहित करेंगे ताकि छोटे बुनकरों को धागा तथा अन्य जरूरी चीजें मिल सकें । मैंने श्री फर्नान्डीज से मिल कर यह स्कीम बनाई है जिस से धागा बनाने वाली मिलों से मिल मूल्य पर ही धागा खरीदा जाता है और राज्यों की शीर्ष समितियों को दिया जाता है ताकि वे उसका वितरण करें। इस प्रकार अनेक उपाय किए गए हैं ।

Shri Roop Nath Singh Yadav : Sir, the middlemen are exploiting small weavers and these weavers particularly in villages of eastern Uttar Pradesh like Pratapgarh, Jaunpur etc. and in Mogaram in Allahabad do not get yarn and dyes. Will Government take any remedial steps to ensure direct supply of these items to weavers ?.

Shri Mohan Dharia : We have asked the apex societies or small scale corporations of Government to handle the distribution work. Previously the small Scale Corporation in U.P. did not undertake the responsibility but it has now agreed to do so and the work will go on smoothly.

Shri Ram Sevak Hazari : Sir, the handloom industry was so much developed in our country that even before independence we used to earn foreign exchange by exports. What steps Government propose to take to develop the industry and to ensure that weavers get remunerative price of their product ?.

Shri Mohan Dharia : This question relates to Ministry of Industry. Even then I may tell him that there are 3.8 million handlooms in the country employing about one crore persons. We have taken many steps to ensure full protection to handloom industry and reasonable return to weavers. Only then we can solve the employment problem.

कम सप्लाई वाली वस्तुओं का आयात

*166. **श्री एस० आर० दामाणी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक की अच्छी स्थिति को देखते हुए सरकार ने देश में कम सप्लाई वाली वस्तुओं के आयात द्वारा सुरक्षित भंडार (बफर स्टाक) बनाने के लिए कोई निर्णय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) आयात के प्रबन्ध के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) सरकार ने 120 लाख टन अनाज का सुरक्षित भण्डार बनाने का फैसला किया है । यह भी फैसला किया गया है कि वार्षिक आवश्यकताओं के 20 प्रतिशत तक उर्वरकों का भी सुरक्षित भण्डार बनाया जाए । राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु का व्यापार निगम जैसे माध्यम अभिकरण भी आयात के द्वारा खाद्य तेलों और अलौह धातुओं जैसी संवेदनशील वस्तुओं के उचित भण्डार बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि देश में उपभोक्ताओं को ये वस्तुएं आसानी से उपलब्ध कराई जा सकें । सरकार कम मात्रा में उपलब्ध आम खपत की वस्तुओं की, उपलब्धता को सुनिश्चित करने के विचार से इनके आयात के लिए उदारतापूर्वक विदेशी मुद्रा देती रही है ।

श्री एस० आर० दामाणी: दिसम्बर 1977 तक बड़े पैमाने पर उपभोग की कौन-कौन सी वस्तुओं का आयात किया गया और उनका मूल्य क्या था ?

श्री एच० एम० पटेल: मैं आपको सही आंकड़े तो नहीं बता सकता, लेकिन कोई एक व्यक्ति उपभोग की इन वस्तुओं को अधिक मात्रा में आयात नहीं कर सकता । अधिकतर खाद्य तेलों, अलौह धातुओं और रूई का आयात किया गया है ।

श्री एस० आर० दामाणी: क्या सरकार ने इन वस्तुओं के आयात हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो अगले 12 मास में किन वस्तुओं का आयात किया जायेगा ? क्या मंत्री महोदय सभा को आश्वासन देंगे कि आयात इस ढंग से किया जायेगा कि देशी उत्पादन के मूल्यों पर विपरीत प्रभाव न पड़ेगा और न ही वे अनियमित आयात के कारण एक दम आकाश को छूने लगेंगे आम उपभोग की जिन वस्तुओं का आयात होता है देश में उनका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या किया जा रहा है

अध्यक्ष महोदय : यह तो नीति संबंधी प्रश्न हो गया ।

श्री एच० एम० पटेल: जैसा मैंने कहा है बड़े पैमाने पर उपभोग की इन वस्तुओं जैसे खाद्य तेल, अलौह धातुएं, रूई, सीमेंट और अखबारी कागज का आयात सरकारी अभिकरणों द्वारा होता है। यदि आवश्यक हुआ तो पटसन का भी आयात किया जायेगा । अभी इसका आयात आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री एस० आर० दामणी: मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने अगले 12 मास के लिए इन चीजों के आयात संबंधी कोई योजना बनाई है और क्या वह आश्वासन देंगे कि इस आयात से स्थानीय उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा या क्या वह एकदम ऊंचे तो नहीं हो जायेंगे ?

श्री एच० एम० पटेल: हम लोग इसी ढंग से आयात कर रहे हैं । हमने इन वस्तुओं के आयात की योजना बनाई है और हम उनका आयात इस ढंग से कर रहे हैं जिस से कि स्थानीय उत्पादन पर उनका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

Shri Kishore Lal : Sir, we have enough foreign exchange reserves and as per policy statement of last year the machinery which is not manufactured within the country will be allowed to be imported. Whether any machinery was allowed to be imported last year and uptil now and the number of applications pending with you in this connection ?.

श्री एच० एम० पटेल: मैं नहीं कह सकता कि कितने आवेदन लम्बित है; लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि काफी मशीनरी आयात करने दी गई है ।

श्री किशोर लाल: पिछले 12 महीनों से एक भी आवेदन नहीं निपटाया गया है।

श्री एच० एम० पटेल: मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री किशोर लाल: आप चाहें तो मैं डी० जी० टी० डी० या वाणिज्य मंत्रालय के पास पड़े आवेदनों की संख्या भी बता सकता हूं। एक का भी निपटान नहीं हुआ। ऐसे उत्तर देने का क्या लाभ ?

श्री एच० एम० पटेल: मैं उनका पता लगाकर आप को व्यक्तिगत रूप से बता दूंगा।

श्री किशोर लाल: कृपया उन्हें 31 मार्च तक निपटा दें।

श्री आर० वेंकटारमन: दुनिया भर में तांबे, जस्ते और सीसे की कमी है। क्या समय-समय पर इनका आयात करके सुरक्षित भंडार बनाया जायेगा ?

श्री एच० एम० पटेल : उद्देश्य यह है कि खनिज और धातु व्यापार निगम उनका इस प्रकार आयात करता है कि देश की तत्काल आवश्यकताओं के लिए उसके पास भंडार रहे।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that we import iron, cement, cotton and jute from abroad. But you are also exporting these things. How is it ? Why do you import those things which are available here. May I know the difference between import and export prices ? Will you make efforts to ensure availability of essential metals in adequate quantity ?.

श्री एच० एम० पटेल: मुझे उनके कथन से हैरानी हुई है कि हम निर्यात की जाने वाली चीजों का भी आयात करते हैं। यह बात ठीक नहीं है।

Shri Raghavji : May I know the names of goods which were imported after 1st April, 1977 indicating the value thereof?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे इसके लिए पूर्व सूचना चाहिये।

श्री द्वारिकानाथ तिवारी : प्रश्न आयात का नहीं, सुरक्षित भंडार बनाने का है। क्या सरकार सीमेंट का सुरक्षित भंडार बनायेगी जिससे काला बाजार खत्म हो सके। दूसरे क्या आयात करके भंडार बनाया जायेगा या कि देश में ही उसकी खरीद करके यह भंडार बनेगा।

श्री एच० एम० पटेल: सीमेंट का सुरक्षित भंडार नहीं बनाया जायेगा बल्कि ऐसे आयात किया जायेगा जिससे देश में सीमेंट की कमी न रहे। अभी अनाज के आयात का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। सुरक्षित भंडार के साथ-साथ हम कुछ अनाज निर्यात भी करेंगे।

Shri Hukamdeo Narain Yadav: This policy had been formulated by the Janata Government that the things which are produced here will not be imported inorder to encourage indigenous production. What will be the effect on our economy if we do not increase the capacity of our industries ? will small and cottage industries not be affected and will it not be contradictory to the declared policy of the Government ? Will Government stop imports ?

श्री एच० एम० पटेल: हमारी नीति यही है कि जिन चीजों का देश में उत्पादन होता है उनका आयात न किया जाये। लेकिन जिन चीजों की आम मांग है और जिनकी सप्लाई किसी समय कम होती है, हमें अनका आयात करना पड़ता है ताकि कमी न हो।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, foreign exchange is both an asset and a liability. It increases inflation and yet comes to our rescue at the time of need. The hon. Minister has said that those things are imported which are in short supply. May I know if he is trying to solve the problem on ad hoc basis ? Whether you have made any scheme for foreign exchange for the next year ?.

श्री एच० एम० पटेल: हम ऐसा केवल तदर्थ आधार पर ही नहीं करते लेकिन कभी-कभी तदर्थ निर्णय भी करने पड़ते हैं । लेकिन जहां हम समझते हैं कि चीजों की कमी होगी तो हम पहले से ही योजना बना लेते हैं । उदाहरण के लिए हमने ऐसी योजना बनाई है कि खाद्य तेलों की एक निश्चित मात्रा की सप्लाई देश में बनी रहेगी । यही बात रुई और सीमेंट के बारे में लागू होती है । लेकिन खरीद के मामले में सरकार द्वारा पहले ही यह बता देना ठीक नहीं कि हम क्या क्या और कितनी कितनी मात्रा खरीदना चाहते हैं । ऐसा सुनियोजित ढंग से किया जाता है ।

Shri Tej Pratap Singh : May I know whether any scheme is proposed to be formulated to import plants and equipment from abroad, which are not being manufactured in the country, in order to meet the shortage of power ? Secondly, will the hon. Minister see that foreign exchange is not wasted on luxury goods ?.

श्री एच० एम० पटेल : मैं आश्वासन दे सकता हूं कि हम ऐशो आराम की वस्तुओं पर विदेशी मुद्रा के उपयोग की अनुमति नहीं देंगे । हमारे यहां आयात की नीति उदार है, परन्तु हम सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा न होने पाये ।

जहां तक विद्युत सप्लाई तथा बिजली उपकरणों का सम्बन्ध है, यदि उनकी तुरंत आवश्यकता होती है और वे समय पर उपलब्ध नहीं होते तो हम उनके आयात की अनुमति दे देते हैं ।

निर्यात में कमी

*169. **डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात में लगभग 35 करोड़ रु० की कमी हुई है ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चमड़े के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तथा (ख) जी नहीं । अनन्तिम आधार पर 1977-78 (अप्रैल-दिसम्बर) के पहले नौ महीनों के दौरान भारत के समग्र निर्यात 3952.44 करोड़ रु० के रहे, इस प्रकार विगत वर्ष की उसी अवधि में हुए निर्यातों की तुलना में इन में लगभग 315 करोड़ रु० अथवा 8.7 प्रतिशत वृद्धि हुई ।

(ग) तैयार चमड़े तथा चमड़े के उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिये जो उपाय किये जा रहे हैं उनमें से ये शामिल हैं :—

(1) तैयार चमड़े तथा चमड़े से बने माल के निर्यात उत्पादन के संबंध में अपेक्षित मशीनों का खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात ।

(2) एफ० ओ० बी० मूल्य के 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की नकद मुआवजा सहायता, और

(3) वायुयान द्वारा परेषण के आधार पर चमड़े की वस्तुओं के निर्यातों पर हवाई भाड़ा इमदाद।

डा० वी०ए० सैयद मोहम्मद: मैं जानना चाहता हूं कि क्या केवल चमड़े की मद में 35 करोड़ रुपये की कमी हुई है और यदि हां, तो इस अचानक कमी के क्या कारण हैं ?

श्री मोहन धारिया: गत वर्ष अर्थात् 1976-77 की तुलना में उपलब्ध अनुमान के अनुसार दिसम्बर 1977 तक लगभग 35 करोड़ रुपये की कमी हुई है, जनवरी, 1978 तक के आंकड़ों के अनुसार यह कमी लगभग 32 करोड़ रुपये है क्योंकि मांग पुनः बढ़नी शुरू हो गई है । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में, विशेष रूप से यूरोपीय देशों में मांग के कम होने के कारण निर्यात में कमी हुई है।

डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद: उपलब्ध आँकड़ों से पता चलता है कि जहां तक रंगे हुए चमड़े तथा निर्मित माल का संबंध है, पहले मामले में कमी 31 प्रतिशत है और दूसरे मामले में गत 9 महीनों में यह 11 प्रतिशत है । क्या मंत्री महोदय इसके कारण बता सकते हैं ? दूसरे, क्या यह सच है कि निर्यात के मामले में कुछ वस्तुएं राज्य व्यापार निगम के क्षेत्राधिकार से निकाल दी गई हैं ?

श्री मोहन धारिया: जैसा कि मैंने बताया है, यह मांग में कमी के कारण है और हमारे लिये निर्यात करना सम्भव नहीं है, परन्तु चमड़े की वस्तुओं की मांग पुनः बढ़ रही है। इसी तरह कुछ अन्य वस्तुओं की भी मांग बढ़ रही है ।

यह सच नहीं है कि निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से चमड़े तथा चमड़े के उत्पाद को कुछ वस्तुएं राज्य व्यापार निगम के क्षेत्राधिकार से निकाल दी गई हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी: निस्सन्देह मंत्री महोदय को मालूम ही है कि विश्व में कुल निर्यात में भारत द्वारा निर्यात में 1951 से लगातार कमी हो रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय में इस कमी का कोई विश्लेषण किया है और यदि हां, तो विश्व-बाजार में भारत द्वारा निर्यात में प्रति वर्ष कमी होने के मुख्य कारण क्या है ?

श्री मोहन धारिया: सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि चालू वर्ष अर्थात् 1977-78 में जब विश्व व्यापार में लगभग 5.5 प्रतिशत की कमी हुई है, हमारा व्यापार लगभग 10 प्रतिशत बढ़ा है और ऐसा इस बात के बावजूद हुआ है कि हमने मूंगफली, खली, और सीमेंट सहित कई अन्य वस्तुओं, हमारे देश में जिनकी आवश्यकता है, के निर्यात में कमी की है । इसके बावजूद हमारा निर्यात कुल विश्व व्यापार के मुकाबले बढ़ा है । इससे पता चलता है कि हमने पर्याप्त उपाय किये हैं और उनका फल मिलने लगा है।

श्री अमृत नाहाटा: निर्यात में कमी का एक कारण बढ़ता हुआ संरक्षणवाद है जो पश्चिमी देशों द्वारा अपनाया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार का इस बढ़ते हुए संरक्षणवाद को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है और क्या सरकार का विचार किसी प्रकार का एशियाई सांझा बाजार बनाने का है जहां पर विकासशील देश पश्चिमी संरक्षणवाद के विरुद्ध एकजुट होकर मुकाबला कर सकें ?

श्री मोहन धारिया: यह सच है कि संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के कारण हमारे निर्यात को हानि हुई है, परन्तु हमने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ विशेष रूप से और संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधियों के साथ सामान्य रूप से चर्चा की है। जैसा कि मैंने पहले सदन में बताया है कि उन्होंने अब अधिक कोटा स्वीकार किया है और यह हमारे निर्यात में लगभग 150 करोड़ रुपये तक की वृद्धि करने में सहायक होगा।

जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे सुझाव का संबंध है, हम एशिया के देशों के लिये इसी प्रकार का बाजार बना सकते हैं, यह एक स्वागत योग्य सुझाव है और इस संबंध में बातचीत चल रही है।

श्री एस० आर० दामाणी : मुझे आशा है कि मंत्री जी मुझ से सहमत होंगे कि देश में निर्यात के लिये दीर्घकालीन आयोजन होनी चाहिये ताकि उत्पादक वहां के खरीद दारों को निर्यात संबंधी वचन दे सकें। इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का विचार निर्यात प्रोत्साहन नीति की घोषणा करने का है ताकि हमारा निर्यात बढ़ सके ?

श्री मोहन धारिया : इन्हीं कारणों से सरकार ने डा० एलेक्सेंडर समिति का गठन किया है। सरकार को एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और उसमें एक सुझाव यह है कि नीति प्रति वर्ष के लिये न होकर कम से कम तीन से पांच वर्ष तक के लिये होनी चाहिये। हम इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

Shri O.P. Tyagi : Whether it is a fact that uptill now most of our exports were confined to European Countries like Russia, U.S.A. etc. It was negligible so far as South Africa, Africa and South East Asian Countries are concerned ? Whether it is because of this fact that they do not know anything about our goods ? Whether government have organised any exhibition or made any arrangements for publicity of our goods there as is done by them in other countries ?

Shri Mohan Dharia : It is true that our exports to these countries have not increased to the required extent. We have made some arrangements for it. There is heavy shipping freight for South America. We have taken action to reduce this shipping freight and bring it at par with that for North America. We do try to organise exhibitions in South America, African and South-East Asian countries.

Shri Mritunjay Prasad Verma : What are the items which have been taken away from the purview of the STC and have been entrusted to Private exporters ?

Shri Mohan Dharia : The question is not of taking away or keeping any item with S.T.C. We keep those items under the purview of S.T.C. which are in the interest of the nation. Our policy is quite clear. We canalise those items which are in the interest of the nation and decanalise others for the same purpose.

विदेशी सहयोग-कर्त्ता कम्पनियों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विदेशों में धन भेजना

*170. **श्री एस० एस० सोमानी**: क्या वित्त मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दर्शाया गया हो कि

(क) निम्नलिखित कम्पनियों, अर्थात् हिन्दुस्तान लीवर, ग्लैक्सो, ; कौलगेट, पाल्मोलिव, बाटा शूज, इण्डिया टोबको और ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी द्वारा वर्ष 1976-77 के दौरान विदेशों को भेजी गई धनराशि संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या वर्ष 1976-77 के दौरान विदेशों में धनराशि भेजने के बारे में विदेशी सहयोग-कर्ता कम्पनियों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बीच कोई भेद किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) और (ग): विदेशी सहयोगकर्ता कम्पनियों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बीच उनके द्वारा विदेशों में धनराशि भेजने के बारे में कोई भेद नहीं किया जाता है ।

विवरण

कम्पनी का नाम	विदेशों में भेजी गई राशि
	रुपये
1. हिंदुस्तान लीवर	3,09,94,885
2. ग्लैक्सो	86,44,134
3. कोलगेट पाल्मोलिव	1,55,71,731
4. बाटा शूज	14,02,500
5. इंडियन टोबैको	2,04,17,637
6. ब्रिटानिया बिस्कुट	21,68,577

Shri S.S. Somani : The names of same companies have been mentioned in this question. It appears that about 8 crores of rupees are remitted to foreign countries or this amount has been remitted last year. We very well know that last time when East-India company came to this country for trading it established its rule over this country. According to the present position these foreign companies are running their business by employing 12-13 lakh people. May I know if it is not possible to compel these companies to invest in the country part of the amount of remittances ?

श्री एच० एम० पटेल : उल्लिखित धन राशियां लाभांश हैं और सरकार की यह नीति है कि कम्पनियां अपना-अपना लाभांश विदेशों में भेज सकती हैं । जहां तक शेष मामलों के बारे में नीति का सम्बन्ध है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत हम अब विदेशी कम्पनियों--बहु-राष्ट्रीय या अन्य विदेशी कम्पनियों को इस पूंजी को कम करके 40 प्रतिशत करने के लिये कहा है इसके अनुसार उनमें से कई कम्पनियों, जिनका मैंने उत्तर में उल्लेख किया है, ने इसे कम करके 40 प्रतिशत कर दिया है और दूसरी कम्पनियां भी ऐसा कर रही हैं।

Shri S.S. Somani : Sir, May I know if we can not produce tooth-paste, soap, confectionary, biscuits, chocolates, Cigarettes etc., in the country when we can produce Arya Bhatta ? So will the Government put a ban on these foreign companies so that these goods may be produced here and these companies may not get any opportunity to earn huge profits ?

श्री एच० एम० पटेल: ये कम्पनियां कई वर्ष पहले स्थापित हुई थीं । इस समय बहुत सी भारतीय कम्पनियां साबुन, टुथपेस्ट, टुथब्रुश, आदि वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं । अब इन कम्पनियों को अपने प्रतिष्ठान बन्द करने के लिये कहने का प्रश्न नहीं उठता । जो कुछ किया गया है वह नीति संबंधी मामला है कि उनकी पूंजी को कम करके 40 प्रतिशत किया जाये।

श्री के० लकप्पा : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरे मित्र ने बिल्कुल सही कहा है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी, जो यहां व्यापार के लिये आई थी, ने बाद में भारत पर कब्जा कर लिया। यद्यपि हमें राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त है, तथापि समूचे भारत में इन विदेशी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के कारण हमें आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। जनता सरकार की इन विदेशी कम्पनियों तथा बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ मिली भगत है और वे यहां पर सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। सरकार की वर्तमान नीति उनका समर्थन करना है न कि उन पर नियंत्रण करना है जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया है। आज एक समाचार छपा है कि गहरे-समुद्र में मछली पकड़ने का काम केरल में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि आर्थिक क्षेत्र में चल रही इन कम्पनियों का आप कब भारतीयकरण करेंगे। इन कम्पनियों का भारतीयकरण करने के लिये आप कौन से ठोस और परिणाम-दायक कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : इन विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण देश के कानून के अन्तर्गत किया जा रहा है। जहां तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य के सुझाव पर ध्यान दिया जायेगा। परन्तु उन्हें ध्यान रहे कि ये लाइसेंस जनता सरकार के शासन में नहीं दिये गये थे अपितु उससे पहले दिये गये थे ......। **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कब सरकार इसे वापस लेने का विचार रखती है ? ...... **(व्यवधान)**

Shri Bhanu Kumar Shastri : Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the foreign companies, operating here, in addition to remitting money according to your rules, remit extra amount by adding more money to the salaries of those technicians or engineers who are brought in by these companies ? Have you considered this question and whether you can put a restriction on this ? They also include the office expenditure in this.

श्री एच० एम० पटेल : जहां तक विदेशी तकनीशियनों का, जिन्हें ये कम्पनियां या अन्य कम्पनियां लाई हैं, संबंध है, उनकी शर्तें पूर्णतया विनियमित होती हैं और जितना धन अपने देश में भेजने की उन्हें अनुमति होती है, उसका निर्धारण उन्हें सेवा में लेते समय किया जाता है।

Shri Vijay Kumar Malhotra : Sir, the hon. Minister has stated that there is no question of closing these companies. It has created some misunderstanding. The items reserved for small scale industries are being manufactured by multi-national companies. The Janta Party had promised that the goods which can be manufactured at small scale will be excluded from the list of goods to be manufactured by Multi-nationals. But they are manufacturing food, soap etc. It has been mentioned in the Janata Party's economic policy that multi-nationals will be ousted within 10 years. So I can not understand the policy according to which he has said that there is no question of closing them ?

श्री एच० एम० पटेल: मैंने उन्हें केवल सरकार की नीति के बारे में बताया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन कम्पनियों को ऐसी चीजें बनाने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिनका उत्पादन देश में ही किया जा सकता है।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा: क्या उन्हें कुछ समय बाद बंद कर दिया जायेगा ?

श्री के० गोपाल: मंत्री महोदय ने बताया है कि इन कम्पनियों तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कुछ अन्य कम्पनियों को अपनी विदेशी पूंजी-परिव्यय 40 प्रतिशत

तक घटाने के लिए कहा गया है । परन्तु वास्तव में हुआ यह है कि अनेक मामलों में उन्होंने पूंजी-परिव्यय बढ़ा दिया है । उदाहरणार्थ यदि कुल पूंजी 10 रुपये की तथा उसमें विदेशी पूंजी 6 रुपये है तथा देशी पूंजी 4 रुपये हैं तो उन्होंने कुल परिव्यय ही बढ़ा कर 15 रुपय कर दिया है और अतिरिक्त 5 रुपये उन्होंने भारतीय पूंजी में बढ़ा दिये हैं जबकि विदेशी पूंजी का भाग उसमें उतना ही है । इसकी प्रतिशतता भले ही कम हो गई हो, परन्तु वास्तव में अभी भी अनेक कम्पनियां ऐसी हैं, जिनमें लगी हुई विदेशी पूंजी अभी भी उतनी ही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है और यदि वह अभी इसका उत्तर नहीं दे सकते तो क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि विदेशी पूंजी निवेश को समाप्त कर, उसके शेयर भारतीयों को बेच दिये जायें।

श्री एच० एम० पटेल : विदेशी शेयरों को समाप्त किया जा रहा है ताकि उनकी......

श्री के० गोपाल : सभी मामलों के संबंध में ऐसा कहना ठीक नहीं है ।

श्री एच० एम० पटेल : आपने जो जानकारी दी है उसकी मैं निश्चय ही जांच करूंगा परन्तु मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि कम्पनियों को अपनी पूंजी 40 प्रतिशत कम करने के लिए कहा गया है ....

श्री के० गोपाल : यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूं । विदेशी पूंजी की प्रतिशतता में भले ही कमी हो गई हो, परन्तु विदेशी पूंजी की मात्रा अभी भी उतनी ही है । क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि वास्तव में जो पूंजी निवेश हुआ है, उसके विदेशी शेयर भारतीयों को बेच दिये जायें । वह भारतीय पूंजी निवेश में वृद्धि क्यों करना चाहते हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह शेयर भारतीयों को नहीं बेचे जाने चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : आप उनका प्रश्न नहीं समझे हैं । इन का कहना यह है कि मान लो आप उनकी विदेशी पूंजी में 40 प्रतिशत की कटौती करना चाहते हैं, परन्तु वह क्या करते हैं, वह और अधिक भारतीय शेयर बेच देते हैं तथा अपना पूंजी निवेश उतना ही बनाये रखते हैं । अतः वह यह जानना चाहते हैं, कि आप उन्हें विदेशी शेयर बेचने के लिए कह कर, उसे कम करने के लिए क्यों नहीं कहते ?

श्री एच० एम० पटेल : हम उन्हें अपने शेयर हमारे देश में बेचने के लिए कैसे कह सकते हैं ?

श्री के० गोपाल : अनेक कम्पनियों ने ऐसा किया है ।

श्री एच० एम० पटेल : आज हम जिस प्रकार यह कार्य कर रहे हैं काफी अच्छा है परन्तु फिर भी मैं आपके सुझाव पर विचार करूंगा ।

श्री चित्त बसु : जब मंत्री महोदय ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि इन बहुराष्ट्रीय फर्मों द्वारा अपने लाभ तथा लाभांश को देश से बाहर भेजा जाता है और उन्होंने यह भी माना है कि विद्यमान कानून के अनुसार ऐसा हो रहा है और वह यह भी समझते हैं कि विद्यमान कानून से देश को विशेष रूप से इन बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों के कार्यकरण से हानि उठानी पड़ रही है । अतः इसे दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार इन कानूनी व्यवस्थाओं का पुनर्वीक्षण करने पर विचार कर रही है और क्या यह सुनिश्चित किया जायेगा कि देश से इस प्रकार धन बाहर न जाये तथा क्या विशिष्ट रूप से विदेशी कम्पनियों तथा बहु-राष्ट्रीय फर्मों द्वारा भेजी जा रही धनराशि पर रोक लगाई जाएगी ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वाशन देना चाहता हूं कि आज तक अपनाई जा रही नीति के अनुसार बाहर भेजी जा रही धनराशि से अधिक कुछ भी भेजने की अनुमति नहीं देंगे। तथ्य तो यह है कि अबके बाद विदेशों को भेजे जाने वाले लाभांश में काफी कमी कर दी जायेगी। प्रश्न यह है कि उसे और अधिक कम किया जाये या उसे बिलकुल समाप्त कर दिया जाये। हम निश्चय ही इस का अध्ययन करेगें।

श्रीमती वी० जयालक्ष्मी : मैं मंत्री महोदय का ध्यान बहुराष्ट्रीय स्वीडन की कम्पनी विम्को की ओर दिलाना चाहती हूं जो कि हमारे देश में माचिसें बनाती है........

श्री के० लकप्पा : माचिस बनाने के लिए भी इन्हें विदेशी सहयोग की आवश्यकता है।

श्रीमती वी० जयालक्ष्मी : उन्हें अपने प्रभाव के फलस्वरूप कच्चा माल सस्ते दामों मिल जाता है जिसके फलस्वरूप लघु उद्योग क्षेत्र के हमारे उद्योगों को क्षति उठानी पड़ती है। विम्कों कम्पनी को सस्ते दामों पर माल उपलब्ध करवाया जाता है। उन्हें अच्छी विपणन सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग के माचिस उद्योग को पंगु बना दिया है। क्या सरकार को यह मालूम है कि यह पूर्णतया विदेशी कम्पनी है ? दूसरे सरकार ने इस कम्पनी के कार्यकरण को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ताकि लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग पनप सके ?

श्री एच० एम पटेल : जहां तक विम्को कम्पनी का सम्बन्ध है इसका इतिहास यह है कि एक समय ऐसा था जब कि यही कंम्पनी सम्पूर्ण माचिस उद्योग पर छाई हुई थी केवल इसी कम्पनी द्वारा माचिसों का उत्पादन किया जाता था। आज इस कम्पनी द्वारा मैं समझता हूं 30 प्रतिशत माचिसों का उत्पादन किया जाता है। मैं समझता हूं कि विम्कों कम्पनी द्वारा किये जाने वाले उत्पादन के अद्यतन आंकड़े यही हैं शेष 70 प्रतिशत उत्पादन कुटीर उद्योग ही करते हैं। परन्तु जहां तक उत्पादन शुल्क आदि का सम्बन्ध है, इसके बारे में सभी सहूलितें कुटीर उद्योगों को ही दी जाती हैं, विम्कों कम्पनी को नहीं।

Taxes outstanding against Birla group of Firms

***171. Shri Hukmdeo Narain Yadav :** Will the Minister of **Finance** be pleased to lay a statement showing :

(a) the amount on account of Income Tax, Central Sales Tax, Excise Duty and other taxes and personal tax outstanding against the Birla Group of firms upto December, 1977 and the action taken by Government to realise the same;

(b) whether Government propose to file suits against them after registering cases o economic offences against them; and

(c) if not, the reasons therefor?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) बिड़ला समूह की फर्मों की ओर, दिसम्बर 1977 तक, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा प्रत्यक्ष करों की जो रकमें बकाया हैं और इन रकमों की वसूली के लिये फर्मों के विरुद्ध जो कार्यवाही की गई है, उस बाबत फिलहाल उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है:—

सीमा-शुल्क की बकाया रकम : 31 दिसम्बर, 1977 तक, बिड़ला समूह की फर्मों की ओर सीमा शुल्क के 15.27 लाख रुपये बकाया थे यह अभी ताजी मांग है, और बकाया रकम की वसूली के लिये जो कार्यवाही की गई है उस फर्मों को अनुस्मारक जारी करना भी शामिल है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया रकम : दिसम्बर, 1977 के अन्त में, बिड़ला समूह की फर्मों की ओर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के 3.31 करोड़ रुपए बाकी थे।

केन्द्रीय बिक्री कर : माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर लगाये जाने वाले केन्द्रीय बिक्री कर का प्रशासन राज्यों के हाथ में है, जो केन्द्रीय बिक्री कर की रकम को भी वसूल करते हैं और अपने पास रखते हैं। इस लिये बिड़ला समूह की फर्मों की ओर, केन्द्रीय बिक्री कर की बकाया रकम के बारे में सूचना केन्द्रीय सरकार के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है।

प्रत्यक्ष कर की बकाया रकम : 1 दिसम्बर 1977 की स्थिति के अनुसार बिड़ला समूह की 66 कम्पनियों की ओर, आयकर की सकल मांग 6.04 करोड़ रुपये की बकाया है, जबकि इसकी शुद्ध बकाया रकम 2.15 करोड़ रुपये है। बकाया कर की वसूली के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के मुताबिक सब तरह की कार्यवाही यथा-समय की जाती है।

भागीदारी अधिनियम, 1932 में 'फर्म' की जो परिभाषा निहित है उसके अनुसार 'फर्म' धनकर के अन्तर्गत कर लगाने योग्य इकाई नहीं है। सम्पदा शुल्क किसी मानवीय व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही लगाया जाता है। इसलिए बिड़ला समूह की फर्मों के नाम धन कर और सम्पदा शुल्क के अन्तर्गत बकाया मांगें होने का प्रश्न नहीं उठता। इस समूह की किसी फर्म के नाम दान-कर की कोई मांग बकाया नहीं है।

यदि 'फर्म' शब्द में किसी कम्पनी को भी शामिल माना जाय तो हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड का मामला ही एक ऐसा है जिसके नाम धन-कर की निम्नलिखित मांगें बकाया है:—

कर-निर्धारण वर्ष	रकम
1957-58	47,000 रु०
1959-60	14,000 रु०

(ख) तथा (ग) प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में, इस समूह की फर्मों के खिलाफ जहां कहीं भी औचित्य होगा, इस्तगासे की कार्यवाही की जाएगी।

चूंकि सीमा शुल्क सम्बन्धी मांगें ताजी ही हैं, इसलिए ये रकमें सीमा शुल्क 1962 के उपबन्धों को लागू करने से ही वसूल हो सकने की संभावना होने से इस समूह की सम्बन्धित फर्मों से बकाया की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकमें मांगों के बारे में विवाद होने के कारण ही बकाया है और सम्बन्धित फर्मों ने इन मागों के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारणों के समक्ष अपीलें दायर कर रखी है या सरकार के समक्ष नजरसानी दरख्वास्ते पेश की हुई है। कुछ मामलों में सम्बन्धित प्राधिकारणों से न्यायालयों से स्थगन आदेश मिले हुए हैं। इसलिए ऐसें मामलों में भी फर्मों के खिलाफ मुकदमें दायर करने का प्रश्न नहीं उठता।

Shri Hukmdeo Narain Yadav : Mr. Speaker Sir, firstly I would like to submit to hon. Finance Minister that although Janata Party has won against the political Party in power in the Country but its struggle against the capitalist forces still continues. It is only Janata Government which can help the people in getting rid of Capitalism. Shri Birla is the greatest symbol of Capitalist monopoly in the Country and the people of India had been

constantly struggling against him but uptill now nothing has been done against him. The Hon. Minister has given the figures of the total outstanding amount against 66 companies of the Birla group. The details of the previous questions which I have asked in this regard are U.S.Q. No. 831 dated 18-11-77, 2325 dated 2-12-77, 1012 dated 28-2-78, 6579 dated 5-8-77, 5469 dated 29-7-77, 2999 dated 8-7-77, 3745 dated 15-7-77 and 3942 dated 19-7-77. I have been asking this question constantly but have been getting the only answer that the Complete figures of outstanding amount are not with the Government but it is being looked into. May I know how long the Government will continue to look into the matter. I would like to know the steps which the Government is taking to compile Complete information and make necessary recovery ?

श्री एच० एम० पटेल : बकाया धनराशि की वसूली के लिए हर सम्भव कार्यवाही की जा रही है तथा की जायेगी। जो विवरण मैंने सभा पटल पर रखा है, उसमें स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, मैंने विवरण में बताया है कि बिड़ला ग्रुप की 66 कम्पनियों के विरुद्ध 1.12.77 को आयकर की सकल 6.04 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया थी जबकि इसकी शुद्ध बकाया रकम 2.15 करोड़ रुपये है। कार्यवाही प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के सन्दर्भ में की जायेगी। आयकर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत बकाया धनराशि की वसूली के लिए समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।

जैसा कि मैंने बताया बिड़ला ग्रुप के अन्तर्गत बहुत सी कम्पनियां आती हैं जिसमें कई तो बहुत छोटी-छोटी हैं तथा कई प्राइवेट फर्में हैं। इस प्रकार 299 कम्पनियां तथा 189 फर्में कुछ ऐसे संगठन हैं जिनका उल्लेख कम्पनियों के रूप में नहीं किया जा सकता। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इन कम्पनियों की ओर जो कुछ भी बकाया राशि है उसकी वसूली की जायेगी। परन्तु जैसा कि मैंने पहले कई अवसरों पर बताया है, यह कम्पनियां कुछ कानूनी कार्यवाही शुरू कर देती हैं जिससे हमारा कार्य रुक जाता है। यह कम्पनियां न्यायालय का द्वार खटखटा कर स्थगन आदेश, ले लेती हैं, याचिकायें दायर कर देती हैं तथा जब हम कुछ करने की स्थिति में पहुंचते हैं तो उसमें विलम्ब हो जाता है। वास्तव में जो विलम्ब हो रहा है उसका असली कारण यही है।

Shri Hukamdeo Narain Yadav: Mr. Speaker, Sir, We have been getting this negative reply for the last so many days that action is being taken by the Government for the recovery of arrears but until now no results have been received. In this country itself when the Government adopted tough attitude towards Capitalist like Mundra and Dalmia etc. they were caught and put behind the bars but it is strange that no case of economic offence has been registered against Birla against whom such huge amount as taxes is outstanding. He has not been prosecuted for any economic offence. When Shri Birla was involved in Sauvenr Case he was permitted to have a foreign pass-port and he himself escaped on anticipatory bail. So when crores of rupees of income-tax and Customs is outstanding and there is no provision under which Government can take strong action to arrest them and they are escaping by Seeking protection of courts, may I know if the Government is determined to do so why cannot it amend those laws and register the cases of economic offences against them when an ordinary citizen of the Country can be arrested and put behind bars, why these people cannot be arrested and prosecuted for the same offence? This linient attitude of the Government is giving room to a strong feeling among the people that whatever Government may be there, nobody has got the courage to take action against Shri Birla.

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : I would like to urge the hon. Member that there is no questioh of leaving those people. We are making efforts to recover the outstanding arrears. His suggestion of amending the law and thereby arresting them is not

workable. We are making constant efforts and as soon as the issue will be decided by the Court, recovery will be made. There should be no problem in making recovery.

श्री राम जेठमलानी : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि गत एक वर्ष में कितने मामलों में सरकार ने कुर्की या जेल में बन्द करने की कार्यवाही की है तथा ऐसे मामले देश के न्यायालयों द्वारा रोक दिये गये है ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं निश्चय ही उन्हें यह जानकारी दे दूंगा मुझे यह जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी तथा यह प्राप्त होते ही मैं यह उन्हें दे दूंगा।

Shri Lakshminarayan Naik : In view of the replies given by hon. Finance Minister and Prime Minister. I simply want to know that as the farmers who live in villages are prosecuted and sometime their land is also attached for non-payment of lands revenue and other Government dues, I would like to know if likewise action will be taken against Shri Birla also for the realisation of arrears ?.

श्री एच० एम० पटेल : कानून हमें जो कुछ भी करने की अनुमति देगा, वह निश्चय ही की जायेगी मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को यह भी मालूम ही होगा कि जब कभी भी भूमि सुधार सम्बन्धी कदम उठाये जाते हैं, तो उनकी क्रियान्विति भी इसलिए रुक जाती है कि कुछ लोग मामला न्यायालयों में ले जाते है और वहां काफी समय लग जाता है।

Shri Brij Bhushan Tiwari : May I know from the hon. Minister besides the 33 different Companies. Birla is also having his shares in 51 foreign industrial institutions. But the statement which hes been placed on the table of the House, does not make any mention about his shares in the foreign companies and outstandings towards them. May I know if any inquiry or survey has also been made in this regard or not ? If some survey has been done what steps have been taken by Government for the recovery of these outstanding dues ?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि माननीय सदस्य बिड़ला बन्धुओं द्वारा विदेशों में बनाई गई कम्पनियों के बारे में जानना चाहते है या वह उन कम्पनियों का उल्लेख कर रहे है जो कि भारत में ही है।

एक माननीय सदस्य : भारत से बाहर।

श्री एच० एम० पटेल : कम्पनी चाहे कहीं भी हो, यदि वह अपना लाभांश देश में लाती है, तो उसे कर देना ही पड़ेगा।

Dr. Baldev Prakash : May I know the reasons why big capitalists like Birla and Mohans who once supported the 25-point programme and proclamation of emergency and against whom several cases of economic offences are pending, the same people are coming close to the Janata Government ?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नोटिस चाहिए। **(व्यवधान)**

Shri Chaturbhuj : May I know since when these arrears are outstanding against the Birla's and whether in the meantime any new licence has been given to them ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं इस का पता लगाऊंगा।

Regional Rural Banks

*172. **Shri Y.P. Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to lay a statement showing :

(a) the State-wise number of Regional Rural Banks operating in the country at present;

(b) the number of Regional Rural Banks proposed to be opened in each State in 1978-79 in addition to other banks;

(c) the rate of interest on which the small farmers are given loans from these banks at present; and

(d) whether the rate of interest charged by the Regional Rural Banks is less than that charged by the Cooperative banks and nationalised commercial banks ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) आजकल देश में 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कारोबार कर रहे हैं। सदन के पटल पर रखे गये विवरण में राज्यवार संख्या दे दी गई है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित दांतवाला समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर निर्णय किया जायेगा।

(ग) और (घ) अपने-अपने कारोबार के क्षेत्र में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसी दर पर ब्याज लेते हैं जिस पर उसी क्षेत्र की सहकारी समितियां ब्याज लेती हैं ; और यह दर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग अलग है।

विवरण

(क) आजकल देश में कारोबार करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्यवार संख्या निम्नलिखित है :—

1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	असम	1
3.	बिहार	7
4.	हरयाणा	2
5.	हिमाचल प्रदेश	1
6.	जम्मू और कश्मीर	1
7.	कर्नाटक	3
8.	केरल	2
9.	मध्य प्रदेश	4
10.	महाराष्ट्र	1
11.	उड़ीसा	4
12.	राजस्थान	3
13.	तमिलनाडू	1
14.	त्रिपुरा	1
15.	उत्तर प्रदेश	10
16.	पश्चिम बंगाल	4
	जोड़	48

Shri Y.P. Shastri: The hon-Minister has just now-stated that there are 48 such banks in the whole country. These Regional Rural Banks were opened to provide facilities to those who are living below the poverty line but in Maharashtra there is only one bank, in Madhya Pradesh which is the biggest State there are only 4 banks. Whether it is possible to provide credit facilities to all the poor people through such a small number of banks. Secondly may I know as to when you received the Dantwala Committee's Report and when do you propose to take action on that with a view to opening new regional rural ba nks ?

श्री एच० एम० पटेल मेरा यह कहने का तात्पर्य नहीं था कि केवल 48 शाखाएं ही हैं । इन 48 शाखाओं द्वारा 87 जिलों मे सुविधाएं दी गई हैं और पिछले नवम्बर, 1977 तक इन बैंकों की 1048 शाखाएं खोली जा चुकी थीं । लेकिन उन्होंने केवल 37.43 करोड़ रुपया ही बांटा था । अतः इन बैंकों के कार्य का विस्तार करने के उद्देश्य से और उन्हें अधिक लाभदायक बनाने के लिए दांतवाला समिति नियुक्त की गई जिसका प्रतिवेदन रिजर्व बैंक को मिल गया है और उसकी सिफारिशों के अनुसार हम शीघ्र ही निर्णय लेंगे । उनके ग्रामीण बैंकों की स्थापना के काम में भी तेजी लाई जायगी।

Shri Y.P. Shastri : Sir, my first question has not been properly replied to. I had asked about the total number of banks which likely to be opened and when they will be opened ? You have yourself admitted that these banks have disbursed a small amount. So steps should be taken in this direction.

Secondly in reply is part (c) he has stated that the Regional Rural Banks charge the same rates of interest as are charged by the cooperatives. At the time of opening these Banks it was declared that these banks will charge only 4 per cent interest but now they are charging rates equal to cooperative banks and nationalised banks. How can you help the poor this way ?

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य को गलत जानकारी मिली है । जहां तक 4 प्रतिशत ब्याज का संबंध है । यह दर तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ली जानी थी जो कतिपय प्रतिशत तक रियायती दर पर दी जाती थी । यह तो एक सीमित राशि थी जिसका भुगतान किया जाना था ।

Shri Y. P. Shastri : You are wrong. Four per cent rate of interest was to charged by Regional Rural Banks.

श्री एच० एम० पटेल : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जहां तक संबंध है वे तो सहकारी बैंकों से कम ब्याज की दर पर ऋण नहीं देंगे और अच्छा यही है कि इनमें अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा न हो।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तस्करी की गतिविधियों के बारे में पुनर्विचार

*164. **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपातस्थिति की समाप्ति के पश्चात् भारत में तस्करी की गतिविधि के बारे में पुनर्विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विगत बारह महीनों के दौरान कितने तस्कर पकड़े गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा उनमें से कितने तस्करों को किस प्रकार की सजाएं हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) । (क) और (ख) जी, हां । आपातस्थिति हटा लिए जाने के बाद की गई समीक्षा से पता चलता है कि तस्करी वास्तविक तौर पर नियंत्रण में है। इसका पता इससे चलता है कि सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गए निषिद्ध माल की मात्रा में

कमी हुई है, विदेशों से स्वदेश आने वाली गैर-व्यापारिक रकमों में तेजी से वृद्धि हुई है ; विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपए की विनिमय दर मजबूत हुई है और तस्करी माल की बिक्री वगैरह के जाने माने बाजारों में अब तस्करी माल मिलता नहीं है।

(ग) गत बारह महीनों में अर्थात् फरवरी, 1977 से जनवरी, 1978 के बीच 1,876 व्यक्तियों को तस्करी में ग्रस्त होने के कारण गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 389 व्यक्तियों के खिलाफ इस्तगासे की कार्यवाही की गयी और इन 389 में से 231 को सजाएं मिलीं।

निर्यात प्रोत्साहन योजना पुनः तैयार करने का प्रस्ताव

†165. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वस्तुओं के उत्पादन और उनकी किस्म में सुधार करने, विशेषकर लघु और कुटीर उद्योगों में सुधार करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजना को पुनः तैयार करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय वस्त्रों के निर्यात, विशेषकर उन वस्त्रों के निर्यात पर, जो हथकरघों के कपड़े से बनाए जाते हैं, बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) निर्यात प्रोत्साहनों से सम्बन्धित आयात तथा निर्यात नीतियों और क्रियाविधियों के बारे में अलैक्जेंडर समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) : संरक्षण की प्रवृत्ति की वजह से, हथकरघा उत्पादों सहित वस्त्र उत्पादों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तथापि, सरकार इन निर्यातों को बनाए रखने के लिए बहुत से उपाय कर रही है। प्रमुख आयातकर्ता देशों के साथ द्विपक्षीय वस्त्र करार सम्पन्न किए गए हैं। बदलती हुई रुचियों तथा डिजाईनों को पूरा करने के लिए हमारे उत्पादों के विविधिकरण तथा साथ ही नए उत्पाद प्रचलित करने को प्रोत्साहन किया जा रहा है। हमारी वस्तुओं को स्वीकार्य बनाने तथा प्रतियोगी बनाने के लिए बाजार संवर्धन उपाय भी किए जाते हैं।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

*167. **श्री शशांक शेखर सान्याल** :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि मार्च, 1977 से मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग तथा बिना आय वाले वर्ग के दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं में मूल्यों में लगभग कोई कमी नहीं हुई है और ऐसी अधिकांश वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं ;

(ख) ऐसी स्थिति के क्या कारण हैं ;

(ग) ऊंचे मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) आगे क्या कार्यवाही की जा रही है तथा वह किन आशाओं के साथ की जा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) मार्च, 1977 से मध्यम और निचले आय वर्गों की दैनिक खपत की कई आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आमतौर पर घटे हैं अथवा लगभग स्थिर रहे हैं। तथापि, दाल जैसी कुछ वस्तुएं हैं, जिनके मूल्य अभी भी मार्च, 1977 से अधिक हैं।

2. सरकार ने उपभोज्य वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ती के रुख को रोकने और उनकी उपलभ्यता में सुधार करने तथा आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में एक समेकित उत्पादन तथा वितरण नीति तैयार करने के लिए कई उपाय किए हैं। जो उपाय किए गए हैं, उनमें से महत्वपूर्ण ये हैं :—

(i) प्रतिबन्धित मुद्रा तथा ऋण-नीति ;

(ii) गेहूं और चावल को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने पर से प्रतिबन्ध हटाना ;

(iii) केन्द्रीय पूल से अधिक अनाज देना ;

(iv) लेवी तथा बिना लेवी की चीनी अधिक मात्रा में देना ;

(v) लेवी तथा खुली बिक्री की चीनी के उत्पादन शुल्क में कमी करना ;

(vi) 9 अप्रैल, 1977 से चाय के निर्यात पर 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात शुल्क लगाना और साथ ही चाय के निर्यात पर दी जाने वाली छूट वापस लेना ;

(vii) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चाय को आवश्यक वस्तु घोषित करना ;

(viii) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन० सी० सी० एफ०) के माध्यम से बहुत से केन्द्रों में 16.50 रुपए प्रति किलोग्राम के फुटकर मूल्य पर बड़ी मात्रा में खुली चाय बेचना ;

(ix) मिट्टी का तेल अधिक मात्रा में सप्लाई करना ;

(x) दालों, हाथ से चुनी मूंगफली, खाद्य तेलों के निर्यात पर रोक जारी रखना ;

(xi) ताजी सब्जियों, जिनमें आलू भी शामिल है, जीरा तथा हल्दी के निर्यात पर रोक लगाना और प्याज का नियमित निर्यात ;

(xii) लगभग 10 लाख मीटरी टन सीमेंट के आयात की व्यवस्था करना ;

(xiii) खाद्य तेलों और कपास का बड़ी मात्रा में आयात करना ;

(xiv) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश भर में 7.50 रुपए प्रति किलोग्राम के फुटकर मूल्य पर आयातित परिष्कृत रेपसीड तेल बेचना ;

(xv) वनस्पति उद्योग को उनकी तेलों की मांग के 75 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच आयातित तेलों की आपूर्ति करना ;

(xvi) दालों, तिलहनों तथा खाद्य तेलों के बारे में व्यापारियों के लिए स्टाक सीमाएं लागू करना ;

(xvii) गेहूं, धान, चना, मूंगफली, सूर्यमुखी के बीज और कपास के समर्थन मूल्य में वृद्धि करना ;

(xviii) नेफेड द्वारा 1,0000 मीटरी टन मसूर की दाल का आयात।

3. इन उपायों के फलस्वरूप अगस्त, 1977 से कई आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में मूल्य स्थिति आमतौर पर काफी नरम रही है। यद्यपि, वर्ष के दौरान अंक से अंक की तुलना में 26 मार्च, 1977 को समाप्त हुए सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर 12 प्रतिशत, तथापि, 11 फरवरी, 1978 को समाप्त सप्ताह में मुद्रास्फीति की 1.2 प्रतिशत की ऋणात्मक दर थी। चावल, ज्वार, आलू, चाय, काफी, मूंगफली के तेल, बिनौले के तेल

वनस्पति, चीनी, खंडसारी और गुड़ जैसी कई आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष के सूचकांकों से काफी कम हैं।

4. सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उपलभ्यता पर लगातार नजर रखे हुए है और जब भी आवश्यक होगा इस संबंध में और समुचित उपाय किए जायेंगे।

भारतीय निर्यात माल का स्टैण्डर्ड

*168. **श्री के० ए० राजन :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को भारतीय निर्यात माल के स्टैंडर्ड के संबंध में विदेशों से शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और निर्यात माल के किस्म नियंत्रण के लिए तथा घटिया माल के निर्यात को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) समय-समय पर घटिया उत्पादों के निर्यातकों के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं।

क्वालिटी नियंत्रण तथा लदान पूर्व निर्यात निरीक्षण के निर्धारित मानकों को सख्ती से लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। निर्यात निरीक्षण को सुदृढ़ तथा सुप्रवाही बनाया जा रहा है। बहुत से इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात पूर्व निरीक्षण के बारे में विशिष्टियों के संशोधित न्यूनतम मानक तैयार किए जा रहे हैं। 1 जनवरी, 1978 से समुद्री उत्पादों के लिए संयंत्रगत निरीक्षण योजना आरंभ की गई है। घटिया माल के निर्यातों पर प्रभावी रोक लगाने की दृष्टि से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 को संशोधित करने की भी प्रस्थापना है।

लक्ष्मी कमर्शियल बैंक

*173. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपात स्थिति के दौरान लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के बैंक-ऋणों तथा उधार सौदों की जांच की है ;

(ख) क्या यह सच है कि लक्ष्मी कमर्शियल बैंक द्वारा दिए गए ऋण, अग्रिम राशियां तथा अन्तर्बैंक लेन-देन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों तथा शर्तों के विरुद्ध थे ; और

(ग) सरकार ने लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के शेयरों के बारे में तथा (एक) मधुसूदन लिमिटेड की निधियों ; (ख) बेन्जाई एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ; (तीन) कर्नाटक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ; (चार) नवरंग-लैबोरेटरीज ; (पांच) मैसर्ज मनसुख लाल एण्ड कंपनी, और संबंधित व्यक्तियों की अन्य फर्मों की निधियों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) दिसम्बर, 1977 में एक ज्ञापन जिसमें लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए थे तथा माननीय सदस्य द्वारा कुछ बातें कहीं गई हैं, सरकार को प्राप्त हुआ था। यह भारतीय रिजर्व बैंक को जांच तथा उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ज्ञापन में दिए गए विभिन्न आरोपों की जांच कर रहा है।

सरसों के तेल सम्बन्धी मूल्य नियन्त्रण आदेश का वापस लिया जाना

*174. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरसों के तेल के बारे में अपने उस मूल्य नियन्त्रण आदेश को वापस ले लिया है, जिसके द्वारा सरकार ने सरसों के तेल का मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और तेल की कीमत कम करने में इस आदेश का क्या प्रभाव पड़ा था ; और

(ग) जब इस आदेश को लागू किया गया, तब सरसों के तेल का खुले बाजार में मूल्य क्या था और बाद के महीनों में मूल्य प्रवृत्ति कैसी रही ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां ;

(ख) तथा (ग) 30 सितम्बर, 1977 को प्रख्यापित सरसों का तेल (कीमत नियंत्रण) आदेश जिसके द्वारा सरसों के तेल का अधिकतम अंतिम फुटकर मूल्य स्थानीय करों को मिलाकर और आधान की लागत को छोड़कर 10 रुपए प्रतिकिलो ग्राम निर्धारित किया गया था, 2 फरवरी, 1978 से रद्द कर दिया गया।

यह कीमत नियंत्रण आदेश सरसों के तेल के उस समय चल रहे ऊंचे भावों को रोकने के उद्देश्य से एक आकस्मिक उपाय के रूप में था। अधिसूचना जारी करने के समय केवल सरसों के तेल की कीमत तेजी से चढ़ रही थी, जबकि दूसरे खाद्य तेलों की कीमतों में कुछ नरमी आ रही थी। कीमत नियंत्रण आदेश के प्रख्यापित किए जाने के परिणामस्वरूप सरसों के तेल का थोक मूल्य सूचकांक जो 1 अक्तूबर, 1977 को 270.8 पर था, 28 जनवरी, 1978 को 210.9 तक गिर गया। सरसों के तेल के थोक मूल्य, जो सितम्बर, 1977 के अंत में 1250 रु० से 1350 रु० प्रति क्विंटल चल रहे थे जनवरी, 1978 की समाप्ति पर 900 रु० से 950 रु० प्रति क्विंटल तक कम हो गए। यह भी महसूस किया गया कि व्यापारिक क्षेत्र के कुछ तत्व इस आदेश की आड़ में फुटकर मूल्यों को 10 रु० प्रति किलो ग्राम पर बनाए रख सकते हैं। इन परिस्थितियों में फुटकर मूल्य को 10 रु० प्रति किलोग्राम निर्धारित रखने की कोई आवश्यकता न थी। इसलिए इस आदेश को 2 फरवरी, 1978 को रद्द कर दिया गया। इस समय सरसों के तेल का थोक मूल्य 10 रु० प्रति किलोग्राम से काफी कम चल रहे हैं।

सिक्यूरिटी पेपर मिल होशंगाबाद के लिए सामूहिक प्रोत्साहन योजना

*175. **श्री हरि विष्णु कामत : क्या वित्त** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दर्शाया गया हो कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सिक्यूरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से कुछ वर्ष पहले एक सामूहिक प्रोत्साहन योजना आरम्भ की थी जो सभी कर्मचारियों पर लागू होती है ;

(ख) यदि हां, तो इसको किस वर्ष तथा किस तिथि से लागू किया गया ;

(ग) क्या आपातस्थिति के दौरान कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन की राशि मनमाने ढंग से कम कर दी गई थी ;

(घ) यदि हां, तो कब से, कितनी प्रतिशत राशि कम की गई और इससे कौन सी श्रेणियों के कर्मचारी प्रभावित हुए ;

(ङ) क्या कर्मचारियों ने अपनी शिकायतों का समाधान कराने में विफल रहने के उपरांत केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जबलपुर के पास आवेदन किया था ;

(च) क्या यह सच है कि इस न्यायाधिकरण ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया ; यदि हां, तो इस न्यायाधिकरण ने किस तिथि को अपना आदेश दिया ;

(छ) क्या आपातस्थिति के दौरान कटौति की गई राशि को अभी तक बहाल नहीं किया गया है और प्रभावित कर्मचारियों को अभी तक उनकी देय राशि नहीं दी गई है ; और

(ज) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) यह स्कीम पहली जून, 1972 से लागू की गई थी ।

(ग) कार्यचालन भिन्न कर्मचारियों के संबंध में दिए गए प्रोत्साहन की मात्रा, अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार, कम कर दी गई थी ।

(घ) यह कमी पहली जनवरी, 1976 से की गई और यह कार्यचालन भिन्न सभी कर्मचारियों तथा लेखा, स्थापना, प्रशासन और सामान्य अनुभाग, डिस्पेंसरी, संपदा अनुभाग जैसे सभी कार्यचालन भिन्न अनुभागों के पर्यवेक्षी अधिकारियों पर भी लागू है ।

(ङ) पीड़ित कर्मचारियों के प्रतिवेदन के नामंजूर हो जाने के बाद उन्होंने औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रमिक न्यायालय में याचिका दायर की ।

(च) जी, हां । न्यायाधिकरण ने 12 मई, 1977 को कर्मचारियों के दावे को इसलिए मान्यता दी क्योंकि "यह परिवर्तन औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9-क के अधीन नोटिस देकर, लागू नहीं किया गया था"।

(छ) और (ज) पिछली कटौतियों को बहाल करने के लिए हिदायतें जारी कर दी गई हैं । भविष्य में, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा-9क के अधीन नोटिस दिया जाएगा और तब ही उचित निर्णय लिया जाएगा ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

*176. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** :

श्री बसंत साठे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1977 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 12 महीने का औसत अंक 320 से अधिक हो गया है ; और

(ख) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक और किस्त देने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1977 के अन्त में सूचकांक औसत के 320 अंकों को पार कर जाने के परिणामस्वरूप सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1-1-1978 से अतिरिक्त महंगाई भत्ते की एक और आगे किस्त की अदायगी करने का निर्णय किया है । जबकि महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त देने के लिए सरकार सहमत है लेकिन इस किस्त की अदायगी किस रूप में और किस प्रकार से की जाए, इस मामले पर सरकार राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) के कर्मचारी पक्ष के साथ विचार-विमर्श करना चाहती है ।

नेपाल को करेन्सी नोटों की तस्करी

*177. **श्री डी० जी० गवई :**

श्री दुर्गा चन्द :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1000 रु०, 5000 रु० और 10,000 रु० के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा किए जाने के बाद इन नोटों की नेपाल को बड़े पैमाने पर तस्करी होने की सरकार को जानकारी है ;

(ख) नेपाल के बैंकों के साथ इन नोटों की कुल कितनी करेंसी बदली गई है ; और

(ग) क्या इन नोटों को अवैध मुद्रा घोषित किए जाने से पूर्व और उसके बाद इस बारे में सरकार ने नेपाल सरकार से बातचीत की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह संकेत नहीं मिलता कि 1,000 रुपए और उससे ऊंचे मूल्य के नोटों को, विमुद्रीकरण के बाद बड़े पैमाने पर चोरी-छिपे नेपाल ले जाया गया।

(ख) नेपाल राष्ट्र बैंक ने दस-दस हजार रुपए के दो तथा एक-एक हजार के बीस नोट बदले थे। ये नोट नेपाल के महामहीम के सरकारी विभाग के पास थे।

(ग) ऊंचे मूल्यों के नोटों के विमुद्रीकरण पर, भारत सरकार ने नेपाल की महामहिम सरकार को सूचित किया था।

खाद्य तेल का आयात

*178. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य तेल की कमी को पूरा करने के लिए उसका आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए खाद्य तेल की अनुमानित कमी कितनी है तथा इसको आयात द्वारा कहां तक पूरा किया जाएगा ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसा सभी आयात राज्य व्यापार निगम के द्वारा करने का है अथवा गैर-सरकारी व्यापारियों को भी इस वस्तु का आयात करने की अनुमति दी जाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां।

(ख) तेल वर्ष नवम्बर, 1977—अक्तूबर, 1978 के दौरान तेल की सप्लाई सुविधाजनक बनाये रखने के लिए लगभग 9.50 लाख मीटरी टन खाद्य तेलों का आयात करने का प्रस्ताव है।

(ग) व (घ) निजी व्यापारियों को भी सीधी खपत के लिए खाद्य तेलों का आयात करने की अनुमति दी जायेगी, तथापि, अधिकांश आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जायेगा। निजी व्यापारियों द्वारा आयात किये जाने वाले तेल की किस्मों तथा सही मात्रा का निर्धारण अभी किया जाना है।

Amount payable by Pakistan according to Partition Agreement

*179. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pakistan has not paid even a single instalment of the amount payable to India as per partition agreement of movable and immovable assets between India and Pakistan concluded in 1947;

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard; and

(c) the details of the original amount to be paid and the amount outstanding now?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Pakistan's partition debt to India is of the order of Rs. 300 crores; the precise amount has not so far been agreed upon despite efforts made on various occasions. In the absence of any payment by Pakistan, the entire amount is outstanding. The question of resuming negotiations with Pakistan in this regard is constantly kept under review.

आपातकल के दौरान कर्मचारियों आदि की सेवा समाप्ति

*180. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या वित्त मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दर्शाया गया हो कि :

(क) आपातकाल के दौरान अमृतसर जिले में सामान्य जीवन बीमा निगम तथा उसकी शाखाओं में कुल कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की पदावनति की गई अथवा अधिकारी श्रेणी से निकाल कर गैर-अधिकारी श्रेणी में रखा गया और सेवा से निकाल दिया गया;

(ख) क्या उनको पदावनति/श्रेणी बाह्य और सेवा समाप्ति से पूर्व कोई आरोप-पत्र अथवा कारण बताओ नोटिस दिया गया था ;

(ग) क्या कार्यवाही करने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष पेश करने के लिए कोई अवसर दिया गया था ;

(घ) क्या उनके साथ हुई ज्यादती को समाप्त करने के लिए सरकार ने उनके मामलों पर विचार किया है ;

(ङ) यदि हां, तो आपातकाल के बाद इन लोगों की शिकायतें दूर करने में कितना समय लगने की संभावना है ; और

(च) क्या आपातकाल के दौरान उच्च अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग और कनिष्ठ अधिकारियों और जनता को परेशान करने के मामलों संबंधी अभ्यावेदनों का सरकार को पता लगा है, और यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) अमृतसर जिले में केवल एक अधिकारी (भूतपूर्व हावड़ा इंश्योरेंस कम्पनी का भूतपूर्व प्रभागीय प्रबंधक) का मामला ऐसा है जिसका साधारण बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद इस प्रयोजन के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिश पर विकास कर्मचारी के रूप में वर्गीकरण किया गया था। इसके बाद भारतीय साधारण बीमा निगम के अनुदेशों के अनुसार उन इंस्पैक्टरों के मामलों पर जिनके काम का खर्च अधिक पाया गया था, विचार करने के लिए न्यू इंडिया ऐश्योरेंस कम्पनी द्वारा एक छानबीन समिति गठित की गई थी। इस समिति ने ऐसे मामलों की समीक्षा की और संबद्ध अधिकारी के अधिक खर्च और उसके द्वारा प्राप्त किए गए कम व्यवसाय को देखते हुए उसे नौकरी

से निकाल देने की सिफारिश की। कम्पनी ने 27 मार्च, 1976 को उस नौकरी से निकाल दिया। उसने अपने वर्गीकरण और उसे नौकरी से निकाल दिये जाने के आदेश के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं दायर की थीं, लेकिन वे खारिज कर दी गई। वर्गीकरण के संबंध में उसकी रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए जाने के आदेश के खिलाफ उसने अपील के लिए विशेष अनुमति के वास्ते उच्चतम न्यायालय में याचिका दी है। उक्त अधिकारी ने अपीलीय समिति के सम्मुख भी अपना अभ्यावेदन दिया है। यह समिति उन अधिकारियों के मामलों पर विचार करने के लिए न्यू इंडिया ऐश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा हाल में गठित की गई है जो अपने प्रारम्भिक वर्गीकरण से संतुष्ट नहीं हैं।

(च) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

Competitive Examination for S.C. and S.T. in State Bank of India, Delhi

*181. **Shri Mahi Lal** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) Whether a competitive examination for promotion was held by the State Bank of India at its headquarter in Delhi in the third week of January, 1978 and whether the employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes were not given a chance to appear in the examination;

(b) whether one week before the examination, a Member of Parliament wrote a letter to the Minister of Finance about the indifferent attitude adopted by the Officers of the State Bank of India towards the Scheduled Caste employees working in the Bank;

(c) if so, the reaction of Government thereto; and

(d) whether Government propose to hold a separate competitive examination for the employees belonging to such castes?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel): (a) A written test for promotion to the Officers Grade II from the clerical cadre was held by the New Delhi Local Head Office of the State Bank of India on 22nd January 1978. State Bank of India has reported that all employees, including those belonging to the Scheduled Castes/Tribes who conformed to the eligibility criteria laid down by the bank were allowed to take the test. Of the total 1623 employees who appeared for the test, 16 were from Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(b) A letter dated 13th January, 1978 was received from the Hon'ble Member of Parliament on the subject.

(c) Government have recently advised all the public sector banks to provide for reservations in posts filled by promotion by suitably amending their existing promotion schemes. State Bank of India has reported that it is working on a new scheme to provide for reservation in promotion posts in accordance with Government instructions and hopes to finalise it soon.

(d) This suggestion will be considered by the Bank.

भारतीय परियोजनाओं में ईरान द्वारा पूंजी निवेश

*182. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान के शाह ने, जिन्होंने हमारे देश का फरवरी के पहले सप्ताह में दौरा किया था, अनेक भारतीय परियोजनाओं में ईरान द्वारा बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश करने का वचन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) पूर्वी तट पर बाक्साईट के भण्डारों के लिए अल्युमीना परियोजना, त्रिपुरा के लिए कागज और लुगदी का कारखाना और राजस्थान नहर का दूसरा चरण जैसी अनुमोदित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ईरान के शहनशाह ने पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन की कीमतों पर उधार अथवा एकमुश्त अदायगी पर जैसा भी उचित हो, प्रतिवर्ष अतिरिक्त कच्चे तेल की सप्लाई करने का प्रस्ताव रखा था यथा स्थिति अदायगी की किस्तों अथवा एकमुश्त रकम के बराबर भारत में एक रुपया निधि बनाई जा सकती है जिस से कि आवश्यकतानुसार इन परियोजनाओं की वित्त-व्यवस्था की जा सके।

दोनों सरकारों द्वारा इस मामले के ब्यौरे पर विचार-विमर्श किए जाने के बाद उसे अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

वर्ष 1977 के दौरान भारत-यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटक और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि

*183. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 के दौरान जितने विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की, उनकी संख्या गत वर्ष की अपेक्षा ज्यादा थी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और उस देश का नाम क्या है जिस देश से सबसे अधिक संख्या में पर्यटक भारत आए और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी हां।

(ख) 1976 के दौरान, 5,33,951 पर्यटकों ने भारत की यात्रा की थी और उसके मुकाबले में 1977 के दौरान, 6,40,422 विदशी पर्यटक भारत आये जो भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। दिसम्बर, 1977 के आंकड़ों का हिसाब अभी लगाया जा रहा है परन्तु जनवरी से नवम्बर, 1977 तक की अवधि के दौरान आये विदेशी पर्यटकों के देशवार विश्लेषण से पता चलता है कि भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों की अधिकतम संख्या यूनाइटड किंगडम से आने वालों की थी। उसी अवधि के दौरान इन पर्यटकों से अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा का अनुमान 27.2 करोड़ रुपये लगाया जाता है।

जहाजों द्वारा निर्यात का संवर्धन

1487. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन महानिदेशक ने नौवहन द्वारा निर्यात के संवर्धन संबंधी स्थायी समिति की अपनी अध्यक्षता में हुई हाल ही की एक बैठक में यह निर्णय लिया था कि जब भी 'लाइनर कान्फ्रेंसिज' जहाजों द्वारा माल भेजने वालों को अपने जहाज देने की स्थिति में न हों तो उनसे संबंध तोड़ लिये जायें ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उसके पश्चात् संबंध तोड़ने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई ; और

(ग) उक्त स्थायी समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और निर्यात व्यापार के संवर्धन हेतु निर्यातकों को तुरन्त जहाज उपलब्ध कराने के लिये अन्य क्या निर्णय लिये गये तथा भाड़ा दर में वृद्धि की प्रवृति को रोकने के लिये भाड़ा निर्धारण सूत्र का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : 8 नवम्बर, 1977 को नौवहन समिति के दूसरे सत्र में जिन मदों पर चर्चा हुई उनमें एक मद निर्यात खेपों के लिये शिपिंग/कांफ्रेंस लाइंस द्वारा शिपर्स को छूट प्रदान करने की क्रियाविधि बनाने का प्रश्न था। यह मामला उन निर्यातकों को अपने आस्थगित बट्टा-दावे खतरे में बिना गैर-कांफ्रेंस जहाजों का उपयोग करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से उठाया गया था जो किसी विशेष समय पर अपेक्षित जहाज में जगह नहीं प्राप्त कर सकते। बैठक में निर्यातकों तथा भारतीय लाइनर शिपिंग कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा, जो कांफ्रेंसों के सदस्य हैं; यह स्वीकार किया गया कि निर्यातकों को जहाज में अपनी जरूरत के मुताबिक जगह के संबंध में शिपिंग लाइंस/कांफ्रेंस सदस्यों को कम से कम 30 दिन का अग्रिम नोटिस देना चाहिए और शिपिंग लाइंस को इसके जबाव में ऐसे अग्रिम नोटिस के मिलने से 10 दिन के अन्दर निर्यातकों को यह सूचित करना चाहिये कि क्या वे जहाज में अपेक्षित स्थान की व्यवस्था कर सकेंगे अथवा नहीं। अगर सूचना नहीं दी जाती तो निर्यातकों को निष्ठा व्यवस्था की कोई क्षति पहुंचाए बिना अपनी मर्जी के जहाज का उपयोग करने की स्वतंत्रता होगी। तीन भारतीय नौवहन कम्पनियां यह मामला अपनी अपनी कांफ्रेंसों में उठाने के लिये सहमत हो गई हैं। नौवहन महानिदेशक ने इस क्रियाविधि को कार्यान्वित कराने के प्रयोजन के लिये निष्ठा—व्यवस्था वाली संबंधित नौवहन-कांफ्रेंस लाइंस के साथ औपचारिक रूप से यह मामला उठाया है। इस मामले में उनका अन्तिम निर्णय अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) स्कोप-शिपिंग के अध्यक्ष अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय हैं और यह प्रतिनिधि नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड, नौवहन महानिदेशक, राज्य व्यापार निगम, तीन भारतीय नौवहन कम्पनियों, चाय बोर्ड, पटसन आयुक्त, आल इंडिया शिपर्स कौंसिल बम्बई कोचीन मद्रास तथा कलकत्ता स्थित पतन न्यास फैड्रेशन आफ इंडियन एक्सपोर्टर्स आर्गेनाइजेशन, फैड्रेशन आफ कस्टम्स हाऊस एजेंट्स, एसोशिएशन व्यापार विकास प्राधिकारण आदि से लिये गये हैं। अब तक आयोजित स्कोप शिपिंग के तीन सत्रों में संवर्धनात्मक नौवहन सेवाएं शुरू करने, कन्टेनर सर्विस के संवर्धन, विभिन्न बाजारों को जाने वाली निर्यात खेपों के लिये समय पर तथा पर्याप्त कवरेज की व्यवस्था भारतीय जहाजों के लिये माल वाले ग्राहक ढूंढना, कार्गो यूनिटाइजेशन की विभिन्न पद्धतियों का संवर्धन पत्तनों में अपेक्षित अवस्थापना संबंधी सुविधाएं बढ़ाने संवर्धनात्मक समुद्री भाड़ा की दरें नियत करने के उपायों पर चर्चा हुई।

शिपिंग/कांफ्रेंस लाइनों तथा शिपर्स कौंसिल्स के बीच भाड़ा दरों में सामान्य वृद्धियों के प्रस्तावों के संबंध में परस्पर चर्चा की जाती है जिसमें सामान्य वृद्धि करने के समय तथा मात्रा बातचीत द्वारा तय की जाती है। उन निर्यात मदों के लिये विशेष व्यवहार हासिल करने के लिये सदैव प्रयत्न किये जाते हैं जो भाड़ा दरों में सामान्य वृद्धि का असर नहीं झेल सकती। विहित क्रियाविधि के अधीन शिपर्स को नौवहन महानिदेशक की जो यथार्थ मामलों में करता है सलाह लेकर विशिष्ट मामलों में भाड़ा दर समायोजन प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित शिपिंग/कांफ्रेंस लाइंस को आवेदन करना पड़ता है।

प्रशिक्षित बेरोजगार विमान चालकों के लिये नौकरियां

1488. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुत से प्रशिक्षित परन्तु बेरोजगार विमान चालकों को नौकरियां देने की एक योजना बनाई है ;

(ख) क्या उन्होंने 200 बेरोजगार विमानचालकों को एक दम रोजगार देने का वचन दिया है जैसा कि 28 दिसम्बर 1977 को रायपुर (मध्य प्रदेश) से एक समाचार एजेंसी ने खबर दी है ;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने बेरोजगार प्रशिक्षणाधीन एयर लाइन तकनीशियनों की दशा पर भी विचार किया है ; और

(घ) यदि हां तो क्या सरकार ने बेरोजगार प्रशिक्षणार्थियों के लिए भी कोई योजना बनाई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी हां। सरकार द्वारा बेरोजगार वाणिज्यिक विमान चालकों की नौकारी प्राप्त करने में सहायता करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं।

(I) बेरोजगार वाणिज्यिक विमान चालकों को नौकरी के पात्र बनाने के लिए नागर विमानन विभाग में सहायक एयरोड्रोम अधिकारी के पद की सीधी भर्ती के लिए नियमों को संशोधित कर दिया गया है। इस कार्यवाई के परिणामस्वरूप 72 ऐसे बेरोजगार विमान चालकों को सहायक एयरोड्रोम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

(II) जहां कहीं भी संभव हो इन बेरोजगार वाणिज्यिक विमानचालकों का उपयोग करने के लिये इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया और भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सलाह दी गई है।

(III) कृषि मंत्रालय खेती पर छिड़काव के परिचालनों के लिये कनवर्शन ट्रेनिंग के लिए बेरोजगार वाणिज्यिकों पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। उस मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिये फील्ड अफसरों के 19 पद भी सृजित किये हैं।

(IV) वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस धारियों के लिये नौकरी के लिये जहां कहीं भी संभव हो विचार करने के लिए राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है।

(V) विमान चालकों के पद पर हो रही भर्ती के मामले में सुपात्र उम्मीदवारों की स्थिति में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा बेरोजगार वाणिज्यिक विमानचालकों को आयु की सीमा में छूट दी जायेगी।

(ख) कोई वचन नहीं दिया गया था तथापि बेरोजगार विमानचालकों को उपरोक्त विभिन्न संगठनों में खपाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) : एयर कोरपोरेशन द्वारा प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (अप्रेंटिसेज़ ऐक्ट, 1961) की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार 1 से 4 वर्ष तक की नियत अवधि के लिये प्रशिक्षु लिये जाते हैं। क्योंकि प्रशिक्षु किसी विशेष व्यवसाय में रिक्त स्थानों के सन्दर्भ में नहीं लिये जाते हैं और वे स्वीकृत पदों के अलावा लिये जाते हैं, उन सब को खपाना संभव नहीं है। जब कभी भी कोई रिक्त स्थान सीधी

भर्ती द्वारा भरे जाने होते हैं, एयर कारपोरेशन में प्रशिक्षुओं को अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने की इजाजत दी जा रही है बशर्ते कि वे पद के लिये निर्धारित योग्यता और अनुभव की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों। उनके मामलों में, एयर कारपोरेशन में उनकी अप्रेंटिसशिप की अवधि की सीमा तक आयु और अनुभव में रियायत भी देती हैं।

Demand for changes in present structure of Taxation by Chamber of Commerce and Industry of Punjab, Haryana and Delhi

1489. Shri O.P. Tyagi, (M.P.) Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Chambers of Commerce and Industry of Punjab, Haryana and Delhi have demanded changes in the present structure of taxation of income of non-residents; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla): (a) It appears from a news item in the Indian Express of 1st February, 1978 that, in a Memorandum submitted to the Direct Tax Laws Committee (Chokshi Committee), the Punjab, Haryana and Delhi Chamber of Commerce and Industry have, *inter alia*, "called for a change in the Government's policy relating to taxation of non-residents". According to the Chamber, "there should be a realistic approach to taxing incomes of non-residents keeping in view the incentives which other nations provide".

(b) The Direct Tax Laws Committee would, no doubt, consider the suggestions made by the Chamber. As the Government have not had occasion to examine the details of the suggestions made by the Chamber in their Memorandum to the Direct Tax Laws Committee, it is not feasible to express any opinion in the matter.

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में परामर्शदाता के पद को समाप्त किया जाना

1490. **श्री एल० के० डोले :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिये बनाये गये परामर्शदाता के एक पद को इस बीच प्राधिकरण ने समाप्त कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) जी हां।

(ख) परामर्शदाता के पद का सृजन मुख्य रूप से उद्यमियों द्वारा अपेक्षित संभाव्यता रिपोर्टों को तैयार करने के लिये किया गया था। ऐसी आशा थी कि परामर्शदात्री अनुभाग आत्मनिर्भर होगा। चूंकि संभाव्यता रिपोर्टों के लिये अनुरोधों की संख्या घट गई है और परामर्शदाता का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया जाता था अतः प्राधिकरण ने इस पद को समाप्त करने का निर्णय लिया। परामर्शदात्री कार्य अब निदेशक द्वारा किया जा रहा है।

प्रदर्शनी तथा वाणिज्यक प्रचार निदेशालय के कर्मचारियों को भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में खपाया जाना

1491. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या **वाणिज्य तथा नागयरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रदर्शनी तथा वाणिज्यक प्रचार निदेशालय का भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण नामक एक सरकारी कंपनी बनाने के लिये विलय कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रदर्शनी तथा वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय के पहले सभी कर्मचारियों को भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में खपा लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें उनकी पिछली सरकारी सेवा में उनकी निकलने वाली देय राशि का भुगतान कर देने के पश्चात् ही प्राधिकरण में खपाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें पिछले लाभों अर्थात् उपदान और पेंशन सहित प्राधिकरण में खपाये जाने के लिये पत्र निश्चित रूप में कब तक मिलेंगे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : भूतपूर्व प्रदर्शनी तथा वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय के ऐसे अधिकारियों को भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा खपा लिया गया है जिन्होंने उस प्राधिकरण में सेवा करने की इच्छा व्यक्त की थी, तथा जिन्हें छानबीन समिति ने उपयुक्त पाया था । उनके खपाये जाने के संबंध में औपचारिक आदेश अभी तक जारी नहीं किये गये हैं क्योंकि उनकी पिछली सरकारी सेवाओं के बदले में होने वाले लाभों को वित्त मंत्रालय, कार्मिक विभाग तथा लोक उद्यम ब्यूरो से परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाना था । अब इन्हें अन्तिम रूप दे दया गया है तथा आदेश शीघ्र ही जारी कर दिये जायेंगे।

Disposal of Confiscated contraband Goods

1492. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the time by which and the manner in which the confiscated contraband unperishable goods from abroad still lying accumulated would be disposed of; and

(b) the types and quantity of such contraband articles as well as the places where they have been stored and whether there are arrangements to keep them properly?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) the question regarding the manner of disposal of confiscated goods sensitive to smuggling is under examination. The same is expected to be finalised shortly.

(b) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Schemes sent by the Government of Rajasthan for Approval of Central Government

1493. Shri Ramkanwar Berwa : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of schemes by the Government of Rajasthan and pending with the Central Government for approval and financial sanction and when each of these schemes was received, the proposal contained in each scheme and the present position of each of them;

(b) the number of those schemes, out of them, which will be approved for financial assistance and the amount sanctioned in respect of each of these schemes; and

(c) the names of the schemes which cannot be approved or for which funds cannot be made available and the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) (a), (b) & (c) The Annual Plan 1978-79 for Rajasthan has been finalised and an outlay of Rs. 235 crores has been approved. Schemes submitted by State Governments are scrutinised by the various administrative Ministries concerned. The Government of Rajasthan have been requested to intimate the details of the schemes submitted by them for which sanction has not so far been given by the Central Government. On receipt of the details from the State Government, the various administrative Ministries concerned will be requested to expedite scrutiny of the schemes.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा 1975-76 और 1976-77 के दौरान खरीदा गया लौह अयस्क

1494. **श्री के० प्रधानी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान सैक्टर-वार खरीदे गये ब्यौह अयस्क की मात्रा के बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क की सेक्टरवार खरीद

(लाख मे० टन में)

सेक्टर	1975-76	1976-77
बाड़ाजाम्दा (बिहार/उड़ीसा) . .	25.75	17.90
दायत्री/गांधमर्धन (उड़ीसा खनन निगम) (उड़ीसा) . .	10.20	8.39
वदमपहाड़ (बिहार)	0.70	0.90
कीरीबरू (राष्ट्रीय खनिज विकास निगम) (बिहार) . .	0.93	—
बैलाडीला (राष्ट्रीय खनिज विकास निगम) (मध्य प्रदेश) .	46.92	50.03
बिल्लारी/हास्पेट (कर्नाटक) .	39.89	29.97
चितलदुर्ग/चिक्कननायकाना हल्ली (कर्नाटक) . .	1.65	1.23
गोआ	4.27	3.92
रेंडी (महाराष्ट्र)	7.54	7.74
अन्य सेक्टर	1.18	1.06
योग	139.03	121.14

इंडोनेशिया में संयुक्त उद्यम के बारे में शिकायतें

1495. **श्री शरद यादव :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया में एक संयुक्त उद्यम परियोजना के लिये मार्च 1977 में दी गई स्वीकृति के प्रश्न पर सरकार को दिसम्बर 1977 में और अब तक और नयी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो नयी शिकायतों की मुख्य बातें क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि उक्त संयुक्त उद्यम में भारतीय भागीदारों के कुछ व्यक्ति घोषित अपराधी हैं और भारतीय सरकार गिरफ्तार करने के लिये उन्हें ढूंढ रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और संयुक्त उद्यम के ऐसे कार्यक्रम को बदलने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया जा रहा है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) तथा (ख) : जी हां। शिकायत करने वालों द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच की गई थी और यह पाया गया कि इस मामले में संयुक्त उद्यम को दी गई स्वीकृति रद्द करने का कोई मामला नहीं था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हथकरघा निर्यातकर्ताओं द्वारा नकद राशि के रूप में दिये जाने वाले प्रोत्साहन में वृद्धि करने का अनुरोध

1496. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा निर्माताओं ने नकद राशि के रूप में दिये जाने वाले निर्यात संबंधी प्रोत्साहन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) तथा (ख) : हथकरघा निर्यातकों ने नकद प्रतिपूरक सहायता की दर बढ़ाने का अनुरोध किया है। नकद प्रतिपूरक सहायता की दरों को अंतिम रूप सरकार इन अभ्यावेदनों सहित सभी संयुक्त बातों पर विचार करने के बाद देती है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा बैंकिंग लाइसेंसों का रद्द किया जाना

1497. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) वर्ष 1975, 1976 और 1977 में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने किन किन नगरीय सहकारी बैंकों और अन्य बैंकों के बैंकिंग लाइसेंस रद्द किये ; और

(ख) प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण थे ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान 2 नगरीय सहकारी बैंकों को उनके नामों के आगे दिये गये कारणों की वजह से बैंक व्यवसाय के लिए लाइसेंस जारी करने से मना किया गया था :—

क्रम संख्या	बैंक का नाम	राज्य	लाइसेंस मना करने के कारण
1	2	3	4
1.	पनूर कोआपरेटिव अरबन बैंक, पनूर	1975	(1) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है), की धारा 11 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफलता।
2.	पुनालूर कोआपरेटिव अरबन बैंक, पुनालूर	केरल केरल	

1	2	3	4
3.	बेटगेरी अरबन कोआपरेटिव बैंक, बेटगेरी	कर्नाटक	(2) उनकी परिसंपत्ति के मूल्यों में कटौती का जमाओं पर प्रभाव पड़ा है तथा बैंकों ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22(3)(क) के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया।
4.	मर्कन्टाइल कोआपरेटिव बैंक, जयपुर	1976 ——— राजस्थान	(3) बैंक का कार्य संचालन इस प्रकार किया गया जो कि उक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) को देखते हुए ग्राहकों के हित में हानिकर है।
5.	युनियन कोआपरेटिव बैंक, जयपुर	तदैव	
6.	बांसवाडा कोआपरेटिव बैंक	तदैव	
7.	पटना अरबन कोआपरेटिव बैंक, पटना	बिहार	जैसा कि ऊपर दिया गया है। इसके अलावा बैंक उक्त अधिनियम की धाराएं 18 और 24
8.	हुबली मुस्लिम कोआपरेटिव बैंक, हुबली	कर्नाटक	का अनुपालन करने में असफल रहा।
9.	रोन अरबन कोआपरेटिव बैंक, रोन	कर्नाटक	
10.	आरे मिल्क कालोनी कोआपरेटिव बैंक, बम्बई	1977 ——— महाराष्ट्र	जैसा कि क्रम संख्या 1 से 8 के लिए दिया गया है।
11.	बम्बई पीपुल्स कोआपरेटिव बैंक, बम्बई	महाराष्ट्र	

इसके अलावा, महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 11क (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, महाराष्ट्र ने नीचे लिखे, तीन बैंकों का परिसमापन कर दिया।

क्रम संख्या	बैंक का नाम	राज्य	लाइसेंस मना करने के कारण
1	2	3	4
1.	बम्बई कमर्शियल कोआपरेटिव बैंक, बम्बई	महाराष्ट्र	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) की धारा 11 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने के कारण। इस बैंक को भी लाइसेंस नहीं दिया गया था।
2.	घाटकोपर जनता सहकारी बैंक	1976 ——— महाराष्ट्र	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों के लिए है) की धारा 11 के उपबंधों का अनुपालन न कर सकने के कारण। बैंक को एक लाइसेंस जारी किया गया था लेकिन परिसमापन के कारण लाइसेंस रद्द करने का प्रश्न नहीं उठा।

1	2	3	4
3.	मालवां कोग्रापरेटिव ग्ररबन बैंक लि०	1976 ——— महाराष्ट्र .	(1) बैंकिंग विनियमन ग्रधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है) की धारा 11 के उपबंधों का ग्रनुपालन करने में ग्रसफल रहने के कारण । (2) बैंक के कार्य का संचालन इस प्रकार किया गया जो कि उक्त ग्रधिनियम की धारा 22(3)(ख) को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों के हितों में हानिकर था ।

भारतीय रिजर्व बैंक में निर्यातकर्ताग्रों का पंजीकरण

1498. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) भारतीय रिजर्व बैंक में निर्यातकर्ताग्रों के पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है ग्रौर वर्तमान प्रक्रिया कब से चालू है,

(ख) 1 जनवरी, 1978 को भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों से कोड नंबर प्राप्त निर्यातकर्ताग्रों की कुल संख्या कितनी है, ग्रौर प्रथम पंचवर्षीय योजना (1956) की समाप्ति के समय यह संख्या कितनी थी ग्रौर तीसरी पंचवर्षीय योजना (1966) की समाप्ति के समय यह संख्या कितनी थी,

(ग) जनवरी, 1978 में, प्रथम योजना की समाप्ति (1956) ग्रौर तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति (1966) के समय इन निर्यातकर्ताग्रों में से कितनी विदेशी फर्में ग्रौर सरकारी क्षेत्र की कंपनियां थीं, ग्रौर

(घ) इस समय कोड नंबर प्राप्त कितने निर्यातकर्ता ऐसे हैं, जिन्होंने पूरे पिछले वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में केवल दो ग्रथवा दो से कम निर्यात सौदे किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने शीघ्रता से ग्रांकड़े संकलित करने ग्रौर उन पर ग्रागे की कार्रवाई करने की सुविधा के लिए "निर्यातकों को दिये गये 1966 के ग्रपने नोटिस संख्या 2" में 14 सितम्बर 1966 को निर्यातकों को कोड नंबर देने की एक योजना शुरू की थी। सभी निर्यातकों से ग्रपेक्षा की गई थी कि वे 31 दिसंबर, 1966 से पहले कोड नंबर प्राप्त कर लें। यह 1 जनवरी, 1967 से प्रभावी हो गयीं।

भारत में निर्यात का कारोबार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति/फर्म/कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक से एक कोड नंबर लेना होता है। इस प्रयोजन के लिए निर्यातक को निर्धारित प्रपत्र में एक ग्रावेदन पत्र भारतीय रिजर्व बैंक के समीपस्थ कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए।

ग्रावेदन पत्र प्राप्त करने पर भारतीय रिजर्व बैंक की वह शाखा, जिसके क्षेत्राधिकार में निर्यातक द्वारा कारोबार किया जा रहा हो, एक कोड नंबर देगी जिसे सीमाशुल्क डाक अधिकारियों के सम्मुख घोषणा करने के लिए निर्धारित सभी प्रलेखों में निर्यातक के हस्ताक्षर के नीचे प्रदर्शित करना ग्रावश्यक है।

यह योजना ग्रब ग्यारह वर्ष से कुछ ग्रधिक ग्रवधि से चालू है।

(ख) चूंकि यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की समाप्ति के बाद प्रारम्भ की गई थी इसलिए वर्ष 1956 और 1966 के आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं। पहली जनवरी 1978 को कोड संख्या वाले निर्यातकों की कुल संख्या 74,992 थी।

(ग) और (घ): सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

काले धन वाले लोगों द्वारा बेनामी सौदे

1499. **श्री यशवन्त बोरले**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काले धन वाले लोगों को गैर-करेंसी आस्तियों में विशेषतया बेनामी सौदे उनके प्रमुख साधन हैं और ये लोग हमारी अर्थ व्यवस्था में एक अवैध और रूपान्तर अर्थव्यवस्था बनाये रखते हैं और उसे प्रोत्साहन देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन सौदों को अवैध घोषित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) और (ख) यह सत्य है कि कर की चोरी के लिए अपनाये जाने वाले विभिन्न तरीकों में बेनामी लेन-देन भी एक तरीका है। विभिन्न समितियों ने, जिनमें प्रत्यक्षकर जांच समिति (वांचू समिति) शामिल है, इस पर विचार किया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281-क, ऐसी संपति के संबंध में, जो बेनामी ठहराई जाती है, स्वामित्व का दावा करने के लिये किसी भी न्यायालय में मुकदमा दायर करने पर तब तक रोक लगाती है जब तक इस संबंध में निर्धारित अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं की जाती है।

Opening of Rural Banks in Adivasi areas in Gujarat

1500. Shri Chhitubhai Gamit: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether there was any old scheme to open rural banks in rural areas, if so, details thereof;

(b) whether rural banks will be opened in Adivasi areas in Gujarat, if so, the places in Gujarat where such banks will be opened; and

(c) the number of such banks to be opened in Adivasi areas in Surat district and the places where these banks are proposed to be opened there?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a), (b) and (c) In terms of the provision of the Regional Rural Banks Act, 1976, 48 Regional Rural Banks were established in 16 States in 87 districts in areas having development potential, but which were not adequately served by institutional credit agencies. The question of setting up of more Regional Rural Banks in the country, including Gujarat, will be considered in the light of the recommendations of the Dantawala Committee, set up by the Reserve Bank of India, to evaluate the working of the Regional Rural Banks already established.

Value of Blankets and Pillows purchased by IAC

1501. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the number of blankets and pillows purchased by Indian Airlines and the names of the firms from which these purchases were made during the period from April, 1976 to 15th February, 1978 as also the value of such purchases made in each case; and

(b) the dates on which the old blankets and pillows used in passenger aeroplanes were sold during the last three years indicating the number thereof sold each time and whether besides the blankets and pillows any other articles were also sold and if so, the income earned thereby and the details of such other articles?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) and (b) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Loans given to farmers for Agricultural purpose

1502. Shri Amarsinh V. Rathawa: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether loans are given to the farmers for agriculture purposes by the nationalised banks in the country;

(b) if so, the loans given to the big, middle and small farmers and to agricultural labourers by the banks in each State during last year;

(c) the terms and conditions for giving loans to them; and

(d) the number of persons who applied for loans and the number of persons out of them who were not given loans and the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) Yes, Sir.

(b) The particulars of disbursement of agricultural loans (direct-short and term) according to the size of landholding are as in the attached statement. [Placed in Library. *See* No. L.T. 1658/78]

(c) The terms and conditions for advances to agriculture depend upon the purpose of the advance and also vary from bank to bank, but they are generally as follows:

	Period	Rate of interest	Security	Margin
1. Short-term loans	Not exceeding 12 to 15 months.	10-1/2 % to 16-1/2 %	Charge on standing crops.	Nil
2. Term loans	3 years (5 years in the case of small farmers).	8-1/2 % to 16-1/2%	Upto Rs. 2000 against surety of 1 or 2 persons.	Upto 25% of the cost of investment.

Above Rs. 2000 hypothecation of land if available; where no tangible security is available group guarantee is obtained.

Relaxation in the above terms and conditions in the case of agricultural finance provided to small/marginal farmers and landless labourers are given as under:

(i) the rate of interest is lowered, viz. these range between 10-1/2% and 13-1/2% and between 8-1/2% and 13-1/2% for short and term loans respectively.

(ii) Security by way of mortgage of land is taken only if land is available and even if land so available is inadequate as security, loans are made available by accepting other types of securities such as individual guarantees, group guarantees, etc.

(iii) No margin is insisted upon. Whenever commercial banks avail themselves of refinance facilities provided by the Agricultural Refinance & Development Corporation, the terms and conditions as stipulated by the Corporation are adhered to.

(d) Information regarding the number of applications received and in which loans were not given is not available. However, some of the reasons for rejection are:

(i) borrower does not complete required formalities, (ii) does not evince sufficient interest and fails to turn up at the bank, (iii) indebtedness in repayment to other credit institutions.

केन्द्रीय सरकार के अधिकतम और न्यूनतम

वेतनभोगी कर्मचारियों का अनुपात

1503. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधिकतम और न्यूनतम वेतनभोगी कर्मचारियों का क्या अनुपात है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस अनुपात में अन्तर को न्यूनतम करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 13-12-1977 के की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के उच्चतम और निम्नतम वेतन का अनुपात निम्न प्रकार है :—

11.6 : 1 (कर से पहले)

9.3 : 1 (कर के बाद)

(ख) और (ग) सरकार ने 13-10-1977 के संकल्प के द्वारा मजदूरी, आय और कीमतों के संबंध में पहले ही एक अध्ययन दल को स्थापना की हुई है जो अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी और अधिकतम मजदूरी के बीच के अन्तर को निर्धारित करने के लिए संगत मापदंडों के बारे में और इस बारे में भी विचार करेगा कि क्या न्यूनतम-अधिकतम मजदूरियों के बीच का अनुपात समान होना चाहिए अथवा वह विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकता है।

स्वदेशी पोलीटेक्स लिमिटेड, गाजियाबाद द्वारा विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग करने संबंधी शिकायतें

1504. **श्री क० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा मुद्रा का दुरुपयोग किये जाने और सरकार के साथ भारी धनराशि की धोखाधड़ी करने के बारे में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच पूरी कर ली गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ; और

(घ) उसमें अन्तर्ग्रस्त पाये गये ऐसे सभी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार को स्वदेशी पोलीटेक्स लिमिटेड गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के खिलाफ प्राप्त दो शिकायतों में से एक जुलाई 1976 में और दूसरी नवम्बर 1977 में, प्राप्त हुई । इन शिकायतों में अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अनैतिक चलन के बहुत से आरोप लगाये गये हैं ।

(ख), (ग) तथा (घ) जुलाई, 1976 में प्राप्त हुई शिकायत के सम्बन्ध में प्रवर्तन निदेशक ने स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री सीता राम जयपुरिया को उनके द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 14 के उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने के परिणामतः, कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उक्त मामले में न्यायनिर्णय के परिणामतः श्री जयपुरिया पर 3000/- रु० का अर्थदण्ड लगाया गया है। 830 डालर के मूल्य की विदेशी मुद्रा को जो यात्री चेकों के रूप में थी, इस आशय के निदेशों के साथ छोड़ दिया गया कि उसे सात दिनों के भीतर प्राधिकृत व्यापारी को सौंप दिया जाये। उक्त विदेशी मुद्रा प्राधिकृत व्यापारी को सौंप दी गयी है और इस आशय का एक प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है।

नवम्बर 1977 में प्राप्त हुई दूसरी शिकायत के सम्बन्ध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है।

Tourist Rest House for Sawai Madhopur (Rajasthan)

1505. Shri Meetha Lal Patel: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Government have granted sanction for construction of a tourist rest house in Sawai Madhopur, Rajasthan for the convenience of tourists and if so, the details thereof and the time by which construction work of this rest house is likely to be completed, the estimated cost involved therein and the details of accommodation facility there; and

(b) whether fresh sanction has been accorded for construction of such new rest houses also at some other places in the state; and if so, the names of such places?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) No, Sir.

(b) Sanctions have been issued for the extensions of the Tourist Bungalows at Jaisalmer and Deeg.

नई दिल्ली में इंजीनियरी व्यापार मेले के लिये समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रचार के लिये सहायता

1507. **श्री लखन लाल कपूर:** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग एसोसीयेशन ने नई दिल्ली में इंजीनियरी व्यापार मेले के लिये समाचारपत्रों के माध्यम से प्रचार करने हेतु सरकार से कोई सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के कितने सूचना अधिकारी तथा कितने अन्य अधिकारी एसोसियेशन को काम के लिये दिये गये ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) मेले के लिये समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रचार के सम्बन्ध में कुछ अधिकारियों ने एसोसिएशन को सहायता दी। उन्होंने यह कार्य अपने सामान्य कार्यभार के अलावा किया। अतः एसोसिएशन के काम के लिये पूर्णतः उनके दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेशों में हाथ में ली गई परामर्शदात्री, 'टर्न की' तथा अन्य प्रकार की परियोजनायें

1508. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने विदेशों में कितनी परामर्शदात्री, 'टर्नकी' तथा अन्य प्रकार की परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया है ;

(ख) उसके परिणामस्वरूप हमारे देश को कितना लाभ हो रहा है ;

(ग) भावी कुछ वर्षों में इसी प्रकार की परियोजनाओं में साझेदारी सम्बन्धी योजनाएं क्या हैं ; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं कि इसका हमारी स्वयं की विकास योजनाओं पर कोई कुप्रभाव न पड़े ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग) और (घ) उपलब्ध सूचना अनुबन्ध में दी गई है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 1689/78]

मै० एशियन केबल्स द्वारा लाइसेंस का दुरुपयोग

1509. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियन केबल्स ने, जिसके गोयंका बन्धु और डैकन बन्धु मालिक और नियन्त्रक हैं, पोलिथीलीन का आयात किया और बम्बई में एशियन वल्स के कारखानों में पोलिथीलीन पाइप का निर्माण करने के लिये पोलिथीलीन का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस प्राप्त किया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस कारखाने में केबलों का निर्माण करने की क्षमता है, न कि पोलिथीलीन पाइपों की;

(ग) क्या यह सच है कि उन्होंने कीमती आयातित दुर्लभ कच्चे माल को काले बाजार में बेच दिया और इस प्रकार भारी मात्रा में काला धन कमाया;

(घ) क्या यह भी सच है कि उसी कम्पनी को $3\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये मूल्य का अब आयात लाइसेंस दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वे लाइसेंस का दुरुपयोग नहीं करेंगे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) : मैसर्स एशियन केबल्स, बम्बई ने 1967 में बम्बई स्थित अपनी फैक्ट्री में पोलिथीलीन इन्सुलेशन वाले केबल्स के विनिर्माण के लिये लो-डेन्सिटी पोलिथीलीन मोल्डिंग पाउडर के आयात के लिये लाइसेंस प्राप्त किया था ।

(ख) फर्म में मूलतः केबलों का विनिर्माण करने की क्षमता है और वह पोलिथीलीन पाइपों के विनिर्माण के लिये तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में नहीं है ।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच से प्रकट होता है कि कम्पनी ने आयातित मोल्डिंग पोलिथीलीन पाउडर का अवैध रूप से दुरुपयोग किया था ।

(घ) क्रास लिंक्ड बिजली के केबल्स के विनिर्माण के लिये उपस्करों के आयात के निमित दिसम्बर 1976 में 59 लाख रु० तथा 68 लाख रु० मूल्य के दो लाइसेंस जारी किये गये थे। इसके अतिरिक्त, 1975, 1976 तथा 1977 के दौरान कम्पनी द्वारा केबल्स तथा तारों के विनिर्माण किये जाने हेतु कच्चे माल तथा फालतू पुर्जों के आयात के लिये 1,75,50,631 रु० मूल्य के 6 लाइसेंस तथा एक रिलीज आर्डर जारी किये गये थे।

(ङ) ये लाइसेंस समय-समय पर प्रवृत आयात नीति के अनुसार जारी किये गये थे। प्रत्येक लाइसेंसधारी से आशा की जाती है कि वह उसे दिये गये लाइसेंसों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिये तथा उन शर्तों के अनुसार करे जिनके अधीन लाइसेंस जारी किये जाते हैं।

सरकारी एजेन्सियों द्वारा गुड़ और शक्कर की खरीद

1511. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या : **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुड़ और शक्कर के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिये खुले बाजार से इन वस्तुओं की खरीद प्रारम्भ कर दी है ;

(ख) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर उन वस्तुओं की खरीद के लिये केन्द्र खोले गये हैं;

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत मिली है कि गुड़ तथा शक्कर की खरीद करने वाली एजेन्सियों ने थोक व्यापारियों के साथ सांठगांठ कर रखी है और वे किसानों के लिये अधिक उपयोग की नहीं है; और

(घ) जनवरी 1978 के अंत तक कितना गुड़ तथा शक्कर खरीदा गया और उसका मूल्य क्या था तथा सरकार का इन वस्तुओं का निपटान किस प्रकार से करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिये कि गुड़ के मूल्य लाभकर स्तर से नीचे न गिरें, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नेफेड) से कहा गया है कि वह देश की महत्वपूर्ण मंडियों में गुड़ की खरीद करे और उन बाजारों में उसे बेचे जहां मूल्य ऊंचे चल रहे हैं।

(ख) एक विवरण, जिसमें जानकारी दी गई है, अनुबंध में है।

(ग) जी नहीं।

(घ) नेफेड ने 31-1-1978 तक कुल 13,000 क्विंटल की खरीद की है। इस स्टाक की खरीद 105 रुपये से 112 रुपये प्रति क्विंटल की दरों से की गई है। खरीदे गए उक्त स्टाक में से लगभग 50% मात्रा गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि के खपत क्षेत्रों में बेचने के लिए भेजी जा चुकी है।

विवरण

उन स्थानों के नाम जहां गुड़ की खरीद के लिये केन्द्र खोले गए हैं :

जिला मेरठ (उ० प्र०)

मेरठ

मवाना

सरधाना

बड़ौत

जिला गाजियाबाद (उ० प्र०)

हापुड़
मुरादनगर

जिला बुलन्दशहर (उ० प्र०)

बुलन्दशहर
गुलौथी
जहांगीराबाद
सियाना

जिला मुजफ्फरनगर (उ० प्र०)

मुजफ्फरनगर
शामली
खतौली

जिला सहारनपुर (उ० प्र०)

सहारनपुर
गंगोह
मंगलौर

जिला कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

कोल्हापुर

उर्वरकों पर उत्पाद शुल्क

1512. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों पर उत्पाद शुल्क में कमी करने का निर्णय किया है ,

(ख) यदि हां, तो इसमें कब कमी की जायेगी ; और

(ग) कितनी कमी की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) सिंगल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट उर्वरकों को शुल्क के उतने भाग से छूट पहले ही मिली हुई है, जो मूल्यानुसार $7\frac{1}{2}\%$ से अधिक हो; शुल्क प्रदत्त उर्वरकों से, शक्ति की मदद के बिना निर्मित उर्वरकों और शक्ति की मदद से बनाये गये मिश्रित उर्वरकों को भी समस्त शुल्क से छूट है; कतिपय निर्दिष्ट औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त उर्वरकों और कृषि संबंधी फिट किये विरल तत्व अथवा अणुपोष अथवा मृदा स्थायित्वकारी के रुप में ज्ञात उर्वरकों को भी समस्त उत्पादन शुल्क से छुट दी गई है; शुल्क में कमी करने का कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

मजूरी, आय और मूल्यों के बारे में भूतलिंगम समिति के सदस्यों का त्याग-पत्र

1513. **डा० बापू कालदाते :**
श्री चित्त बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजूरी, आय और मूल्यों सम्बन्धी समिति (भूतलिंगम समिति) के अनेक सदस्यों ने समिति से त्यागपत्र दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समिति के कार्य को छोड़ दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति का पुनर्गठन करने के लिए क्या प्रबन्ध किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होते ।

Exemption in Excise Duty to Sugar Mills and Khandsari Units

1514. Shri Ram Dhari Shastri: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the actual loss of revenue suffered by Government of India as a result of seventeen and half per cent exemption granted to sugar mills in excise duty during the current season so far; and

(b) the reasons for not granting exemption in excise duty to Khandsari units during this period?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Aggarwal): (a) Sir, the loss of revenue as a result of $17\frac{1}{2}\%$ exemption, on free sale of sugar, upto 28-2-78 is about Rs. 21.7 crores.

(b) Since the grant of exemption to Vaccum Pan sugar, Government have been keeping the situation under watch. As a result thereof, duty on Khandsari sugar has been reduced from 15% *ad valorem* to $7\frac{1}{2}\%$ *ad valorem* with effect from 4-2-78. Suitable reduction has also been made in the weekly rates of compounded levy for units working under compounded levy scheme from the week beginning from 8th February, 1978.

बैंक कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण

1515. **श्री चित्त बसु** :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मचारी अपने वेतनों के पुनरीक्षण के लिये आन्दोलन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार त्रिपक्षीय तंत्र के माध्यम से बातचीत द्वारा इस मामले को हल करने का है, और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम. पटेल) : (क), (ख) और (ग) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने बैंक कर्मचारियों द्वारा रखी गई वेतन संशोधन की मांग पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत समझौते की कार्रवाई आरम्भ कर दी है । समझौते की कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है ।

वेतन तथा बोनस में वृद्धि के लिये कर्मचारियों के बढ़ते आन्दोलनों के सम्बन्ध में कार्यवाही

1516. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतलिंगम समिति का कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्तरिम प्रतिवेदन निकालने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वेतन और बोनस में वृद्धि करने के बारे में कर्मचारियों के बढ़ते हुए आन्दोलनों के प्रति सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कोई अन्तरिम रिपोर्ट नहीं मांगी गई है ।

(ग) सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि भूतलिंगम समिति के गठन का उद्देश्य यह नहीं है कि वह मजदूरी स्थिर कर देना चाहती है तथा इस मामले पर श्रमिकों के साथ बातचीत नहीं की जा सकती है । बल्कि, सरकार एक ऐसी नीति निर्धारित करना चाहती है जो सभी के लिए हितकारी सिद्ध हो । सरकार इस विषय में किसी नीति को अन्तिम रूप देने से पहले केन्द्रीय मजदूर संघ/संगठनों से विचार-विमर्श करना आवश्यक समझती है ।

वनस्पति में ताड़ के तेल की प्रतिशतता

1517. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि इण्डियन वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन और आयल टेक्नोलाजिस्टस एसोसियेशन आफ इण्डिया ने सिफारिश की है कि वनस्पति में ताड़ के तेल की वर्तमान प्रतिशतता को 20 प्रतिशत से बढ़ा कर 40 प्रतिशत कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ परामर्श करके जांच की गई है और यह पाया गया है कि इस वृद्धि से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी, हां । इण्डियन वनस्पति प्रोडयूसर्स एसोसिएशन ने ऐसा अनुरोध किया था ।

(ख) इस प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय को यह पता चला था कि आमतौर पर वनस्पति बनाने में ताड़ के तेल का 20% से अधिक प्रयोग अंतिम उत्पाद के गलन बिन्दू को 37° सेंटीग्रेड की अधिकतम अनुमत सीमा से ऊपर बढ़ाये बगैर संभव नहीं है ।

Tourism Development Schemes for Orchha in Tikamgarh District

1518. Shri Laxminaryan Nayak : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take over the execution of tourism development schemes for Orchha, a place of pilgrimage and historic importance in Tikamgarh district; and

(b) the tourism development schemes proposed to be undertaken by the Centre in Orchha?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) and (b) There is no proposal at present to undertake the development of tourist facilities at Orchha in the Central Sector.

Import of Rapeseed Oil

1519. **Shri G.P. Yadav :**
Dr. Ramji Singh :

Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state the quantity of rapeseed oil imported from foreign countries last year ?

Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Shri K.K. Goyal): During the oil year 1976-77 (November, 1976-October, 1977), State Trading Corporation had imported 1,25,600 tonnes of rapeseed oil.

बागान उद्योग के लिए मशीनरी और उपकरणों के आयात को उदार बनाना

1520. **श्री के० रामभूर्ति :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान उद्योग के लिए मशीनरी और उपकरणों के आयात को उदार बना दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सरकार को बागान उद्योग के लिए मशीनों तथा उपस्कर के आयातों को उदार बनाने के सम्बन्ध में ऐसे कोई विशिष्ट सुझाव नहीं मिले हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Air Accidents occurred during the period from March, 1977

1521. **Shri Brij Bhushan Tiwari :**
Shri Amarsingh V. Rathawa :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether some air accidents have occurred during the last ten months;

(b) if so, the number thereof from March, 1977 to date;

(c) the causes of the air accidents;

(d) the number of persons killed and injured in each accident;

(e) the amount of compensation paid to the injured and to the next of kins of the deceased;

(f) the amount of loss suffered by Government in each accident; and

(g) the steps taken by Government to make up the loss of aeroplanes thus suffered ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) Yes, Sir.

(b), (c) and (d) A statement giving the requisite information is attached (Statement-I).
[Placed in Library *See* No. L.T. 1690/78].

(e) A statement giving the requisite information is attached (Statement-II).

(f) The information is being collected, and will be placed on the Table of the Sabha.

(g) Out of 18 notifiable air accidents that occurred during the period March, 1977 to 24th February, 1978 only two aircraft were totally destroyed. The Dakota aircraft was replaced with another second hand DC-3 (Dakota) aircraft at a total cost of Rs. 3.50 lakhs. Air India have taken a decision to replace the lost-aircraft by purchasing a new Boeing 747 aircraft for delivery in October 1979. A letter of intent for this purchase has already been placed on Boeing Company.

आपात स्थिति होने के पश्चात् विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम के अन्तर्गत तस्करी के लिये गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

1522. **श्री शिव सम्पत्ति राम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति समाप्त होने के पश्चात् विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम के अन्तर्गत तस्करी की गतिविधियों में लगे कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ख) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और क्या उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने पहले यह प्रतिज्ञा की थी कि वे तस्करी की गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे और देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) आपातस्थिति हटा लिये जाने के बाद और 18 फरवरी, 1978 तक, केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत 161 नजरबंदी आदेश जारी किये हैं। इन आदेशों में से, इस अवधि के दौरान 138 व्यक्ति उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नजरबंद रखे गये थे। इसके अलावा 21-3-1977 को आपातस्थिति हटाये जाने से पूर्व उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये नजरबंदी आदेशों के अनुसरण में 38 व्यक्तियों को भी नजरबंद रखा गया था। इस प्रकार, आपातस्थिति हटा लिये जाने के बाद और 18-2-1978 तक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कुल मिलाकर 176 व्यक्तियों को नजरबंद रखा गया।

(ख) ऊपर उल्लिखित जिन 176 व्यक्तियों को, केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये नजरबंदी आदेशों के अनुसरण में नजरबंद रखा गया था, उनका ब्यौरा नीचे दिये अनुसार है:—

1. केन्द्रीय सरकार	9
2. दिल्ली	6
3. गोआ, दमन और दीव	1
4. गुजरात	44
5. कर्नाटक	19
6. महाराष्ट्र	43
7. मणिपुर	2
8. पंजाब	12
9. तमिलनाडु	14
10. उत्तर प्रदेश	10
11. पश्चिमी बंगाल	16
	176

आपातस्थिति हटा लिये जाने के बाद, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नजरबंद रखे गये किसी भी व्यक्ति ने 30 अप्रैल, 1977 को श्री जय प्रकाश नारायण के समक्ष यह प्रतिज्ञा नहीं की थी कि वे तस्करों के क्रियाकलापों में शामिल नहीं होंगे और अन्य तस्करों को तस्करी में लगे रहने से मना करेंगे तथा इन्हें रोकेंगे ।

Promotion in STC by Superseding Persons

1523. **Shri R.L.P. Verma :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state :

(a) whether 84 promotions in State Trading Corporation were done irregularly by superseding the persons during the Emergency; and

(b) if so, how justice is proposed to be given to the affected employees ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Baig) : (a) & (b) Promotions during the Emergency were made in accordance with the normal rules of the STC. However, Government would be prepared to investigate if specific instances are brought to Government's notice.

बिक्री कर समाप्त करने के बारे में निर्णय

1524. **श्री प्रद्युमन बल :**
श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला :
श्री चित्त बसु :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में दिये गये आश्वासन के अनुसार बिक्री-कर समाप्त करने के बारे में अब तक क्या निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को बिक्री-कर के मामले में व्यापारी तथा उपभोक्ता समाज में चारों ओर व्याप्त असंतोष के बारे में पता है ; और

(ग) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री **एच० एम० पटेल**) : **(क), (ख) और (ग)** ऐसे बहुत सारे आवेदन मिले हैं जिनमें सुझाव दिया गया है कि बिक्री-कर को हटा कर उसके स्थान पर उत्पादन-शुल्क लगा दिया जाय । संविधान के अनुसार बिक्रीकर राज्य सरकारों के कराधान का विषय है । बिक्री-कर को हटा कर उसके स्थान पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क लगाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों के साथ प्रारम्भिक चर्चा हो चुकी है । इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में राज्य सरकारों को झिझक है । राज्य सरकारों को मनाने के लिए इस मामले को आगे चलाने का विचार है । परन्तु संवैधानिक स्थिति के कारण राज्य सरकारों की सहमति/सहयोग बिना बिक्री-कर के स्थान पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क लगाना संभव नहीं होगा ।

Value of Currency Notes tendered by Nationalised Banks and Individuals etc.

1525. **Shri** Raghavji **:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state **:**

(a) the value of currency notes, separately, tendered by the Nationalised banks and by individuals, partnership firms, companies and other institutions; and

(b) the value and number of the currency notes, the claims for which have been rejected ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) Too much time and labour will be involved in compiling the tenderers into different categories.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Demonetisation of 100-Rupee Notes

†1526. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government propose to demonetise 100-rupee notes to unearth black money; and

(b) if so, how much black money is likely to be unearthed as a result thereof and if not, what is the difficulty for the Government in demonetising it ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) Government have no proposal under consideration for demonetisation of 100-rupee notes.

(b) The question of difficulties if any will arise only when the proposal may come under active consideration.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति लाभ

1527. श्री **ओ० वाई० कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के लाभों की स्वीकृति और भुगतान में शीघ्रता लाने के उद्देश्य से नियमों और प्रक्रियाओं में सुधार करने और उन्हें सरल बनाने के लिए कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

अधिवर्षिता पेंशन और मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान की अदायगी में विलम्ब को समाप्त करने के उद्देश्य से फरवरी, 1976 में एक संशोधित कार्य विधि निर्धारित की गई थी । संशोधित कार्य-विधि की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) पेंशन की संगणना, 36 महीने की बजाए 10 पूर्ण महीनों की औसत परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी ।

(2) सभी मामलों में अधिवर्षिता पेंशनों की अदायगी देय महीने की पहली तारीख से शुरू होगी । इसे सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय अध्यक्षों और पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए विभिन्न अवस्थाओं पर कार्य के लिए एक निश्चित समय सारणी निर्धारित कर दी गई है और प्रत्येक अवस्था के लिए निश्चित विभाजन तारीखें निर्धारित की गई हैं ।

(3) विपरीत विशिष्ट संकेत न होने की स्थिति में, केन्द्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा की दो अवधियों के बीच सेवा में आए व्यवधान को माफ किया समझा जाएगा और व्यवधानपूर्ण सेवा को पेंशन के लिए हिसाब में लिया जाएगा। इसी प्रकार असाधारण छुट्टी की ऐसी अवधियों को भी, जिनको गैर-अर्हतादायी बनाने के लिए विशिष्ट प्रविष्टियां न हों उनको पेंशन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

(4) पेंशन के संबन्ध में प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

(5) यदि किन्हीं कारणों से सरकारी कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख के एक महीने पहले पेंशन अदायगी आदेश जारी करना संभव न हो तो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनन्तिम पेंशन और मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान की स्वीकृति तथा भुगतान किया जाएगा। अनन्तिम पेंशन छः महीने की अवधि के पश्चात् अन्तिम हो जाएगी।

(6) सरकारी कर्मचारी से बकाया देय रकमों (सरकारी आवास से भिन्न) का निर्धारण करने के मामले में पेंशन संबन्धी कागजों को तैयार करने की अवस्था में पिछले रिकार्ड की जांच सेवा-निवृत्ति से पूर्व दो वर्ष की अवधि तक ही सीमित रहेगी।

जहां तक सरकारी आवास के उपयोग से संबन्धित देय रकमों का संबन्ध है सम्पदा निदेशालय को किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख से आठ महीने पहले बेबाकी प्रमाण-पत्र जारी करना होता है। अगले आठ महीनों के लिए इसमें वह स्वीकार्य अवधि भी शामिल है जिसमें सेवा-निवृत्ति के बाद आवास को रखा जा सकता है। लाइसेंस फीस कार्यालय अध्यक्ष द्वारा वसूल की जाएगी। स्वीकार्य अवधि से ऊपर सरकारी आवास को रखने के संबन्ध में लाइसेंस फीस सम्पदा निदेशालय द्वारा सीधे ही अलाटी से वसूल की जाएगी और इस कारण से उपदान की अदायगी को रोका नहीं जाएगा।

सूचना मिली है कि फरवरी, 1976 में निर्धारित संशोधित कार्य-विधि संतोषजनक कार्य कर रही है।

पूंजी वस्तुओं के आयात के लिये विदेशी मुद्रा का उपयोग

1528. **श्री टी०ए० पई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय ने इस वर्ष उपयोग के लिए जो 800 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दिखाई थी उसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया ;

(ख) किस प्रकार से आयात किए गए और उनका विवरण क्या है ; और

(ग) पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए कितनी राशि उपयोग में लाई गई ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) वर्ष 1977-78 के दौरान विदेशी मुद्रा का उपयोग करने के संबन्ध में जो पूर्वानुमान लगाए गए थे और उनके फलस्वरूप इस वर्ष के बजट में जो 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी उसे कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

बमों के भय के कारण एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की रद्द की गई समयसारणीबद्ध उड़ानें

1529. **श्री पी०के० कोडियन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आनन्द मार्गियों द्वारा तोड़-फोड़ करने की धमकियों या बम रखे जाने के भय के कारण भारत के विभिन्न हवाई अड्डों और विदेशों में इण्डियन एयरलाइन्स या एयर इंडिया की कितनी समय-सारिणी बद्ध उड़ानें देर से उड़ाई गई या रद्द की गई ;

(ख) क्या हाल की तोड़-फोड़ की घटनाओं के बाद सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबन्ध कड़े कर दिए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) : (क) पिछले छः महीनों में (अगस्त से 12 फरवरी, 1978 तक) एयर इंडिया को आनन्द मार्गियों/यूनिवर्सल प्राउटिस्ट रेवोल्यूशनरी फैडरेशन से निम्नलिखित धमकियां प्राप्त हुई थीं:—

तारीख	सूचना का आधार
20-10-1977	सबसिडिअरी इंटेलिजेंस ब्यूरो बम्बई से टेलीप्रिंटर मैसेज (टी०पी०एम०) नं० 3633
4-11-1977	सबसिडिअरी इन्टेलिजेंस ब्यूरो से टी पी एम
23-12-1977	,, ,, ,, टी पी एम नं० 4385
30-12-1977	,, ,, टी पी एम नं० 4516
6-1-1978	8-1-78 को उड़ान ए आई–215 की तोड़-फोड़ करने के बारे में मैनेजर पेरिस से टैलेक्स दिनाँक 5-1-78
10-1-1978	डिप्टी डाइरेक्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली से पत्र दिनाँक 5-1-78
11-1-1978	हर महीने की पहली तारीख को तोड़-फोड़ की धमकी के बारे में बम्बई के पुलिस आयुक्त से पत्र दिनाँक 9-1-78
19-1-1978	26-1-78 को तोड़-फोड़ की धमकी के बारे में बम्बई के पुलिस आयुक्त से पत्र दिनाँक 19-1-78
27-1-1978 . .	9-2-78 को तोड़-फोड़ की धमकी के बारे में 24-1-78 का गुमनाम पत्र प्राप्त हुआ ।
6-2-1978 .	15-2-78 को एक एयर इंडिया जम्बो एयरक्राफ्ट की तोड़ फोड़ के बारे में 18-1-78 का गुमनाम पत्र प्राप्त हुआ ।
11-2-1978	बोर्ड पर बम रखने की आनन्द मार्गियों की धमकी । (11-2-78 को ए आई–110/120 उड़ानों में 2 घंटे तथा 25 मिनट का विलम्ब हुआ ।)

उपर्युक्त धमकियों की वजह से एयर इंडिया की कोई उड़ान रद्द नहीं की गयी। केवल 11-2-78 को दो उड़ानों ए आई–119/120 में विलम्ब हुआ । यह बताना भी कठिन है कि एकमात्र इसी कारण से कितनी उड़ानों में विलम्ब हुआ क्योंकि धमकियाँ किसी विशेष उड़ान के बारे में नहीं थीं।

इस अवधि के दौरान आनन्द मार्गियों के अतिरिक्त गुमनाम/नकली नाम की धमकियाँ प्राप्त होने पर एयर इंडिया की निम्नलिखित 20 उड़ानों में विलम्ब हुआ।

तारीख तथा उड़ान संख्या	स्टेशन
3-8-1977 ए आई—104	लन्दन
27-8-1977 ए आई—415	सिडनी
28-9-1977 ए आई—805	बम्बई
5-10-1977 ए आई—105	दिल्ली
29-10-1977 ए आई—135 ए आई—115 ए आई—155	बम्बई
24-11-1977 ए आई—116	लन्दन
14-11-1977 ए आई—108	न्यूयोर्क
29-11-1977 ए आई—803	बम्बई
7-12-1977 ए आई—302	बम्बई
8-12-1977 ए आई—309	टोकियो
5-1-1978 ए आई—117	कुवैत
10-1-1978 ए आई—102	रोम
10-1-1978 ए आई—103	लन्दन
10-1-1978 ए आई—143	रोम
20-1-1978 ए आई—109	लन्दन
27-1-1978 ए आई—817	बम्बई
2-2-1978 ए आई—302	बम्बई
9-2-1978 ए आई—106	लन्दन

1 जुलाई, 1977 से 31 दिसम्बर, 1977 की अवधि के दौरान बम रखे जाने के भय के कारण इंडियन एयरलाइन्स की निम्नलिखित 5 उड़ानों में विलम्ब हुआ। इसका पता नहीं है कि धमकियाँ आनन्द मार्गियों द्वारा ही दी गयीं :—

तारीख तथा उड़ान संख्या	स्टेशन
28-7-1977 आई सी—460	जबलपुर/भोपाल
2-10-1977 आई सी—183	बम्बई/दिल्ली
5-11-1977 आई सी—265	कलकत्ता/हैदराबाद
14-11-1977 आई सी—523	गोआ/बम्बई
19-12-1977 आई सी—184	दिल्ली/बम्बई

(ख) और (ग) यद्यपि किये गये विशिष्ट उपायों तथा अन्य विवरणों को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा। तथापि, अपहरण से सुरक्षा संबन्धी ऐसे वर्तमान उपायों को कड़ा कर दिया गया है, जैसे परिचालन क्षेत्रों के प्रवेश स्थलों का नियंत्रण, यात्रियों की शारीरिक तलाशी तथा उनके हाथ के सामान की छानबीन, बोर्डिंग कार्डों पर स्टेम्प लगाने में अधिक सावधानी एवं चौगिर्दी परिसीमा (Perimeters) की पर्याप्त चौकसी आदि।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

1530. **श्री शंभूनाथ चतुर्वेदी : क्या वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत 10 महीनों के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और उनका क्या प्रभाव हुआ ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णकुमार गोयल) : सरकार ने पिछले दस महीनों में उपभोज्य वस्तुओं के मूल्यों मे बढ़ती के रुख को रोकने और उनकी उपलभ्यता में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं। जो उपाय किए गए हैं उनमें महत्वपूर्ण ये हैं :—

(i) प्रतिबन्धित मुद्रा तथा ऋण-नीति ;

(ii) गेहूं और चावल को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने पर से प्रतिबन्ध हटाना ;

(iii) केन्द्रीय पूल से अधिक अनाज देना ;

(iv) लेवी तथा बिना लेवी की चीनी अधिक मात्रा में देना ;

(v) लेवी तथा खुली बिक्री की चीनी के उत्पादन शुल्क में कमी करना ;

(vi) 9 अप्रैल, 1977 से चाय के निर्यात पर 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात शुल्क लगाना और साथ ही चाय के निर्यात पर दी जाने वाली छूट वापस लेना ;

(vii) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चाय को आवश्यक वस्तु घोषित करना ;

(viii) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन० सी० सी० एफ०) के माध्यम से बहुत से केन्द्रों में 16.50 रुपये प्रतिकिलो ग्राम के फुटकर मूल्य पर बड़ी मात्रा में खुली चाय बेचना ;

(ix) मिट्टी का तेल अधिक मात्रा में सप्लाई करना ;

(x) दालों, हाथ से चुनी मूंगफली, खाद्य तेलों के निर्यात पर रोक जारी रखना ;

(xi) ताजी सब्जियों, जिनमें आलू, जीरा तथा हल्दी भी शामिल हैं, के निर्यात पर रोक लगाना और प्याज का नियमित निर्यात ;

(xii) लगभग 10 लाख मीटर टन सीमेंट के आयात की व्यवस्था करना ;

(xiii) खाद्य तेलों और कपास का बड़ी मात्रा में आयात करना ;

(xiv) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश-भर में 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम के फुटकर मूल्य पर आयातित परिष्कृत रेपसीड तेल बेचना ;

(xv) वनस्पति उद्योग को उनकी तेलों की माँग के 75% से 90% के बीच आयातित तेलों की आपूर्ति करना ;

(xvi) दालों, तिलहनों तथा खाद्य तेलों के बारे में व्यापारियों के लिए स्टाक सीमाएं लागू करना ;

(xvii) गेहूं, धान, चना, मूंगफली, सूर्यमुखी के बीज और कपास के समर्थन मूल्य में वृद्धि करना।

इन उपायों के फलस्वरूप अगस्त, 1977 से कई आवश्यक वस्तुओं के संबन्ध में मूल्य स्थिति आम-तौर पर काफी नरम रही है। यद्यपि, वर्ष के दौरान अंक से अंक की तुलना में 26 मार्च, 1977 को समाप्त हुए सप्ताह में मुद्रा स्फीति की दर 12% तथापि 11 फरवरी, 1978 को समाप्त सप्ताह में मुद्रास्फीति की 1.2% की ऋणात्मक दर थी। चावल, ज्वार, प्याज, चाय, काफी, मूंगफली के तेल, नारियल के तेल, बिनौले के तेल, वनस्पति, चीनी, खांडसारी और गुड़ जैसी कई आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष के सूचकांकों से काफी कम हैं।

ऊटी का पर्यटकों के आकर्षण केन्द्र के रूप में विकास

1531. **श्री पी०एस० रामलिंगम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों के आकर्षण केन्द्र के रूप में, पर्वतीय स्थानों में उत्कृष्ट उटी के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) कितने जनता होटलों के निर्माण का प्रस्ताव है और अन्य बातों के साथ-साथ उनके लिए प्रस्तावित पूंजी निवेश और समय संबन्धी कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) ऊटी के लिए विमान सेवाएं चलाने के बारे में स्थिति क्या है जिससे पर्यटक वहां शीघ्र पहुंच सकें और रेल यात्रा से होने वाले निराशाजनक विलम्ब से बच सकें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पूर्ववर्ती योजनाओं में ऊटी, तमिलनाडु में एक पर्यटन ब्यूरो खोलने और एक पर्यटन बंगला बनाने के लिये अनुदान दिया था। ऊटी में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था केन्द्रीय और राज्यीय क्षेत्रों में पर्यटन योजना (1978—83) के लिये उपलब्ध किये जाने वाले साधनों पर निर्भर करेगी।

(ख) पर्यटन योजना के प्रारूप में 1978—83 की पंचवर्षीय अवधि में 4 महानगरों (दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता) तथा केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत चुने हुए अन्य पर्यटन केन्द्रों में जनता होटलों के निर्माण के लिये 10.72 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(ग) पर्यटन तथा अन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को जो इंडियन एयरलाइन्स की मौजूदा सेवाओं से जुड़े हुए नहीं है विमान सेवा द्वारा जोड़ने के लिये फीडर सेवाओं के परिचालन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

Memorandum by Rajkot District Co-operative Bank Ltd.

1532. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a memorandum was submitted to him in the Diamond Jubilee and Co-operative Conference of the Rajkot District Co-operative Bank Ltd., held on 9th November, 1977 at Gondal in Rajkot district in Gujarat and if so, the nature of demands made therein; and

(b) the action taken by Government so far thereon and also the action proposed to be taken ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) The memorandum presented by the Chairman of the Rajkot District Co-operative Bank Ltd., Rajkot at Gondal on 9-11-77 raised the following 4 issues :—

(i) As the district of Rajkot has a good network of Co-operative Societies, the Commercial banks should not be allowed to open their branches in this District;

(ii) Where a Co-operative sugar enterprise is in need of financial support the cooperative bank should be permitted to advance credit against the unit's sugar stocks, as in the case of the requirements of Shri Sardar Vallabhbhai Patel Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd. at Dhoraji;

(iii) That the interest tax levied on the apex banks should be waived;

(iv) Finance from the Reserve Bank should be made available to Co-operative Societies for marketing and processing of agricultural crops.

(b) A reply was sent to the Chairman indicating that :—

(i) As Rajkot District has a sufficiently large credit gap, there is scope for both the commercial banks and co-operatives to extend their operations in a co-ordinated manner to meet the credit needs of that District;

(ii) The Reserve Bank of India is agreeable to consider the issue of providing credit to Shri Sardar Vallabhbhai Patel Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., Dhoraji; if a complete scheme of rehabilitation of this sugar factory is taken up with them.

(iii) The Reserve Bank of India are agreeable to consider the issue of reduction of margin against stocks of groundnut if a proposal is made to them.

The Government has separately also written to Reserve Bank of India advising them to send a senior officer to Rajkot to discuss these problems personally with the Chairman with a view to arrive at a decision expeditiously.

In the budget proposals for the year 1978-79 presented on 28-2-78, interest tax has been proposed to be abolished.

अरण्डी के तेल के निर्यात में वृद्धि

1533. **श्री एम०एस० सैयावाला :** क्या **वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम, अरण्डी के तेल के उत्पादन में काफी वृद्धि होने के बावजूद इसके निर्यात में प्रभावपूर्ण वृद्धि नहीं कर सका है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कच्ची सामग्री की अत्यधिक कमी के कारण, कई छोटे उद्योग बन्द हो गए हैं क्योंकि सी०ए०पी०सी०ग्रो०, जो कि राज्य व्यापार निगम की एक सहायक कम्पनी है, ने सही समय पर कार्यवाही करने में असफल रही क्योंकि कच्ची सामग्री काला बाजार में बिक रही है ; और

(ग) यदि हां, तो आयात-निर्यात को सारणीबद्ध करने की नीति में सुधार करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग (क) चूंकि फरवरी से मई 1977 तक निर्यातों पर रोक लगा दी गई थी अतः 1977-78 के लिए 30,00.

मे० टन अरण्डी के तेल के निर्यात का लक्ष्य रखा गया था और आशा है कि इसे हासिल कर लिया जाएगा।

(ख) भारतीय राज्य रसायन तथा भेषज निगम लि० ने साधारणतः वास्तविक प्रयोक्ताओं की पंजीकृत जरूरतों को पूरा किया है। किन्तु एल० डी० पी० के स्वदेशी उत्पादकों के एककों में हड़तालों तथा काम रुकने के कारण अस्थाई कमी आती रही तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कमी रही।

(ग) भारतीय राज्य रसायन तथा भेषज निगम लि० की दो से तीन मास तक की प्रत्याशित आवश्यकताओं के लिए समीकरण भंडार बनाने की योजना है ताकि हाजिर माल से सप्लाई की जा सके।

कर निर्धारण के मामले में आयकर कार्यालयों में होने वाले विलम्ब के बारे में शिकायतें

1534. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर निर्धारण के मामलों में आयकर कार्यालयों में होने वाले विलम्ब के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो किस किस प्रकार की शिकायतें मिली हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि विशेषकर दिल्ली के कार्यालयों में यह एक बुरी प्रथा है कि यहां निर्धारण के मामलों में शीघ्रता पैसे के आधार पर ही कराई जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी क्या कार्यवाही की गई है जिससे अधिकारी ठीक ढंग से कार्य करें?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : (क) और (ख) आयकर निर्धारणों को अन्तिम रूप देने में होने वाले विलम्ब के संबन्ध में कुछ मामलों में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। आमतौर पर, ऐसी शिकायतों का संबन्ध उन मामलों से होता है जहां कर निर्धारणों के परिणामतः वापसियों का संभावना हो। वापसी के मामलों के संबन्ध में कर-निर्धारणों को तेजी से पूरा करने के लिए, महानगरों में नितान्त वापसी सर्किल बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, संक्षिप्ततः कर-निर्धारण की योजना भी शुरू की गई है जिसके अधीन पंजीकृत फर्मों के मामले में विवरणी में दिखाई गयी 75,000 रु० तक की आय के मामले और कम्पनी-भिन्न अन्य निर्धारितियों के मामले में 50,000 रुपये तक के मामलों को, निर्धारितियों को आयकर कार्यालयों में बुलाए बिना पूरा करना होता है। आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, कर-निर्धारणों को कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करना होता है। इसके अतिरिक्त, कार्य-योजना के अधीन, कर-निर्धारणों के निपटान के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के कर-निर्धारणों को निपटाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, यह निर्दिष्ट किया गया है कि 1 अप्रैल, 1978 को आगे ले जाए जाने वाले कर-निर्धारण, 1 अप्रैल, 1977 को आगे ले जाये गए कर-निर्धारणों से कम से कम 10 प्रतिशत कम होने चाहियें। कार्य-योजना, कर-निर्धारणों के निपटान के लिए निर्धारित मानदण्डों और उपलब्ध कर-निर्धारण अधिकारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, तैयार की जाती है। प्रत्येक अधिकार क्षेत्र के कार्य का, बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसके परिणामतः अधिक से अधिक संख्या में कर-निर्धारणों का निपटान किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि चालू वर्ष में 31 जनवरी 1978 तक इस प्रकार की कार्यवाही के परिणामतः गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले, 1,28,555 अधिक कर-निर्धारणों का निपटान किया गया है।

(ग) ऐसी परिपाटी के चले आने के संबन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

Method of Weighing of Opium Procured from Producers

1535. **Shri Chaturbhuj : Will the Minister of Finance be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that the method of weighing of opium procured from the producers has become a cause of great dissatisfaction; and

(b) the steps being taken by Government to improve it ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) and (b) The present system of weighment of opium at the weighment centres in the opium growing areas is in existence for a long time and the Government have not received any reports indicating that this system is causing any dissatisfaction to the poppy growers. The weights and scales used for weighment purposes are pre-checked for their accuracy prior to weighment and the weights and scales which are found inaccurate on checking are not brought in use. The opium tendered by the poppy cultivators is weighed in the presence of the individual cultivator and the village Lambardar.

इटली को घटिया किस्म के वस्त्रों और सूती कपड़े का निर्यात

1536. **श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र तथा सूती कपड़े के कुछ निर्यातकर्ताओं ने सिले-सिलाये वस्त्र और सूती कपड़ा इटली को निर्यात किया था जिसे खोलने पर फटे-पुराने कपड़े पाये गये ;

(ख) क्या यह सच है कि इटली के आयातकों ने अपनी सरकार के माध्यम से भारत सरकार को विरोध प्रकट किया है और माल छुड़ाने से इंकार कर दिया है ;

(ग) इस निर्यात में कुल कितना कपड़ा और वस्त्र भेजे गये और वे कितने मूल्य के थे ; और

(घ) ऐसे कदाचारों को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं। अभी तक ऐसी कोई शिकायतें सरकार के ध्यान में नहीं लायी गई हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गवर्नमेंट आफ इंडिया मिन्ट, अलीपुर, कलकत्ता के कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जाना

1537. **श्री दिलीप चक्रवर्ती : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि आपात स्थिति के दौरान गवर्नमेंट आफ इंडिया मिन्ट, अलीपुर, कलकत्ता के 21 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया था ; और

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण हरिजन कर्मचारी श्री राम राजवर की ड्यूटी पर ही मृत्यु हो गई थी क्योंकि अधिकारियों ने उसे समय पर पर्याप्त चिकित्सा सहायता नहीं दी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) श्री राम राजवर, को जो एक औद्योगिक कर्मचारी थे, उस समय जबकि वह दिन भर के काम के बाद टकसाल से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, आशंका है पक्षाघात हो गया था।

टकसाल की डिस्पेंसरी में उनका इलाज किया गया और उन्हें उसके तुरन्त बाद अस्पताल ले जाया गया जहां 9-9-1977 को उनकी मृत्यु हो गयी। टकसाल अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई।

सीमान्त छोटे किसानों को दिया गया ऋण

1538. **श्री सरत कुमार कार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 एकड़ तक जोतों वाले सीमान्त/छोटे ऋण लेने वालों को गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये ; और

(ख) 5 एकड़ से अधिक जोतों वाले किसानों को इसी अवधि में राज्यवार कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) और (ख) संबन्धित विवरण संलग्न है।

(ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल०टी० 1691/78)

तस्करी रोकने के लिए भारत नेपाल संधि

1539. **डा० हेनरी ऑस्टिन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी रोकने के लिये भारत और नेपाल ने एक संधि पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके फलस्वरूप तस्करी में कितनी कमी हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Relief Granted in Excise Duty on Sugar

1540. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any relief has been granted in excise duty on sugar by the Central Government recently; and

(b) if so, the reduction in excise duty announced in case of sulpher sugar and the sugar free of sulpher ?

Minister of State in the Minister of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) Yes, Sir.

(b) With effect from 4-2-78, the rate of duty on all Khandsari sugar has been reduced from 15% *ad valorem* to 7½% *ad valorem*; this rate applies to factories not availing of the compounded levy scheme. The weekly compounded levy rates on Khandsari sugar have also been reduced with effect from the week beginning 8-2-1978. The rates payable by Khandsari manufacturers working with or without the aid of sulphitation as they prevailed prior to and from 8-2-1978 are as below :—

Weekly Rates of Compounded Levy for Units working with the aid of Sulphitation Plant (Sulpher Sugar).

Size of Centrifugal

Height		Diameter		Prior to 8-2-78		From 8-2-78	
Exceeding cms.	Not Exceeding cms.	Exceeding cms.	Not Exceeding cms.	Basic Rs.	Addl. Rs.	Basic Rs.	Addl. Rs.
1. ..	22.9	..	45.7	3770	630	1885	315
2. 22.9	30.5	45.7	61.0	5060	840	2530	420
3. 30.5	45.7	61.0	76.2	7370	1230	3685	615
4. Not otherwise specified				9770	1630	4885	815

Weekly Rates of Compounded Levy for Units working without the aid of Sulphitation Plant.

1. ..	22.9	..	45.7	2020	340	506	84
2. 22.9	30.5	45.7	61.0	2670	450	669	111
3. 30.5	45.7	61.0	76.2	3980	660	994	166
4. Not otherwise specified				5210	870	1303	217

बचतों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं आरम्भ करना

1541. **श्री आर० कोलबाइवेलु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि औद्योगिक विकास धीमा होने का मुख्य कारण अर्थव्यवस्था में बचतों में वृद्धि की दर का बहुत ही कम होना है ;

(ख) उत्पादनशील उद्यमों में निवेश हेतु सामुदायिक बचतें सुनिश्चित करने की दिशा में गत बारह महीनों में क्या ठोस उपलब्धियां हुई हैं ; और

(ग) बचत प्रोत्साहन योजनायें आरम्भ करने से बचतों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) आर्थिक समीक्षा 1977-78 में, जिसे 23-2-1978 को सभापटल पर रखा गया था, इस बात को माना गया है कि बचतों की अपर्याप्तता, अर्थव्यवस्था की वृद्धि की धीमी गति के लिए जिम्मेदार अनेक कारणों में से एक है ।

(ख) सरकार इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में, बचतें जुटाना चाहती है अर्थात् डाकघर बचत बैंक योजना, बढ़ने वाली सावधि जमा योजना, आवर्ती जमा योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र आदि और सरकार भविष्य निधियों तथा जीवन बीमा प्रीमियमों तथा बैंकों में स्थिर जमा रकमों से प्राप्त ब्याज पर तथा कम्पनियों के शेयरों के लाभांश पर तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों के लाभांश पर कर की छूट देकर अप्रत्यक्ष रूप से बचत जुटाने को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रही है । समय-समय पर इन योजनाओं को व्यापक बना दिया जाता है और नयी योजनाओं को भी, जिनको वांछनीय समझा जाता है, शुरू कर दिया जाता है । उदाहरण के लिए अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की जमा रकम की वापसियों को बटोरने के उद्देश्य से, गत वर्ष राष्ट्रीय विकास बांडों का एक निर्गम जारी किया गया जिन पर 13 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से (सकल) ब्याज दिया जाता था ।

(ग) सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल घरेलू बचतों का जो अनुपात 1975-76 में 19.7 प्रतिशत था, वह 1976-77 में बढ़कर अनुमानतः 21.1 प्रतिशत हो गया है । अभी तक 1977-78 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है । तथापि, सरकारी क्षेत्र की बचतों से संबन्धित बजट अनुमानों के आधार पर, यह आशा है कि बचत करने की दर में और अधिक वृद्धि होगी ।

खाद्य तेलों की खरीद के लिए अमरीका से करार

1542. **श्री पी० ओ० मावलंकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका ने भारत को खाद्य तेलों की खरीद के लिये जनवरी, 1978 में एक दीर्घावधि के कम ब्याज वाले ऋण संबंधी करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) और (ख) जी, हां । करार का ब्यौरा लोक सभा के 24 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 664 के उत्तर में दिया गया है ।

अधिक मूल्य वाले नोटों का प्रचलन

1543. **श्री समर गुह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 500 रुपये, 1000 रुपये और 10,000 रुपये आदि मूल्य श्रेणी के कितने करेन्सी नोट विमुद्रीकरण की तारीख को प्रचलन में थे;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की विभिन्न शाखाओं में जमा कराये गये इन करेन्सी नोटों की संख्या संबंधी नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ग) उन उद्योगपतियों, कम्पनियों, व्यापारियों, राजनीतिज्ञों, विभिन्न ट्रस्टों और धार्मिक संस्थाओं के क्या नाम हैं, जिन्होंने विमुद्रीकृत करेन्सी नोटों को जमा कराया था और भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाओं में उनके द्वारा जमा-राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उनके कब्जे में रखे हुए ऐसे बड़े नोटों के स्रोतों के बारे में उन्होंने क्या कारण दिये थे;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी मामलों में उनके तर्क को स्वीकार कर लिया था; और

(च) यदि नहीं, तो कितने मामलों में और उन जमाकर्ताओं के नाम क्या हैं जो ऐसे करेन्सी नोटों के स्रोत के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सन्तुष्ट नहीं कर सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : (क) 16 जनवरी, 1978 को कारोबार बंद होने के समय, 1000 रुपए मूल्य वर्ग के लगभग 12.80 लाख बैंक नोट जिनका मूल्य 128 करोड़ रुपए था, 5000 रुपए मूल्यवर्ग के 36300 बैंक नोट जिनका मूल्य 18.15 करोड़ रुपए था और 10000 रुपए मूल्यवर्ग के 346 नोट जिनका मूल्य 34.6 लाख रुपये था चलन में थे । इसका कुल जोड़ लगभग 146.5 करोड़ रुपए बैठता है । किन्तु ये आंकड़े अनंतिम हैं ।

(ख) रिजर्व बैंक से प्राप्त सबसे हाल की जानकारी के अनुसार जनता के द्वारा बदलवाने के लिए समर्पित किए गए नोटों की कुल रकम लगभग 60 करोड़ रुपया है ।

(ग), (घ) और (ङ) इस जानकारी को इकट्ठा करने में बहुत अधिक समय और परिश्रम लगेगा ।

(च) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्वर्ण का आयात

1544. **श्री के० मायातैवर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत 12 महीनों के दौरान स्वर्ण के मूल्यों में वृद्धि के संबंध में किये गये प्रत्येक तिमाही-विश्लेषण से क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ख) स्वर्ण के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण हैं और उस वृद्धि से आर्थिक स्थिति पर प्रभाव के संदर्भ में सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि स्वर्ण के मूल्य अत्यधिक बढ़ जाने से भारतीय समाज में आम लोगों को भारी परेशानी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या स्वर्ण के मूल्यों को एक न्यायसंगत स्तर पर स्थिर करने के उद्देश्य से सरकार का विचार स्वर्ण का आयात करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : (क), (ख) तथा (ग) पिछले बारह महीनों में, सोने के घरेलू मूल्य में कमोवेश बराबर वृद्धि हुई है । सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है जिसमें दिसम्बर, 1976 से सोने के मूल्य में हुई तिमाही परिवर्तनों को दिखाया गया है । सोने के घरेलू मूल्यों में जो वृद्धि हुई है वह अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में हुई वृद्धि, घरेलू मांग की वृद्धि, तस्करी से प्राप्त सोने की मात्रा में कमी हो जाने के बाद सोने की उपलब्धि में हुई कमी तथा इसके मूल्यों में होने वाली अग्रेतर वृद्धि की सम्भावनाओं के कारण हुई है । सरकार का यह विचार नहीं है कि सोने के मूल्य में हुई वृद्धि आम जनता के कल्याण के संदर्भ में कुछ ज्यादा महत्व रखती है ।

(घ) सोने के सम्बन्ध में सरकारी प्रस्ताव सबसे हाल के बजट में दिये गए हैं ।

विवरण

निम्नलिखित अवधियों को समाप्त तिमाही	सोने का अंतिम मूल्य (प्रति 10 ग्राम रुपए)	पूर्व तिमाही के अंतिम मूल्य की तुलना में घटबढ़ (रुपए)	प्रतिशत घटबढ़
दिसम्बर, 1976 . .	561	—	—
मार्च, 1977 .	573	+12	+2.1
जून, 1977 . .	581	+ 8	+1.4
सितम्बर, 1977 . .	632	+51	+8.8
दिसम्बर, 1977 . .	681	+49	+7.8
जनवरी, 1978 (मासांत) . .	697	+16	+2.3

उद्योगपतियों द्वारा पूंजी निवेश में गिरावट

1545. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि देश में उद्योगपतियों द्वारा पूंजी निवेश में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं । उपलब्ध जानकारी के अनुसार, औद्योगिक निवेश में, चालू वित्त वर्ष में वृद्धि हुई है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो उपाय किए हैं, उनमें, केन्द्रीय क्षेत्र के परिव्ययों में वृद्धि करने, जिससे गैर सरकारी क्षेत्र के द्वारा भी निवेश किये जाने के अवसरों में वृद्धि होगी । आयात लाइसेंस देने की प्रणाली को उदार बनाने तथा बचतों और निवेश के मामले में प्रोत्साहन देने के उपाय शामिल हैं । इसी कारण 1977-78 के बजट में, निवेश छूट की रियायत लगभग सभी उद्योगों को दे दी गई । इस वर्ष के बजट में भी नई कम्पनियों में पूंजी के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया गया है कि कराधान योग्य आय का परिकलन करते समय नई औद्योगिक कम्पनियों के सामान्य शेयरों में लगाई गई पूंजी के 50 प्रतिशत भाग तक की कटौती की रियायत दी जाएगी । उत्पादक निवेश को बढ़ावा देने का दूसरा उपाय यह है कि बैंकों के द्वारा अर्जित ब्याज पर लगने वाले कर को भी हटा दिया गया है । रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों के ढांचे में जो कमी की घोषणा की है, उससे भी इस सम्बन्ध में मदद मिलनी चाहिए ।

Value of Tools, Aircrafts and other articles written off by I.A.

1546. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the value of tools, aircrafts and other articles written off in the Indian Airlines during the past three years ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

कलकत्ता-अगरतला-सिलचर-इम्फाल तथा गोहाटी मार्गों पर फोक्कर फ्रेंडशिप विमान की उडानें

1547. **श्री भगतराम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित मार्गों पर फोक्कर फ्रेंडशिप विमानों की प्रति सप्ताह उड़ानों में सही-सही कितनी कमी की गई है: (एक) कलकत्ता-अगरतला मार्ग; (दो) कलकत्ता-अगरतला-गोहाटी मार्ग; (तीन) कलकत्ता-अगरतला-सिलचर मार्ग; और (चार) कलकत्ता-अगरतला-सिलचर-इम्फाल मार्ग;

(ख) इन में किन मार्गों पर सामान्य उड़ानों में 25 प्रतिशत से अधिक की कमी की गई है;

(ग) अगरतला हवाई अड्डे को बोइंग-737 विमानों की उड़ानों योग्य बनाने हेतु का विस्तार करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर पूर्व में कोई भी हवाई अड्डा रात को विमान उतारने के योग्य नहीं है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) 20-12-77 से कलकत्ता-अगरतला मार्ग पर एफ-27 की दो दैनिक उड़ानों के स्थान पर बोइंग-737 की एक दैनिक उड़ान परिचालित की गयी है जो 43 प्रतिशत अतिरिक्त क्षमता प्रदान करती है । कलकत्ता-अगरतला-गोहाटी तथा कलकत्ता-अगरतला-सिलचर मार्गों पर कोई कमी नहीं की गयी । कलकत्ता-अगरतला-सिलचर-इम्फाल मार्ग के बीच कोई भी एफ-27 सेवा परिचालित नहीं की जाती ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अगरतला के धावनपथ को बोइंग-737 के नियमित परिचालन के योग्य बनाने के लिये इसे अधिक लंबा व मजबूत करने के लिये 258.56 लाख रुपये के प्राक्कलनों (एस्टीमेट) की मंजूरी दी जा चुकी है। इस कार्य के शीघ्र ही शुरू हो जाने की आशा है।

(घ) हवाई अड्डों पर विमानों के रात को उतरने की सुविधाएं इंडियन एयलाइन्स द्वारा समय-समय पर तैयार किये गये पूर्वानुमानों के अनुसार मुहैया करायी जाती हैं। अगरतला पर "मीडियम इंटेंसिटी रन-वे लाइट" तथा "एब्रिज्ड विजुअल एप्रोच स्लोप इंडिकेटर" व्यवस्था मुहैया करायी गयी है तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा, जब भी अगरतला पर रात को विमान उतारने की आवश्यकता होती है, इन सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है। गोहाटी हवाई अड्डे पर "मीडियम इंटेंसिटी रन-वे लाइट", "एब्रिज्ड विजुअल एप्रोच स्लोप इंडिकेटर" तथा "इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम" मुहैया कराये गये हैं। पहाड़ियों के चारों ओर खतरा संकेत दीप भी मुहैया कराये गये हैं। यह हवाई अड्डा रात के परिचालनों के लिये उपयुक्त है।

मजूरी, आय और मूल्यों सम्बन्धी अध्ययन दल

1548. **श्री पूर्ण सिन्हा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी, आय और मूल्यों के बारे में अध्ययन दल नियुक्त करने की अधिसूचना जारी करने तथा उसे 6 महीनों के अन्दर 15 मार्च, 1978 तक अपना प्रतिवेदन देने के लिए कहने से पूर्व उन्होंने श्रम मंत्रालय से विचार-विमर्श किया था;

(ख) क्या उन्हें पता है कि देश के श्रमिक वर्ग के लोगों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन 18 सितम्बर, 1977 को हुआ था जिसने उचित मजूरी और आय नीति के बारे में सरकार से बातचीत करने की पेशकश की थी और उनके प्रतिनिधियों ने श्रम मंत्री से यह आश्वासन लिया था कि सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में श्रमिकों द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी दल ने इसे अपना ज्ञापन नहीं दिया है और प्रत्येक श्रमिक संगठन ने इस अध्ययन दल से अलग रहने की मांग की है वह मजूरी आय और मूल्य सम्बन्धी इस अध्ययन दल को समाप्त करने के लिए तैयार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय मजूरी, आय और मूल्यों सम्बन्धी अध्ययन दल की स्थापना के विषय में 13 अक्तूबर, 1977 के संकल्प से है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी दिया गया है कि अध्ययन दल छः महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करे। उक्त संकल्प में उल्लिखित निर्णय सरकार द्वारा शीर्ष स्तर पर किए गए थे।

(ख) और (ग) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मजदूर संघों और राष्ट्रीय श्रमिक संघों ने मिलकर एक मजूरी नीति तैयार करने तथा बातचीत के द्वारा उस पर सरकार की मंजूरी के लिए जोर देने के बारे में सम्मेलन आयोजित किया था।

अध्ययन दल ने नवम्बर के अन्त/दिसम्बर, 1977 के शुरू में बहुत से संगठनों, अर्थात् विभिन्न उद्योगों के कर्मचारियों के संगठनों और मजदूर संघों, वाणिज्य मण्डलों, आदि को पत्र लिखकर अध्ययन दल के विचारार्थ विषयों के बारे में 15 जनवरी, 1978 तक उनके विचार आमंत्रित किए थे। 16-2-1978 तक कर्मचारियों के ऐसे एक संगठन से विचार प्राप्त हुए थे। कर्मचारियों के दो संगठनों ने औपचारिक रूप से सूचित किया है कि वे इस अध्ययन दल का बहिष्कार करते हैं। सरकार मजदूरी, आय और मूल्यों सम्बन्धी अपनी नीति निर्धारित करने से पहले मजदूर संघों के साथ बातचीत करना चाहती है।

अतः ऐसी स्थिति में मजूरी, आय और मूल्यों सम्बन्धी अध्ययन दल को समाप्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

इलायची बोर्ड द्वारा प्रस्तुत संकल्प

1549. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास और बेहतर सुविधाओं के लिए इलायची बोर्ड द्वारा कोई संकल्प प्रस्तुत किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) इलायची बागान उद्योग के विकास तथा उसमें बेहतर सुविधाओं के बारे में बोर्ड की बैठकों में समय-समय पर विभिन्न संकल्प प्रस्तुत किये गये । इन संकल्पों में ये बातें सम्मिलित थीं : विभिन्न विकास योजनाओं का तैयार किया जाना/क्रियान्वयन, गवेषणा योजनाएं, श्रमिकों के कल्याण की योजनाएं, सहकारी विपणन संवर्धन तथा बाजार संवर्धन प्रचार ।

(ख) इलायची का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ा है, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :

वर्ष	उत्पादन (मे० टन)	निर्यात	
		मात्रा (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1973-74	2780	1813	11.55
1974-75	2900	1626	13.32
1975-76	3000	1941	19.38
1976-77	2400	893	14.03
1977-78 (अनुमानित)	3800	2600	45.00

उत्पादन आंकड़े फसल वर्ष अगस्त—जुलाई के लिए हैं; निर्यात आंकड़े वित्तीय वर्ष के लिए हैं । उपजकर्ताओं का लाभ भी बढ़ गया है।

बिक्री-कर को समाप्त करने के बारे में राज्य सरकारों से सुझाव

1550. **श्री अहमद एम० पटेल : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में बिक्री कर को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या राज्य सरकारों से कोई सुझाव माँगा गया है;

(ग) यदि हाँ, तो कितने और किन-किन राज्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और कितने और किन-किन राज्यों ने अपनी राय नहीं भेजी है; और

(घ) कब तक अंतिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग) और (घ) संविधान के अनुसार बिक्री-कर राज्य सरकारों के कराधान का विषय है । बिक्री-कर को हटा कर उसके स्थान पर केंद्रीय उत्पादन-शुल्क लगाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों के साथ प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है । इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में राज्य सरकारों को झिझक है । राज्य सरकारों को मनाने के लिए इस मामले को आगे चलाने का विचार है । परंतु संवैधानिक स्थिति के कारण राज्य सरकारों की सहमति/सहयोग बिना बिक्री कर के स्थान पर केंद्रीय उत्पादन-शुल्क लगाना संभव नहीं होगा ।

निर्यात राजसहायता की वसूली

1551. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी व्यापारिक फर्मों अथवा व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनसे गत वर्षों के दौरान, वर्षवार, लेखापरीक्षा आपत्तियों के बाद निर्यात राजसहायता की राशि वसूल की गई थी;

(ख) ऐसी परिस्थितियाँ क्या थीं जिनके अन्तर्गत जाँच-पड़ताल के बिना ही इन व्यापारिक गृहों और व्यक्तियों को गलती से निर्यात राजसहायता दी गई थी; और

(ग) क्या इस त्रुटि के लिये आयात-निर्यात कार्यालय के कुछ अधिकारी दोषी पाये गये थे और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा किये जाने का विचार है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) दावों की जाँच करने के बाद नकद सहायता भुगतान किए जाते हैं । इसके बाद भी वर्गीकरण, परिकलन अथवा नियमों की व्याख्या आदि में गलती होने के कारण कभी-कभी अधिक भुगतान किया जा सकता है ।

(ग) अभी तक कोई नहीं ।

उत्पाद शुल्कों के स्थान पर मूल्य में ही जोड़ दिये जाने वाले कर को लगाने का प्रस्ताव

1552. **श्री अघन सिंह ठाकुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयोग की सिफारिश के अनुसार उत्पाद शुल्क के स्थान पर मूल्य में ही जोड़ दिये जाने वाले कर की प्रणाली को अपनाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस उपाय के परिणामस्वरूप कर प्रक्रियाओं में किस सीमा तक सुधार और सरलीकरण होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) वित्त मंत्री के बजट भाषण में जैसा पहले ही उल्लेख किया गया है सरकार झा समिति की विभिन्न सिफारिशों की अपेक्षित सावधानी से जाँच कर रही है । उत्पाद शुल्क के स्थान पर मूल्य सम्मिलित कर अपनाने जैसी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की संरचना संबंधी सिफारिशों का आगे अध्ययन किया जाना होगा । इसलिए, इस सिफारिश के बारे में सरकार की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति और उससे संबंधित कार्यविधिक प्रभावों के बारे में बताना अभी बहुत जल्दी होगा ।

पर्यटक केन्द्रों में जनता होटल

1553. **श्री रागावल मोहनरंगम : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर जनता होटलों के निर्माण संबंधी योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) उनका प्रस्तावित परिव्यय कितना है और उनके पूरा होने में कितना समय लगेगा; और

(ग) तमिलनाडु में महाबलीपुरम तथा काँजीवरम में ऐसे होटलों के निर्माण संबंधी कार्यक्रम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) जनता होटलों के निर्माण की योजना में अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के सीमित बजट वाले पर्यटकों के लिए कम मूल्य के, साथ एवं आरामदेह आवास की व्यवस्था पर बल दिया गया है ।

इस प्रयोजन के लिए, 1978—83 की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में 4 महानगरों में (दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता) तथा अन्य चुने हुए पर्यटन केन्द्रों पर जनता होटलों के निर्माण की पर्यटन योजना के मसौदे में 10.72 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है ।

चार महानगरों को छोड़कर अन्य चुने हुए केन्द्रों पर जनता होटलों के आकार, प्रकार तथा स्थान का निर्धारण एक सर्वेक्षण करने के बाद किया जाएगा ।

Central Sales Tax Outstanding against Telco, Bombay

†1554. **Shri M. A. Hannan Alhaj:** Will the **Minister of Finance** be pleased to state:

(a) the amount of Central Sales Tax due against the T.E.L.C.O., Bombay and from what date; and

(b) the action being taken by Government to realise the arrears ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) The Government of Maharashtra has intimated that no dues relating to Central sales tax are outstanding against T.E.L.C.O., Bombay.

(b) Does not arise.

एयर इंडिया में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

1555. डा० **भगवान दास राठौर**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया में स्थायी और अस्थायी स्थानों की पूर्ति करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए नामावली बन रही है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 के दौरान भारत में सब स्टेशनों पर श्रेणीवार की गई नियुक्तियों की संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1973, 1974, 1975, 1976 और 1977 में 45 दिन से अधिक अवधि के लिए श्रेणीवार और स्टेशनवार कितनी अस्थायी नियुक्तियाँ की गईं और स्थायी स्थानों पर कितने अस्थायी व्यक्तियों की तदुपरांत नियुक्ति की गई; और

(घ) क्या नामावली में पदों का ग्रुप सरकारी निदेशानुसार किया गया और क्या पदों का ग्रुप बनाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ले ली गई थी जैसाकि नियम के अधीन आवश्यक है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हाँ ।

(ख), (ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ऋषिकेश-बद्रीनाथ मार्ग पर जनता होटल पर्यटक कुटीरों का निर्माण

1556. **श्री जगन्नाथ शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऋषिकेश और बद्रीनाथ मार्ग के निर्माण से पहले, वहाँ 3-4 मील की दूरी पर चट्टियाँ (शरणस्थल) थे और इस समय इस मार्ग पर कोई शरण-स्थल नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार जनता होटल, पर्यटक कुटीर अथवा इसी प्रकार के आश्रय स्थलों का इस मार्ग पर निर्माण करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हाँ। परंतु बद्रीनाथ मार्ग पर चुने हुए स्थानों पर कुछ आवास-स्थान उपलब्ध हैं ।

(ख) आरंभ में, दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता के 4 महानगरों तथा एक सर्वेक्षण किए जाने के बाद निर्धारित किए जाने वाले चुने हुए केन्द्रों पर जनता होटलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारों तथा निजी उद्यमों को भी महत्वपूर्ण पर्यटन तथा तीर्थ केन्द्रों पर, जिनमें बद्रीनाथ मार्ग भी सम्मिलित है, जनता होटलों एवं अन्य प्रकार के आवास का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

Creation of a Post of Deputy Director in the Department of Economic Affairs for the Implementation of the Official Language Act

1557. **Shri Roop Nath Singh Yadav :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a post of Deputy Director was created in the Department of Economic Affairs in September, 1977 for the implemenfation of the Official Language Act in his Ministry;

(b) whether the post has not since been filled; and

(c) the time by which it will be filled ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) In about 2-3 months.

खाद्यान्नों, खाद्य तेल और दालों की कीमतों में वृद्धि

1558. **श्री बी० पी० मण्डल** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के समवर्ती महीने के मूल्यों की तुलना में चालू महीने के दौरान खाद्यानों, खाद्य तेल और दालों की कीमतों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दे रही है; और

(ख) उक्त वस्तुओं की फरवरी, 1977 और फरवरी, 1978 में तुलनात्मक कीमत क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) नवीनतम थोक मूल्य सूचकाँक के अनुसार अनाज तथा खाने के तेलों के मूल्य 11 फरवरी, 1978 को समाप्त होने वाले सप्ताह में पिछले वर्ष के इसी सप्ताह के मुकाबले में कुल मिलाकर कम थे। तथापि, वर्ष के दौरान दालों के थोक मूल्य ऊँचे रहे।

(ख) ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

विवरण

अनाजों, दालों तथा खाने के तेलों के थोक मूल्य सूचकांक

	को समाप्त होने वाला सप्ताह 12-2-77	(आधार 1970-71 = 100) 11-2-78	उतार-चढ़ाव का प्रतिशत
I. अनाज	159.6	158.4	—0.9
(i) चावल .	156.9	150.3	—4.2
(ii) गेहूं . . .	162.9	164.5	+1.0
(iii) ज्वार . . .	156.9	148.3	—5.5
(iv) बाजरा . . .	163.7	171.2	+4.6
(v) मक्का . .	175.2	180.2	+2.9
(vi) रागी .	174.5	162.5	—6.9
II. दालें . .	173.8	236.8	+36.2
(i) चना .	149.3	220.6	+47.8
(ii) अरहर .	188.0	252.8	+34.5
(iii) मूंग .	186.0	247.0	+32.8
(iv) मसूर . .	236.0	311.0	+31.8
(v) उड़द .	198.7	207.6	+4.5
III. खाने के तेल	178.2	163.3	—8.4
(i) मूंगफली का तेल	168.2	147.9	—12.1
(ii) सरसों का तेल	201.0	199.8	—0.6
(iii) गोले का तेल .	180.2	164.0	—9.0
(iv) जिजली का तेल	186.6	162.3	—13.0
(v) बिनौले का तेल .	168.6	126.2	—25.1
(vi) वनस्पति . . .	175.4	147.9	—8.8

Re-opening of cases by Income Tax Department

1559. **Shri Yagya Datt Sharma : Will the Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether the Income Tax Department has taken up certain cases of persons and groups for reconsideration which had already been decided during emergency;

(b) if so, the particulars thereof; and

(c) the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a), (b) & (c) Assessments are being reopened in a large number of cases every year all over the country wherever justified. If the Honourable Member requires information in respect of a particular case/ group of cases the same can be collected and furnished.

नकद सहायता देने के लिए मानदंड

1560. **श्री लखनलाल कपूर : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा निर्यात हेतु प्रोत्साहन के रूप में नकद सहायता की पद्धति की प्रक्रिया की कभी जांच की गई है और उसका विश्लेषण किया गया है;

(ख) किसी वस्तु को नकद सहायता देने के लिये उपयुक्त मानने से पूर्व कौन-कौन से मानदंड रखे गये हैं जो पूरे होने चाहियें; और

(ग) क्या गत चार वर्षों के दौरान नकद सहायता पाने वाले निर्यातकर्ताओं, जो उन्हें देय नहीं थी, के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली थीं, यदि हाँ, तो ऐसी शिकायतों के अनुसरण में की गई कार्यवाही का व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस समय निर्यात उत्पादों पर नकद सहायता देने के बारे में निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर विचार किया जाता है :—

(क) उत्पाद की निर्यात संभाव्यता तथा घरेलू उपलब्धता और साथ ही उसकी सप्लाई; लोचशीलता;

(ख) उत्पाद में आयातित माल की मात्रा तथा घरेलू वर्धित मूल्य;

(ग) आयात प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत यदि अप्रत्यक्ष इमदाद उपलब्ध है तो उसकी लगभग मात्रा;

(घ) वसूल न किए जा सकने वाले करों तथा लेवियों के लिए मुआवजा;

(ङ) स्वदेशी अंतर्निविष्ट साधनों तथा कच्चे माल की घरेलू लागत तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमत में अंतर; तथा

(च) नये बाजारों में प्रवेश की लागत ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गढ़वाल क्षेत्र में पर्यटक स्थलों का विकास और जोशीमठ से अयुली तक रज्जु-पथ

1561. **श्री जगन्नाथ शर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गढ़वाल क्षेत्र में कुछ ऐसे बहुत अधिक रमणीय स्थल हैं जिनका पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास किया जा सकता है;

(ख) क्या इन स्थानों का रमणीय स्थलों के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि यदि जोशीमठ से अयुली तक रज्जु-पथ का निर्माण किया जाय तो यह स्थल शरद-खेल-कूद के लिए विश्व का बहुत अधिक रमणीय स्थल होगा।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हाँ।

(ख) फिलहाल नहीं । तथापि, गढ़वाल क्षेत्र में भविष्य में पर्यटन सुविधाओं का विकास केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में पर्यटन योजना (1978—83) के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली निधियों की राशि पर निर्भर करेगा ।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है ।

Income-tax Raids in Sundar Nagar, New Delhi, during Emergency

1562. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether all the cases in regard to raids conducted on the various premises in Sundar Nagar Colony in New Delhi by the Income-tax Department during emergency have been decided in some form or the other or action is pending in some cases;

(b) the names of the premises in respect of which action has not so far been completed and the reasons for not completing action thereon so far;

(c) whether the officers are in league with the concerned persons; and

(d) if not, the other reasons therefor?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) to (d) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

करेंसी नोटों पर प्रयोग हेतु सिंधी भाषा की लिपि

1563. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **वित्त** मंत्री 7 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2884 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करेंसी नोटों पर छपाई के लिए सिंधी भाषा के लिए अपनाई जाने वाली लिपि का प्रश्न कब से किस मामले में देश के किस न्यायालय में न्यायाधीन है और अब वह किस स्थिति में है; और

(ख) क्या सरकार ने इस न्यायाधीन मामले के शीघ्र निपटान के लिए प्रयास किया है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : (क) और (ख) सितम्बर, 1970 में अखिल भारतीय सिंधी बोली तथा साहित्य सभा तथा अन्यों ने बम्बई उच्च न्यायालय में भारत संघ

तथा भारतीय रिजर्व बैंक के विरुद्ध एक प्रलेख याचिका दायर की जिसमें, प्रार्थना की गई कि करेंसी और बैंक नोटों पर अरबी लिपि में सिंधी रूपाँतर भी अंकित किया जाना चाहिए। यह मामला 6-2-1978 तक निर्णयाधीन था और उसी तारीख को आवेदनकर्त्ताओं के अधिवक्ता ने उस याचिका को वापस लेने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र दिया; क्योंकि आवेदनकर्त्ता राहत के लिए सरकार के समक्ष पहुंचना चाहते थे। सम्मानित न्यायालय ने याचिका को वापस ले लेने की अनुमति दे दी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक स्वायत्तशासी निकाय बनाया जाना

1564. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए स्वायत्त-शासी निकाय बनाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु सरकार सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कार्यचालन में सुधार करने की दृष्टि से, उनके कार्यचालन की निरंतर समीक्षा करती रहती है।

Problems of Mica Industry in Bhilwara

1565. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state:

(a) whether a delegation from the Mewar Chambers of Commerce and Industry, Bhilwara had submitted a memorandum to the Central Ministers to apprise them of the problems of Mica Industry; and

(b) if so, the salient features of the Memorandum and steps being taken to solve these problems?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) A copy of the Memorandum has been received by this Ministry.

(b) The salient features of the Memorandum are as in the statement attached. The points raised by the Mewar Chambers of Commerce and Industry, Bhilwara, are being looked into and appropriate action thereon will be taken in due course.

STATEMENT

(a) There should be regular purchases of Rajasthan mica by MITCO say, once a month or so.

(b) The quantity to be purchased by MITCO from Rajasthan should not be less than the value of Rs. 86 lakhs per year.

(c) MITCO should purchase Rajasthan mica at the support prices and not at the competitive basis.

(d) Purchases should not be confined to a few selective grades, but should comprise of all grades of mica.

(e) Payment for the Rajasthan mica purchased by MITCO should be made at Bhilwara and not from the Headquarter of the MITCO.

(f) MITCO should keep master samples in their Bhilwara Office for inspection by the prospective sellers of Rajasthan mica for their guidance.

(g) Mica based industry should be established in Rajasthan.

(h) MITCO should make purchases of mica flakes, scrap and powder from Rajasthan also against the orders it receives from buyers.

(i) Representation of Rajasthan Mica Trade and Industry be nominated on the Mica Advisory Committee.

व्यापार तथा वाणिज्य के लाभ और विस्तार की अधिकतम सीमा

1566. **डा० बापू कालदाते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार तथा वाणिज्य के लाभ और विस्तार के साथ भूमि की अधिकतम सीमा की समानता निर्धारित करने के लिए कोई उपयुक्त कानून बनाने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार भूमि से होने वाली आय में कटौती और व्यापार वाणिज्य और उद्योग से होने वाले लाभ में कोई भेदभाव समझती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क), (ख) और (ग) भूमि की अधिकतम सीमा, ग्रामीण क्षेत्रों में आय तथा धन की असमानता दूर करने की दृष्टि से निर्धारित की गयी थी। इसी उद्देश्य को, कृषि-भिन्न क्षेत्र में भी आय तथा धन पर कर लगा कर, प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है।

फालतू श्रमिकों को ग्रामीण सहकारी उद्योगों में नियोजित करना

1567. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का विचार मूलतः एक छोटी कृषक अर्थ-व्यवस्था का विकास करने का है जो उत्पादन तथा विपणन सहकारिता से समन्वित हो और जिसमें फालतू श्रमिकों का धीरे-धीरे ग्रामीण सहकारी उद्योगों में नियोजन हो ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : सरकार की आयोजना की नयी नीति और उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल है :—

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन कार्यक्रमों के माध्यम से 10 वर्षों में पूर्ण रोजगार प्राप्त करना;

(ii) समाज के कमजोर वर्गों के लिए रोजगार तथा उत्पादन के अवसरों की व्यवस्था करने पर बल देना ; और

(iii) वैज्ञानिक तथा टेक्नालाजिकल क्रान्ति लाना, जिसमें ग्राम विकास तथा कृषि संसाधन के लिए तैयार की गई श्रम प्रधान टैक्नालाजी की व्यवस्था हो।

2. आयोजना की इस नीति के अनुरूप सहकारी विकास को आगामी योजना के प्रस्तावों में गरीब ग्रामीणों की आर्थिक क्षमता बढ़ाने तथा रोजगार देने वाली और श्रम प्रधान कृषि संसाधन यूनिटें आरम्भ करके पर्याप्त ग्रामीण रोजगार पैदा करने पर बल दिया जा रहा है। दिसम्बर, 1977 में हुये सहकारिता के राज्य मंत्रियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में जो राष्ट्रीय सहकारी नीति संकल्प अपनाया गया, उसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन बातों का भी निश्चय किया गया है :—

(i) सहकारी समितियों का निर्माण विकेन्द्रित, श्रम-प्रधान और ग्रामोन्मुख आर्थिक विकास करने के एक प्रमुख साधन के रूप में किया जायेगा ;

(ii) सम्पूर्ण तथा व्यापक ग्राम विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत जीवन्त तथा समन्वित सहकारी प्रणाली बनाई जायेगी। इसके लिए ऋण कृषि निवेशों की आपूर्ति, कृषि उत्पादन, जिसमें डेरी, कुक्कुट पालन, मछली पालन, सुअर पालन आदि जैसी सहायक गतिविधियां भी शामिल हैं, के बीच संबंध धीरे-धीरे मजबूत किये जायेंगे ; और

(iii) सहकारी कृषि संसाधन और औद्योगिक यूनिटों का एक जाल बिछाया जायेगा, जिसमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच लाभकर तथा आर्थिक संबंध स्थापित किये जा सकें।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा चावल मिल और शीत भण्डार के लिए पश्चिम बंगाल को दी गई धनराशि

1568. **डा० सरदीश राय** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में चावाल मिल और शीत भण्डार की स्थापना के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने धनराशि दी है ;

(ख) ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं और प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि दी गई है ;

(ग) क्या उक्त योजना पूरी हो गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) :
(क) जी हाँ।

(ख) सूचना अनुबन्ध-I में दी गई है।

(ग) और (घ) स्थिति अनुबन्ध–II में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1692/78]

विदेशी कम्पनियों द्वारा पूंजी को कम किया जाना

1569. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी विदेशी स्वामित्वाधीन कम्पनियों ने निर्धारित अवधि के भीतर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन अपनी पूंजी को कम करना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि कुछ कम्पनियों ने इससे इन्कार किया है तो उनके नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन कम्पनियों संबंधी ब्यौरा क्या है जिन्होंने पूंजी को कम करना स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने से इन्कार करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) सभी विदेशी कम्पनियां जिन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत निदेश दिये गये हैं, इनका अनुपालन करने के लिए कार्यवाई कर रही हैं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के निर्देश कानूनी ढंग के होते हैं और इनका पालन ना करने पर अधिनियम के दण्डात्मक उपबंध लागू हो जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान 8 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2943 के उत्तर में दी गयी कम्पनियों की सूची की ओर आकर्षित किया जाता है।

(घ) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

भारतीय व्यापार सेवा

1570. **श्री सी० के० जफ़र शरीफ** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 में स्थापित की गयी माथुर समिति द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार प्रस्तावित भारतीय व्यापार सेवा के कार्यक्षेत्र संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) ऐसी सेवा में नियोजन हेतु इसकी शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) भारतीय व्यापार सेवा (अब केन्द्रीय व्यापार सेवा के रूप में जानी जाती है) बनाने की सिफारिश माथुर समिति द्वारा अधिकारी स्तर पर आयात एवं निर्यात के मुख्य नियंत्रक के संगठन में अमले की व्यवस्था करने के लिये की गई थी। सेवा में नियोजन की शर्तें लगभग वही होंगी जो अन्य केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित केन्द्रीय सरकार के वर्ग 1 के अधिकारियों पर लागू होती है। केन्द्रीय व्यापार सेवा के अधिकारियों को आयात एवं निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी भी अन्य विभाग अथवा लोक उपक्रम में केन्द्रीय सरकार की सेवा करनी होगी।

पश्चिम बंगाल आयकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन से अभ्यावेदन

1571. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि आयकर विभाग का कोई कर्मचारी विभागीय परीक्षा पास कर लेता है और रिक्तियों की कमी के कारण यदि किसी विशेष तिथि तक उसे पदोन्नति नहीं मिलती तो उसका पदोन्नति के लिये दावा समाप्त हो जाता है और उसे अपना भाग्य आजमाने के लिये अगले वर्ष फिर से परीक्षा देनी पड़ती है ;

(ख) क्या आयकर विभाग की अन्य विभागीय परीक्षाओं में परीक्षार्थी के एक बार परीक्षा पास कर लेने के बाद उसे पदोन्नति प्राप्त करने के लिये फिर से परीक्षा नहीं देनी पड़ती ;

(ग) यदि हाँ, तो उसी विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर भी वही सिद्धान्त लागू न करने के क्या कारण है ;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल आयकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन ने सरकार को अनेक अभ्यावेदन देकर अनुरोध किया है कि सभी कर्मचारियों पर एक ही सिद्धान्त लागू किया जाये ; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार की उस् पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : (क) अनुमानतः प्रश्न का संकेत आयकर विभाग में ग्रुप 'घ' कर्मचारियों, नोटिस तामीलकर्त्ताओं और स्टाफ कार ड्राइवरों के लिए आरक्षित 10 प्रतिशत कोटे के प्रति विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों पर नियुक्तियां करने के लिए ली जाने वाली परीक्षा की ओर है। यह परीक्षा गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई उस आम योजना के अनुसार ली जाती है जो केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों पर लागू होती है। इस योजना के अनुसार, यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है और सफल उम्मीदवारों की सूची, अगली परीक्षा के आयोजित किये जाने तक, वैध रखी जाती है। जिन उम्मीदवारों की नियुक्तियां सूची के वैध रहने की अवधि तक नहीं हो पाती हैं, वे किसी/किन्हीं बाद वाले वर्ष/वर्षों में फिर से परीक्षा में बैठ सकते हैं बशर्ते कि वे बाद की परीक्षाओं में बैठने के लिए अन्यथा योग्य हों।

(ख) और (ग) विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विभागीय कर्मचारियों को, उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के प्रयोजन के लिए ऐसी परीक्षाओं में फिर से नहीं बैठना होता है, क्योंकि ये परीक्षाएं अर्हताप्रदायी किस्म की है, जिनको उत्तीर्ण करना, पदोन्नति के लिए योग्य होने की शर्तों में से एक शर्त हैं। विभागीय परीक्षाओं की यह योजना स्वयं विभाग द्वारा चलाई जाती है, उन परीक्षाओं की तरह नहीं जो ग्रुप 'घ' कर्मचारियों के लिए आरक्षित 10 प्रतिशत कोटे के प्रति निम्न श्रेणी लिपिक ग्रेड में नियुक्तियाँ करने के लिए ली जाती हैं। बाद वाली परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा है और अब इसे कर्मचारी चयन आयोग आयोजित करता है। चूंकि परीक्षा के लिये यह योजना एक आम योजना है और यह केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों पर लागू होती है, इसलिए आयकर विभाग के कर्मचारियों के ही मामले में कोई अपवाद नहीं रखा जा सकता।

(घ) और (ङ) इस संबंध में पश्चिम बंगाल आयकर श्रेणी IV कर्मचारी संघ ने जो अभ्यावेदन दिए थे उन पर सरकार ने विचार किया है लेकिन यह प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं पायी गयी।

सरकारी उपक्रमों द्वारा अर्जित किये जाने वाले भारी लाभ को रोकना

1572. **श्री एस०एस० सोमानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी उपक्रमों द्वारा अर्जित किये जाने वाली भारी लाभ को कम करने और इस प्रकार मूल्यों को कम करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : यह कहना ठीक नहीं है कि सरकारी उद्यम अपना सामान ऊंचे दामों पर बेचकर भारी लाभ कमा रहे हैं। इसके विपरीत, कोयला, तेल, उर्वरक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जहाँ लागत बढ़ जाने से मूल्य बढ़ाना ठीक होते हुए भी सरकार ने इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया है, ताकि उनसे प्रभावित अन्य वस्तुओं के मूल्य भी न बढ़ें और इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाया जा सके तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को महंगाई से बचाया जा सके। जो सरकारी उद्यम एकाधिकारी क्षेत्रों के अन्तर्गत संचालित हैं, उनमें औपचारिक अथवा अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण के बारे में समस्याएँ सामान्यतः बनी रहती हैं।

कामोडिटी बोर्डों और निर्यात संवर्धन परिषद् में पंजीकृत निर्यात कर्ता फर्मों की संख्या

1573. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1978 को प्रत्येक कामोडिटी बोर्ड और निर्यात संवर्धन परिषद् में पंजीकृत निर्यातकर्त्ता की सही संख्या क्या थी;

(ख) इस तारीख को प्रत्येक रजिस्ट्री प्राधिकरण के पास पंजीकृत निर्यातकर्त्ताओं में से कितनी फर्में एकल स्वामित्व वाली फर्में थी, कितनी भागीदारी वाली फर्में थीं, कितनी प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ थीं ;

(ग) प्रत्येक रजिस्ट्री प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में कितने निर्यातकर्त्ता निर्माता निर्यातकर्त्ता थे और कितने व्यापार निर्यातकर्त्ता ; और

(घ) निर्माता निर्यातकर्त्ताओं के रूप में प्रत्येक रजिस्ट्री प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में कितने निर्यातकर्त्ता लघु उद्योग के एकक थे और कितने बड़े उद्योग अथवा डी० जी टी० डी० के एकक थे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा बड़े औद्योगिक गृहों को ऋण

1574. **श्री के० ए० राजन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान ने बड़े औद्योगिक गृह को कुल कितनी राशि के ऋण दिये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से बहुत से मूल राशि लेकर न ब्याज का भुगतान करने में पिछड़े हुये हैं; कुछ तो पांच वर्ष से भी अधिक अवधि से पीछे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) एकाधिकारी तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अंतर्गत पंजीकृत बड़े औद्योगिक गृहों से संबंधित प्रतिष्ठानों को, सार्वधिक ऋण प्रदान करने वाली अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय बीमा निगम, जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा दी गयी सहायता की, दिसम्बर, 1977 के अंत की स्थिति तथा सहायता पाने वाली कम्पनियों की बकाया की स्थिति अनुबंध में दी गयी है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बारे में इस प्रकार की सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासंभव उपलब्ध सूचना पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

बकाया की स्थिति　　　　(करोड़ रुपयों में)

संस्था का नाम	वितरित की गई ऋण की कुल राशि	एककों की संख्या	बकाया राशि में मूल	बकाया राशि पर व्याज	बकाया की अवधि	टिप्पणी
1. भारतीय यूनिट ट्रस्ट	7.16	3	00.06	00.21	एक से $1\frac{1}{2}$ वर्ष तक	
2. भारतीय ऋण तथा निवेश निगम	240.42	3	00.60	00.29	पांच वर्ष से कम	
3. जीवन बीमा निगम	61.63	5	01.35	2.50	पांच वर्ष से कम	
4. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	115.53	22	3.04	2.10	21 एककों के मामले में 5 वर्ष से कम तथा 1 एकक के बारे में पांच वर्ष से अधिक	
5. विविध बीमा निगम	00.30	—	—	—	मूल का पुनर्भुगतान अभी देय नहीं है। सहायक एककों द्वारा ब्याज के भुगतान में कोई पिछड़ा नहीं है।	

त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों के लिए सीधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा

1575. **श्री के० ए० राजन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों के लिये 1 जनवरी से सीधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं आरम्भ नहीं की गई जैसा कि पहले आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के बीच कतिपय विवादों के कारण विलम्ब हुआ ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस प्रकार निपटाया गया ;

(घ) क्या उक्त सेवाएं इस बीच आरम्भ कर दी गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं। सेवा के जनवरी, 1978 में आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) एयर इंडिया ने त्रिवेन्द्रम तथा दुबाई के बीच बोइंग-707 विमान से एक साप्ताहिक सेवा का 31 जनवरी, 1978 से परिचालन प्रारम्भ कर दिया।

Credit Obtained From Belgium

1576. **Shri Hargovind Verma:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have obtained credit from Belgium during the last one year; and

(b) if so, the amount and the terms thereof?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of Belgium have extended a Credit of B.F. 375 million (Rs. 9.71 crores) in the year 1977-78. Of this amount, B.F. 90 million is in the form of Debt Relief and B.F. 285 million is for the import of Belgian goods and services. The loan is interest free and is repayable over a period of 30 years including a grace period of 10 years.

Supply of Hindi Dailies and Magazines to Passengers on all Indian Airlines Flights

1577. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that daily Hindi newspapers and Hindi magazines are not provided at present to the passengers of all the flights of the Indian Airlines and if so, the main reasons therefor; and

(b) the number of dailies, weeklies and monthlies, language-wise being provided at present in all the air flights within the country?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purusottam Kaushik) : (a) Hindi newspapers are provided on board all Indian Airlines flights except those in the Southern region. Magazines and periodicals are, however, not provided.

(b) A statement indicating the number of newspapers, language-wise, in different types of aircraft, which are placed on Board the Indian-Airlines flights in various regions within the country, is enclosed.

STATEMENT

A statement showing details of newspapers language-wise, aircraft-wise and region-wise, placed on board the Indian Airlines aricraft within the country.

	A—300B2	B—737	HS—748
DELHI			
English	190	91	29
Hindi	72	30	14
Urdu	16	5	5
	278	126	48
CALCUTTA			
English	No morning flight originates from calcutta	96	27
Hindi		10	3
Bengali		20	10
		126	40
MADRAS			
English	No morning flight originates from Madras	110	40
Hindi		Nil	Nil
Tamil		16	8
		126	48
BOMBAY			
English	235	100	28
Hindi	17	10	2
Marathi	16	8	4
Gujarati	10	8	14
	278	126	48

बैंक ग्राफ इंडिया और ग्रान्ध्र स्टील कारपोरेशन लि०, कलकत्ता के बीच विवाद

1578. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**: क्या **वित्त** मंत्री बैंक ग्राफ इंडिया ग्रौर ग्रान्ध्र स्टील कारपोरेशन लि०, कलकत्ता के बीच विवाद के बारे में 9 दिसम्बर, 1977 के ग्रतारांकित प्रश्न सं० 3283 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूछा गया विवरण इस बीच एकत्रित कर लिया गया है ;

(ख) क्या इस कारखाने के वित्त पोषण के लिए बैंक ग्राफ इंडिया तथा ग्रान्ध्र स्टील कारपोरेशन लि०, कलकत्ता के बीच नई सिरे से बातचीत शुरू की गई है जिससे भारी संख्या में उन श्रमिकों को बचाया जा सके जो कारखाने के बन्द होने से बेरोजगार हो गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो सभी उत्पादन एककों को चालू करने के लिए ग्रांध्र स्टील कारपोरेशन लि० को समुचित सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; ग्रौर

(घ) जितनी अवधि तक ये कारखाने बन्द रहे, उस अवधि के दौरान ऋणों पर ब्याज आदि के लिए कम्पनी को यकायक वित्त बन्द कर देने के कारण बैंक आफ इंडिया को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) उद्योग में सामान्य मंदी के अलावा श्रमिक विवादों, कार्यकारी पूंजी के पूंजीगत व्यय में लगा दिये जाने और मित्तल परिवार में भीषण आपसी झगड़े के कारण, मित्तल परिवार द्वारा प्रायोजित सर्वश्री आंध्र स्टील कारपोरेशन लि० के सामने, 1974 के अंत से कठिनाइयां आनी शुरू हो गयी थीं। बैंक ने सूचित किया है कि मित्तल परिवार के दो समूहों में झगड़े के कारण कम्पनी में उत्तरदायी प्रबंध लगभग समाप्त हो गया था। दीवाली को समाप्त होने वाले 1975 और 1976 वर्षों में कम्पनी ने कोई भी वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित नहीं की। बकाया में बढ़ौतरी, गिरवी रखे हुये स्टाकों के खात्में और अनधिकृत निपटान, बिक्री की आमदनी के अपव्यय, बैंक के जानकारी के बिना गिरवी रखी हुई सम्पत्ति पर दुबारा प्रभार निर्मित करना आदि के कारण कम्पनी के प्रमुख बैंक अर्थात् बैंक आफ इंडिया को अपने हितों की रक्षा के लिए अन्य वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुकद्दमा दायर करना पड़ा।

मित्तल परिवार के एक सदस्य के आवेदन पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये एक आदेश के अनुसरण में, जुलाई, 1977 में एक नयी प्रबंध समिति गठित की गयी। बैंक ने सूचित किया है कि इस नयी प्रबंध समिति के गठन के बावजूद मित्तल परिवार के दो समूहों के बीच आपसी झगड़ा बराबर चले जा रहा है, जिससे इनमें से हर समूह प्रबंध समिति के काम के सुचारु संचालन में बाधा डालने का प्रयत्न कर रहा है। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि समझौता कराने की उसकी पूरी कोशिश के बावजूद समझौता नहीं हो सका है और कम्पनी उसके प्रयासों के अनुकूल कार्यवाई नहीं कर रही है। कम्पनी के निरंतर असहयोगी रवैये और ऋणों की बड़ी मात्रा को देखते हुए, जिसके कि कुछ भाग के लिए जमानत भी नहीं ली गयी है, बैंक का विचार है कि इस कम्पनी को और वित्तीय सहायता देना उचित नहीं होगा।

(घ) पहले से दिये गये ऋणों के ब्याज की अदायगी के बारे में कम्पनी बाकीदार रही है और आगे और वित्तीय सहायता न देने से, जहां तक ब्याज की अदायगी का प्रश्न है, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया है। बैंक ने सूचना दी है कि उस ने इस कम्पनी की कई इकाईयों को कार्यकारी पूंजी विषयक ऋण दिया है। कम्पनी के नामे कुल बाकी रकम 4.80 करोड़ रुपये बैठती है। इस रकम में से 98 लाख रुपये किसी जमानत द्वारा सुरक्षित भी नहीं है। क्योंकि बैंक इस समय अपने हितों की रक्षा की प्रक्रिया में लगा हुआ है अतः अभी यह बताना कठिन है कि अन्ततः इस खाते बैंक को कुल कितना घाटा उठाना पड़ सकता है।

मोकालबाड़ी कनोईटी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा विदेशों को धनराशि का अन्तरण

1579. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री मोकालबाड़ी कनोई टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा भारी धनराशि का अन्तरण करने के बारे में 23 सितम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4927 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे मामले का अध्ययन किया गया है और उसकी व्यापक जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या कम्पनी के निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों के विदेशों में रहने की कुल अवधि उनकी विदेशों में यात्रा के प्रयोजनार्थ पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है, वे किन-किन स्थानों में रहे, सरकार द्वारा दी गई विदेशी मुद्रा की राशि कितनी है, होटलों आदि में उनके रहने आदि के लिए कितनी राशि खर्च की गई और उसके स्रोत क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख), (ग) और (घ) कम्पनी के निदेशकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के विदेशों में ठहरने की अवधि, प्रयोजन और स्थानों के बारे में जांच की जा रही है।

Rise in the Prices of Groundnut Oil in Gujarat

1580. **Shri Amarsinh V. Rathawa** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the production in tonnes of groundnut in Gujarat during the current year;

(b) the target fixed in regard to this production by the Civil Supplies Minister of Gujarat;

(c) whether there has been record production of groundnut during this year as compared to that of the last five years;

(d) whether Government are aware that despite the record production of groundnut, the prices of groundnut oil in Gujarat have increased; and

(e) if so, the reasons therefor and the measures taken and directives issued to the state by the Central Government to stablise prices thereof?

Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) to (e) A statement is attached.

STATEMENT

No target has been fixed for the production of groundnut in Gujarat State by the Civil Supplies Minister of that State. For 1977-78 a target of 21 lakh tonnes of oilseed as a whole has, however, been fixed. The estimates of production of groundnut for a year is generally received from the State Governments in the month of June only. Statements showing the production of groundnut for the years 1972-73 to 1976-77 and the prices of groundnut oil at Rajkot from April, 77 to February, 78 are attached (Annex-I & II). The record production has been in the year 1975-76 and there has been a sizeable fall in production during 1976-77 mainly due to which prices were ruling high in that year. The prices have been around Rs. 690 per Qtl. during February, 78.

The following are some of the important steps taken to contain the rising trends in prices of edible oils:—

(1) A restrictive monetary and credit policy;

(2) Free inter-State movement and sale of edible oils and oilseeds;

(3) Continuation of ban on exports of HPS Groundnuts and edible oils;

(4) Import of sizeable quantities of rapeseed oil and sale through public distribution of the refined rapeseed oil at a price not exceeding Rs. 7.50 a kg.;

(5) Supply of imported oils to the vanaspati industry ranging between 75% to 90% of their oil requirements;

(6) Imposition of stock limits on dealers and commission agents in edible oils and oilseeds.

Gujarat, like all other major oilseed producing States, has been asked not to impose any restrictions, formal or informal, on free inter-State movement of edible oils.

ANNEX—I

Statement showing production of groundnut in Gujarat

Year	Production ('000 tonne)
1972-73	349.5
1973-74	1241.4
1974-75	465.0
1975-76	2034.6
1976-77	1898.4

ANNEX—II

Month and Prices of Groundnut oil at Rajkot during 1977-78

Month	Price per quintal Rs.
1977	
April	737.50
May	835.00
June	842.50
July	720.00
August	780.00
September	757.50
October	655.50
November	665.00
December	702.50
1978	
January	685.00
February (as on 18-2-78)	690.00

बैंकों की कुटीर उद्योग के लिये ऋण नीति

1581. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक 6 फरवरी, 1978 में प्रकाशित इस समाचार में कोई सच्चाई है कि बैंकों की नीति के कारण दिल्ली में कुटीर उद्योग "बैंक ऋणों से वंचित" हैं ; और

(ख) सरकार का इस बारे में क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण देने के अपने कार्यक्रम के अंग के रूप में कुटीर उद्योगों सहित छोटे पैमाने के उद्योगों की आवश्यकता के आधार पर ब्याज की रियायती दर से ऋण प्रदान करते हैं।

6-2-78 को हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट में संभवतः विदेशी ब्याज दर की योजना का उल्लेख किया गया है जिसके अन्तर्गत पात्र ऋण कर्त्ताओं को 4 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण दिया जाता है। आरम्भ में यह योजना कुछ चुने हुए पिछड़े जिलों तक ही सीमित थी किन्तु मई, 1977 से इसे दिल्ली के संघ शासित प्रदेश सहित सारे देश में लागू कर दिया गया है और इस योजना के अंतर्गत बैंकों ने काफी मात्रा में ऋण भी दिये हैं।

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव

1582. **माधवराव सिंधिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह कानून अनुमानतः कब तक पुरःस्थापित किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) फिलहाल, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

एयर इंडिया के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा विमान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

1583. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नववर्ष के दिन एयर इंडिया जम्बो की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना एयर इंडिया के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा विमान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के कारण हुई ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने इसे वास्तविकता समझा है और "कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी" को इसका जांच कार्य सौंप दिया है; और

(ग) यदि हां, तो कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) दुर्घटना की जांच बम्बई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश श्री जस्टिस एम० एन० चन्दूरकर की अध्यक्षता में गठित एक जांच अदालत द्वारा की जा रही है। दुर्घटना के कारण का पता केवल जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही लगेगा जिसके कि 31-3-1978 तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

मोकालबाड़ी कनोई टी एस्टेट प्राइवेट लि० कलकत्ता के बारे में पत्रों का बीच में खोल कर पढ़ा जाना

1584. **श्री शरद यादव** : क्या **वित्त** मंत्री मोकालबाड़ी कनाई टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा भारी धनराशि के अन्तरण के बारे में 23 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4927 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने अनेक अवसरों पर उक्त कम्पनी द्वारा लन्दन और पश्चिम जर्मनी स्थित अपनी सहयोगी कम्पनियों को लिखे गये कुछ बहुत महत्वपूर्ण पत्रों को और इसी प्रकार उन सहयोगी कम्पनियों द्वारा इस कम्पनी को लिखे गये पत्रों को बीच में खोल कर पढ़ा था और विदेशी मुद्रा में हेराफेरी करने के गिरोह का पता लगाया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या तत्पश्चात् उनके स्थानों पर छापे मारे गये थे; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा की धोखा-घड़ी किये जाने के किसी मामले की सूचना अभी तक प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस में नहीं आयी है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

Raising of Capital Investment

1585. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that keeping in view the present position of national production the level of capital investment is required to be raised to thirty per cent from fourteen per cent for national economic progress;

(b) whether it is also a fact that the position of national production is at a stand-still because of not accelerating the pace of investment; and

(c) the time by which steps are proposed to be taken to accelerate to the place of investment and if not, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a), (b) & (c) Yes, Sir. The present level of investment in the economy is not commensurate with the level needed to achieve a high rate of growth. But it is not certain that it has to be as high as 30 per cent for this purpose. Even so, the imperative need of achieving a sizable increase in the rate of investment in the shortest span of time in the economy is recognised by the Government. As has been pointed out in the Economic Survey, 1977-78, the medium-term prospects for stepping up investment in the economy are good and the Government would like to take advantage of these favourable factors. Meanwhile, the Planning Commission which is engaged in the formulation of the Sixth Plan would give, very shortly, an assessment of the resources that would become available for investment in the economy and would also indicate the guidelines for the various investment priorities to obtain a higher rate of growth in the economy.

Financial Aid For U.P. Government

†1586 : **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether U.P. Government has asked the Central Government to provide financial aid ; and

(b) if so, the decision taken by the Government thereon ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) Yes, Sir.

(b) Additional advance Plan assistance of Rs. 35.50 crores has been allocated to the Government of Uttar Pradesh to cover half of the residual gap in resources to enable the State Government to maintain the approved Plan outlays and keep up the tempo of development.

ग्राम बीमा कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

1587. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम बीमा कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 23 जनवरी, 1978 को बम्बई में उनसे भेंट की थी ;

(ख) क्या उक्त प्रतिनिधिमण्डल ने कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया था ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) उक्त मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) ज्ञापन में जो प्रश्न उठाए गए थे वे हैं : वर्ष 1976 के लिए बोनस और 1974 और 1975 में बोनस में की गई कटौती की बहाली, भविष्य निधि के अंशदान में कटौती, बीमारी की छुट्टी के उपबंधों में संशोधन, विकास कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन और नौकरी की सुरक्षा की गांरटी ।

(घ) जहां तक बोनस का संबंध है, सरकार ने इस बात का अनुमोदन कर दिया है कि साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कम्पनियों के पात्र कर्मचारियों को 750 रुपए मासिक के वेतन स्तर पर देय अधिकतम राशि के आधार पर वर्ष 1976 के लिए अनुग्रही अदायगी वार्षिक वेतन की 20 प्रतिशत की दर से कर दी जाए । यह अनुग्रही राशि केवल 1600 रुपये प्रति मास तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ही दी जाएगी ।

भविष्य निधि के संबंध में कर्मचारियों की मांग यह है कि भविष्य निधि में अंशदान को मूल वेतन के 10 प्रतिशत से घटा कर मंहगाई भत्ते सहित वेतन के 8 प्रतिशत की मूल दर पर बहाल कर दिया जाए । भविष्य निधि में अंशदान की दर में संशोधन साधारण बीमा निगम के सभी कर्मचारियों को समान स्तर पर लाने तथा जीवन बीमा निगम के साथ एकरूपता लाने के विचार से किया गया था ।

बीमारी की छुट्टी के उपबंधों के संबंध में कर्मचारियों ने मांग की थी कि प्रति वर्ष आधे वेतन पर 30 दिन की छुट्टी के संशोधित निर्णय के बदले पूरे वेतन पर 30 दिन की छुट्टी बहाल की जाए । यह संशोधन जीवन बीमा निगम तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के साथ एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से किया गया था ।

जहां तक कर्मचारियों का संबंध है उनकी मुख्य मांगें उनकी सेवा की शर्तों में लागत मानकों तथा नौकरी से निकाले जाने के उपबंधों के खिलाफ थीं । इन मांगों पर साधारण बीमा निगम के परामर्श से विचार किया गया है और हाल ही में इन लागत मानकों की कड़ाई को कम करने, वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने और नौकरी से निकाल दिए जाने की शर्तों में कुछ छूट दी गई है ।

गुड़ की वसूली और निर्यात

1588. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर गुड़ बाजार में प्रवेश करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गुड़ बाजार में मंदी रोकने हेतु गन्ना उत्पादकों और गुड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिये कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने गुड़ का निर्यात करने का भी निर्णय किया है ;

(घ) क्या सरकार ने गैर-सरकारी पार्टियों को गुड़ का निर्यात करने की अनुमति देने का भी निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितना गुड़ निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) यह सुनिश्चित करने के विचार से कि गुड़ का मूल्य लाभकर स्तर से नीचे न गिरे और गन्ना उत्पादकों तथा गुड़ उत्पादकों के हितों के संरक्षण के उपाय के रूप में, भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नेफेड) से कहा गया है कि वह देश की महत्वपूर्ण मण्डियों में गुड़ की खरीद करें और उसे उन मण्डियों में बेचे जहां भाव ऊंचे हों। इस संघ ने विभिन्न मण्डियों में गुड़ की खरीद शुरु कर दी है।

(ग) तथा (घ) अगस्त, 1977 में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात करने के लिए 1000 मीटरी टन गुड़ देने का निर्णय किया गया था। फरवरी, 1978 में निजी पार्टियों के माध्यम से भी निर्यात करने के लिए 5,000 मीटरी टन गुड़ और दिया गया। तथापि अब गुड़ के निर्यात पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।

(ङ) अब तक राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात किये जाने वाले लगभग 300 मीटरी टन गुड़ के लिए लदान संबंधी कागजात को अंतिम रूप दिया गया है।

Artificial Rain

1589. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the press report that an Agricultural Officer of the Palanpur state Bank in Mahsana District in Gujarat has claimed that artificial rain can be caused by exploding shells containing certain chemicals and the rain can also be stopped by breaking artificial clouds by lanching another shell; and

(b) if so, whether Government have got this claim investigated, and if so. the result thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under examination.

सरकारी क्षेत्र के प्रबंध के ढांचे में परिवर्तन करना

1590. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध के ढांचे में परिवर्तन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी उपक्रम ब्यूरों से ऐसे परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) सरकारी उद्यमों के प्रबन्ध के ढांचे में सामान्यतः परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सभी सरकारी उद्योग गतिशील संगठन है तथा इसलिए

उनके ढांचे और कार्यचालन की निरंतर समीक्षा की जाती रहती है। इस संदर्भ में जिन प्रमुख उद्यमों के पुनर्गठन का प्रस्ताव है, वे हैं—भारतीय उर्वरक निगम, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड आदि।

(ख) सरकारी उद्यम कार्यालय से ऐसे परिवर्तनों के प्रभाव का अध्ययन शुरू करने के लिए नहीं कहा गया है ।

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Indianisation of Multi-National Corporations in India

1591. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya** : Will the Minister of **Finanne** be pleased to State :

(a) The number of multi-national coporations operating in India at present ;

(b) the total capital invested in each case ;

(c) whether most of these multi-national corporations are earning huge profits by manufacturing consumer goods ;

(d) whether the Indians have the knowledge of their technical know-how ; and

(e) if so, the reaction of Government to the proposal of Indiansation of such Corporations ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) According to latest available data there were 171 Indian subsidiaries (as on 31-3-1976) and 475 (as on 31-12-77) branches of foreign companies operating in India.

(b) Estimates are available for the period ending 31st March. 1973 and outstanding foreign investment as on that date is estimated at Rs. 1816 crores.

(c) Foreign companies are operating in several sectors of the economy including consumer goods industries. Some of the companies manufacturing consumer goods are making comparatively high profits.

(d) Yes, Sir.

(e) No New foreign investment is being permitted in these areas, unless the production is predominently for export. So far as companies which were already operating in India as on 1st January, 1974 are concerned, they have been dircted to reduce the foreign share-holding to 40% under Section 29 of the Foreign Exchange Regulation Act.

U.S. Aid to India

1592. **Shri Y. P. Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the U.S. Congress has approved a nine crore dollar aid for India for this year ;

(b) whether no assistance was received by India from the U.S.A. during the past seven years ; and

(c) the development programmes on which the said nine-crore dollar U.S. assistance is proposed to be utilized and regions of the country where these programmes will be implemented ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) &(c) The U.S. Administration has proposed development assistance of dollar 60 million for U.S. fiscal year 1978 and dollar 90 milion for U.S. fiscal year 1979 in their aid presentation to the U.S. Congress. The Projects for which this aid could be utilised are still under consideration by both sides and a decision will be taken after the U.S. Congress has approved the aid proposals of the Administration.

(b) Apart from some food and soyabean oil received in the past 3 years under PL. 480, there has been no development assistance from USA since 1972.

भारतीय क्षेत्र के ऊपर से "कनकार्ड" उड़ानों का प्रभाव

1593. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन :**
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने ब्रिटेन को यह वचन दे दिया है कि वह विवादग्रस्त सुपर सोनिक विमान कनकार्ड को भारतीय विमान क्षेत्र के ऊपर से उड़ने के लिए अनुमति दे देगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उड़ते हुए सुपर सोनिक विमान से निकलने वाली ध्वनि का मनुष्यों पर और उन विमानों का सब-सैनिक विमानों जो सुपर सोनिक विमानों के गुजरते समय उड़ रहे होंगे, पड़ने वाले प्रभावों का पर्याप्त अध्ययन कर लिया है ;

(ग) क्या इस बात का भी अध्ययन कर लिया गया है कि सुपर सोनिक उड़ानों का पर्यावरण सम्बन्धी संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) यदि हो, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) "कानकार्ड" की उड़ानों की अनुमति किन शर्तों पर दी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोतम **कौशिक)** : (क) ब्रिटिश प्रधान मंत्री, श्री जेम्स कैलहन की जनवरी, 1978 में भारत की यात्रा के दौरान कानकार्ड विमानों को भारत के ऊपर से सुपर-सानिक रफतार पर उड़ान करने की अनुमति देने के प्रश्न को उठाया गया था। हमारे प्रधान मंत्री ने श्री कैलहन को कहा था कि उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इस प्रश्न की अब जांच कर ली गयी है तथा भारत सरकार ने, इस बात को नोट करते हुए कि यूरोप के कुछ देशों तथा अन्य देशों ने भी ऐसी उड़ानों से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मनुष्यों तथा सम्पत्ति को होने वाले संभावित नुकसान को दृष्टि में रखते हुए अनुमति नहीं दी है, निर्णय किया है कि भारतीय भू-भाग के ऊपर से कानकार्ड विमानों को सुपर सोनिक रफतार पर उड़ान करने की अनुमति न दी जाए।

(ख), (ग) (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भारत में विदेशी पूंजी निवेश के लिये खुले उद्योग तथा क्षेत्र

1594. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी पूंजी निवेश के लिए कौन से विशिष्ट उद्योग तथा क्षेत्र खुले हैं ;

(ख) सरकार के प्रतिनिधियों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रतिनिधियों के एक दल के बीच हुई नई दिल्ली मे हाल ही में पूरी हई बातचीत के क्या निष्कर्ष और परिणाम निकले ; और

(ग) क्या सरकार ने विदेशी पूंजी निवेशकर्ताओं को भारत में पूंजी निवेश के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव दिए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जैसाकि 23 दिसम्बर, 1977 को सभा पटल पर औद्योगिक नीति के बारे में रखे गए विवरण में बताया गया है, सरकार एक सूची प्रकाशित करेगी जिसमें वे क्षेत्र प्रदर्शित किए जायेंगे जहां विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरे क्षेत्रों में विदेशी निवेश का निर्णय गुणागुण के आधार पर किया जाएगा।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (बिजिनैस इंटरनेशनल) द्वारा बुलाये गए गोल मेज सम्मेलन में अनौपचारिक रुप से व्यापार, विकास और निवेश के संबंध में सरकारी नीतियों पर विचार विमर्श हुआ था। नयी औद्योगिक नीति के संदर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण किए गए थे।

(ग) जी, नहीं।

वर्ष 1971 से 1977 की अवधि के दौरान निर्यात किये गये लौह अयस्क की मात्रा और मूल्य

1595. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 से 1976-77 की अवधि के दौरान निर्यात किए गए लौह अयस्क की कुल मात्रा और मूल्य का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1971-72 से वर्ष 1976-77 की अवधि के दौरान लौह अयस्क की प्रति टन उत्पादन लागत का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1971-72 से 1976-77 की अवधि के दौरान निर्यात के माध्यम से वसूल की गई प्रति टन कीमत का वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वर्ष 1971-72 से 1976-77 के दौरान हमारे लौह-अयस्क के मुख्य आयातकर्ता कौन-कौन से देश रहे और प्रत्येक देश ने वर्षवार कितनी मात्रा में लौह अयस्क का आयात किया ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें 1971-72 से 1976-77 तक निर्यात किये गये भारतीय लौह अयस्क की मात्रा, मूल्य और गन्तव्य देश दिये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1693/78]

(ख) उत्पादन की खान से बाहर की लागत प्रत्येक खान पर अलग-अलग होती है जो निक्षेप के प्रकार, अधिक भार अनुपात, खनन ग्रेडिंग आदि के लिए कितनी संयंत्र तथा मशीनें अपेक्षित हैं, कार्यचालन का स्तर, स्वामित्व का प्रकार, खान से निकाले गये आयस्क की किस्म और अन्य बातों पर निर्भर करती है।

(ग) 1971-72 से भारत द्वारा लौह अयस्क के निर्यात का इकाई मूल्य (औसत निर्यात कीमत प्रति मी० टन) निम्नोक्त प्रकार रहा है :—

वर्ष	इकाई मूल्य (रु०/मी० टन)
1971-72	52.57
1972-73	53.27
1973-74	55.93
1974-75	71.94
1975-76	93.90
1976-77	101.61

इज़राइल तथा ताइवान के साथ व्यापार

1596. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इज़राइल और ताइवान के साथ व्यापार की सरकार द्वारा अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) भारत का इज़राइल तथा ताइवान के साथ कोई व्यापार करार नहीं हुआ है। परन्तु कुछ व्यापार होता अवश्य है।

(ख) 1976-77 में इज़राइल को 70 लाख रु० मूल्य के निर्यात किए गए थे और वहां से 56 लाख रु० मूल्य के आयात किए गए थे। उसी अवधि के दौरान ताइवान को 1752 लाख रु० मूल्य के निर्यात किए गए और वहां से 165 लाख रु० मूल्य के आयात किए गए।

सुपरसोनिक कनकार्ड विमानों को भारत के ऊपर से होकर होने वाली उड़ानों के कारण होने वाली क्षति के लिए मुआवजा

1597. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि उन्होंने कैलहन को यह बताया था कि अगर सुपरसौनिक कनकार्ड विमानों को भारत के ऊपर से उड़ने दिया जाता है, तो उसके परिणामस्वरूप होने वाली हानि के लिए मुआवजा देने सम्बन्धी ब्रिटिश प्रस्ताव पर वह विचार करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के बारे में ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी हां।

(ख) ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्री जेम्स कैलहन की जनवरी, 1978 में भारत की यात्रा के दौरान कानकार्ड विमानों को भारत के ऊपर से सुपरसानिक रफतार पर उड़ान करने की अनुमति देने के प्रश्न को उठाया गया था। हमारे प्रधान मंत्री ने श्री कैलहन को कहा था कि उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इस प्रश्न की अब जांच कर ली गयी है तथा भारत सरकार ने, इस बात को नोट करते हुए कि यूरोप के कुछ देशों तथा अन्य देशों ने भी ऐसी उड़ानों से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मनुष्यों तथा सम्पत्ति को होने वाले संभावित नुकसान को दृष्टि में रखते हुए अनुमति नहीं दी है, निर्णय किया है कि भारतीय भू-भाग के ऊपर से कनकार्ड विमानों को सुपरसानिक रफतार पर उड़ान करने की अनुमति न दी जाए।

भारत द्वारा श्रीलंका को ऋण

1598. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत ने श्रीलंका को 10 करोड़ रुपए का ऋण दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : जी, हाँ। श्री लंका को 10 करोड़ रुपये का एक ऋण देने के लिए 24 जनवरी, 1978 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये। इस ऋण से श्री लंका द्वारा भारत में खरीदी गयी नयी किस्म की पूंजीगत और अंतर्वर्ती वस्तुओं की वित्तपूर्ति की जाएगी।

Visits of Delegations of Ministers and Central Government Officers Abroad

1599. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of delegations of the Ministers and officers of Union Government which went abroad on official business since March, 1977 till date ; and

(b) the break up of the expenditure in Indian currency and foreign exchange incurred on such missions ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) & (b) The information for the period from 1-3-1977 to 28-2-1978 is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Opening of New Branches of Nationalised Banks

†1600. **Shri Rajendra Kumar Sharma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the target set for opening new branches of nationalised banks in rural areas in the current financial year ;

(b) the total amount of assistance proposed to be given by these banks to small farmers and for setting up of cottage industries ; and

(c) whether a direct and liberal scheme of advancing loans for the uplift of weaker sections of society would be undertaken and if so, the details thereof ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) The Reserve Bank have advised the commercial banks to draw up their branches expansion plans for 1978, keeping in view the need for opening more rural branches in the districts in which the population coverage of the banking system is lower that the all-India average. The overall parametres of the branch expansion programme of the banks during the current year will emerge only after the plans being submitted to the Reserve Bank are scrutinised and finalised.

(b) The public sector banks have been advised to enlarge the flow of there credit into the rural and semi-urban areas so as to achieve a cerdit : deposit ratio of at least 60 per cent in their rural and semi-uraban branches by March 1979. They have also been advised to raise the proportion of their credit to the neglected sectors in the aggregate credit to the level of 33.3 per cent by March 1979. No specific sum as such is, however, earmarked for any sector.

(c) The Public sector banks are already implementing a scheme of Differential Rate of Interest under which they give credit assistance at a concessional rate of 4 per cent per annum, to the borrowers who meet the eligibility criteria stipulated under the Scheme. The coverage of the Scheme was enlarged in May 1977 and is now being implemented in all the districts of the country.

अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ ऋणों और अनुदानों के लिए बातचीत व मंजूरी

1602. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ चालू वर्ष के दौरान जिन बन्धे एवं बिना बन्धे ऋणों व अनुदानों के लिये बातचीत की गई तथा उनके द्वारा जो ऋण तथा अनुदान मंजूर किये गये उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार से सरकार के आधार पर यदि किन्हीं अन्य देशों के साथ इसी प्रकार के कोई सौदे कये गये, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त धनराशियों के उपयोग का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि पूर्ण अथवा आंशिक उपयोग नहीं हुआ, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों और द्विपक्षीय स्रोतों के साथ 1977-78 में विदेशी सहायता के लिए जिन करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे उनका ब्यौरा अनुबन्ध 'एक' और 'दो' में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1694/78]

(ग) और (घ) वर्ष 1978-79 के बजट में 1977-78 में सहायता के अन्तर्गत 1419.37 करोड़ रुपए की सकल प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है जिसमें से लगभग 305 करोड़ रुपए की राशि का सम्बन्ध वर्ष के दौरान किए गए नए वचनों के संवितरणों से है । विदेशी सहायता के उपयोग की गति कई बातों पर निर्भर करती है जैसी सहायता प्राप्त परियोजना और कार्यक्रम का स्वरूप, और सहायता की वह राशि जो पूर्ति के विशेष स्रोतों से सम्बद्ध हो । अतः सहायता के नए वचनों और उनके संवितरणों के बीच प्रायः समय का निश्चित रूप से अन्तर हो जाता है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिविल जनता के लिये विमान सेवा

1603. **श्री पूर्ण सिन्हा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पूर्वी क्षेत्र में स्वयं फोकर अथवा इसी प्रकार के हलके विमान चालू करके अथवा देश के भीतर फीडर सेवाओं को देश के 400 और उससे अधिक बेरोजगार विमान चालकों द्वारा आयोजित सहकारी और/अथवा प्राइवेट कम्पनियों सहित प्राइवेट एजेंसियों को सौंपकर नागर विमानन का विकास करने का है ;

(ख) यदि सरकार का विचार प्राइवेट उपक्रमों को उपयोग में लाने का है तो क्या सरकार का विचार इन उपक्रमों को किराये पर अथवा किराया खरीद के आधार पर विमान देने का है ;

(ग) क्या सरकार सिविल जनता के लिए विमान सेवाओं का विकास करने के लिए उत्तर पूर्व में प्रत्येक राज्य की राजधानी अर्थात् इटानगर, कोहिमा, ऐजल और शिलाँग की इस मांग पर विचार करेगी कि जब तक विमान के लिए धावन पथ का विकास न हो तब तक उन्हें हैलीकाप्टर सेवाओं द्वारा जोड़ा जाये; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), (ग) और (घ) : इंडियन एयरलाइन्स की पूर्वी क्षेत्र के किसी भी नये नगर को विमानन सेवा द्वारा जोड़ने की निकट भविष्य में कोई योजना नहीं है । तथापि, सरकार "थर्ड लेवल एयर ओपरेशन्स" के बारे में एक परियोजना रिपोर्ट पर विचार कर रही है। रिपोर्ट का संबंध पर्यटक तथा अन्य रुचि के छोटे नगरों को जो इंडियन एयरलाइन्स द्वारा नहीं जुड़े हुए विमान सेवा द्वारा जोड़ने, परिचालन के आर्थिकपक्ष, सरकारी सहायता के स्वरूप तथा अन्य सम्बन्धित ब्यौरों के प्रस्तावों से है।

स्टेपल फाइबर के आयात का प्रस्ताव

1604. **श्री के०ए० राजन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन द्वारा दिये गये अनुदान में से सरकार के पास अप्रयुक्त अनुदान एकत्र हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस अनुदान का उपयोग करने के लिए सरकार का स्टेपल फाइबर आयात करने का विचार है ;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यू० के० स्टेपल फाइबर को खरीदने से भारतीय क्रेताओं ने संकोच प्रकट किया है क्योंकि इसका मूल्य अधिक है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री :(श्री एच०एम० पटेल) (क) जी हाँ।

(ख) दिनाँक 1-1-1978 को यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न ऋणों/अनुदानों के अंतर्गत, असंवितरित राशि 1001.44 लाख पौण्ड स्टर्लिंग थी जो लगभग 158.48 करोड़ रुपए के बराबर है। इसमें परियोजना सहायता (697.70) लाख पौण्ड स्टर्लिंग तथा परियोजना भिन्न सहायता (303.73 पौण्ड स्टर्लिंग) शामिल है।

(ग) जी हाँ। उस सीमा तक जिस तक इस तरह के लंबे रेशों का यूनाइटेड किंगडम से आयात किया जा सकता है। सरकार यही चाहेगी कि इस अनुदान को इस तरह के आयात से वित्त व्यवस्था के लिए उपयोग में लाया जाए।

(घ) 1977-78 की केंद्रीय आयात नीति के अंतर्गत विस्कोस रेशे को उन्मुक्त लाइसेंस प्रणाली योजना के अंतर्गत विदेश से मंगवाया जा सकता है। आज कोई भी आयातक इस वस्तु का आयात किसी भी देश से कर सकता है। किन्तु जिस मामले में वह विस्कोस रेशे का आयात युनाइटेड किंगडम से करना चाहता है, आयात की वित्त व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम के अनुदान में से की जाती है।

(ङ) उन्मुक्त लाइसेंस योजना के अंतर्गत, यूनाइटेड किंगडम से बहुत अधिक मात्रा में विस्कोस रेशे का आयात यूनाइटेड किंगडम से किया गया। इसको ध्यान में रखते हुए तथा यूनाइटेड किंगडम की सहायता का, जो सम्पूर्णतः अनुदान के रूप में है, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए, उद्योग मंत्रालय ने, 20 जनवरी 1978 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके द्वारा केवल यूनाइटेड किंगडम के अलावा अन्य देशों से विस्कोस रेशे के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद इस पाबंदी के विरुद्ध कुछ भारतीय आयातकर्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए क्योंकि यूनाइटेड किंगडम से माल सिपुर्दगी समय पर नहीं होती थी और भाड़े की ऊंची दरों के कारण भी आयात मूल्य मंहगा हो जाता था हालाँकि यूनाइटेड किंगडम के मूल्य, कमोवेश, जापानी संभरकों के द्वारा प्रस्तुत कीमतों के बराबर ही हैं। इन अभ्यावेदनों पर समुचित रूप से विचार कर लेने के बाद, उद्योग मंत्रालय ने 10 फरवरी, 1978 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके द्वारा यह पाबंदी हटा दी गई और विस्कोस रेशे का आयात सभी स्रोतों से किये जाने की अनुमति दे दी गई। अब भारतीय आयातक विस्कोस रेशे का आयात यूनाइटेड किंगडम से तथा अन्य किसी भी देश से कर सकने के लिए स्वतंत्र हैं।

इण्डो-इटालियन चैम्बर आफ कामर्स, मिलान के निदेशक के साथ हुई बातचीत का परिणाम

1605. **डा० वी०ए० सैयद मोहम्मद : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की चर्म संवर्धन परिषद ने अभी हाल में इण्डो-इटालियन चैम्बर आफ कामर्स मिलान के निदेशक के साथ जो बातचीत की थी, उसका क्या परिणाम निकला ?**

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल, मद्रास से प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडो-इटालियन चैम्बर आफ कामर्स, मिलान, इटली का एक प्रतिनिधिमंडल 4 फरवरी, 1978 को लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल के सदस्यों से मिला था तथा उसने परस्पर हित के मामलों पर बातचीत की थी। इस विचार विनिमय के बाद यह बताया गया है कि तैयार चमड़ा बनाने वाली मशीनरी के निर्माण के क्षेत्र में भारत में इटली के तकनीकी सहयोग की कुछ संभावनाएं हैं। यह भी बताया जाता है कि इटली के कुछ आयातकों द्वारा भारत से तैयार चमड़े के आयात बढ़ाये जाने की संभावनाएं हैं।

विद्युत-प्रजनन तथा आवास कार्यक्रमों के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

1606. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विद्युत-प्रजनन तथा आवास कार्यक्रमों के लिए गत दो वर्षों में विभिन्न एजेन्सियों को दिये गये ऋण की कुल राशि के बारे में ब्यौरा क्या है तथा ये ऋण किन-किन एजेन्सियों को दिये गये ; और

(ख) क्या सरकार ने राजस्थान राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में ये सुविधाएं देने के बारे में कोई विशेष निर्देश जारी किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) वाणिज्यिक बैंक राज्य बिजली बोर्डों को बिजली वितरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं न कि बिजली उत्पादन के लिए।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की रिपोर्टों के आधार पर बिजली वितरण और आवासन के लिए विभिन्न अभिकरणों को भारतीय रिजर्व बैंक के जून 1976 के मार्गदर्शक सिद्धान्तों, जो राजस्थान सहित सभी राज्यों को लागू होते हैं, के अन्तर्गत मंजूर की गई वित्तीय सुविधाएं विवरण i और ii में दी जा रही हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1695/78]

Bungling in Imports and Exports

1607. **(OIH) Shri Hukamdeo Narain Yadav:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take action against the persons or companies who have indulged in bungling of imports and exports during 1975—77 and whether Government propose to take action against the officers involved in this bungling ; and

(b) the number of such persons and companies against whom proceedings have been launched and the action proposed to be taken against the economic offenders ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) Government, has on a case to case basis, taken action against persons and companies who are concerned in violation of Import and Export (Control) Act and Orders during the period 1975—77.

(b) During the Years 1975—1977, the CBI took up 47 cases involving 71 firms and 76 persons and one official of the CCI & E Organisation and certain officials of the State Governments for investigation for alleged involvement in violation of Imports & Exports (Control) Act and Imports (Control) Order and Export (control) order. Of these, 3 cases resulted in conviction, 13 cases are under trial, and in 3 cases the CBI recommen-

ded departmental action against the firms by the CCI& E and 27 cases are still under investigation. In the remaining case, the CBI recommended action against an official of the CCI & E Organisation ; he has already been punished.

Besides, 3837 firms were punished by the CCI & E during 1975, 1976 and 1977 under Imports (Control) Order, 1955, as amended, by way of deparment from receiving import facilities for specified periods.

देश में स्थापित तूफान की चेतावनी देने वाले केन्द्र

1608. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा देश में स्थापित तूफान की **चेतावनी** देने वाले कितने केन्द्र हैं ;

(ख) आगामी दो वर्षों में भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर इस प्रकार के और कितने केन्द्र स्थापित किये जाने हैं ;

(ग) क्या विद्यमान केन्द्रों में ऐसे आधुनिक एवं अत्याधुनिक उपकरण नहीं हैं जो मौसम सम्बन्धी तूफानों का पता लगा सकें और विपत्ति आने की पूर्व सूचना दे सकें ; और

(घ) यदि हाँ, तो इन केन्द्रों के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कलकत्ता, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, मद्रास तथा बम्बई में तूफान की चेतावनी देने वाले पाँच केन्द्र स्थापित किये गये हैं ;

(ख) आगामी दो वर्षों के दौरान तूफान की चेतावनी देने वाले और कोई केन्द्र स्थापित करने की कोई योजनाएं नहीं है ।

(ग) और (घ) : तूफानों के चार्टिंग तथा उनके बारे में पूर्व चेतावनी देने के लिये याँत्रिकीकरण करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसका लगातार पुनरीक्षण किया जाता है । निधियों के उपलब्ध होने पर समय-समय पर आवश्यक समझे गये सुधार भी किये जाते हैं। तूफान की चेतावनी देने वाले राडार कलकत्ता, पारादीप (भुवनेश्वर के निकट) विशाखापत्तनम्, मद्रास तथा बम्बई में स्थापित किये गए हैं। शीघ्र ही गोवा, मचिलिपत्तनम् तथा करेंकल में तीन और राडार स्थापित किये जाने हैं। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में "आवर्टिग सेटेलाइटस" से मेघ-चित्र (तूफानों सहित) ग्रहण करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। शीघ्र ही यह सुविधा विशाखापत्तनम् में भी परिचालित हो जाएगी। करीब तीन वर्षों में दिल्ली में एक भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह के माध्यम से आधे-आधे घंटे में मेघ-चित्रों को ग्रहण करने की सुविधा संचालित हो जाएगी जो इन चित्रों को उपग्रह के माध्यम से बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता के लिये संचारित करने में भी समर्थ होगी ।

उत्पाद शुल्क का निर्धारण करने के लिये वेस्टर्न इंडिया मैच कंपनी लिमिटेड, बम्बई के लेखों की जांच

1609. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दियासलाई पर देय उत्पादन शुल्क का सही-सही निर्धारण करने के लिए वैस्टर्न इंण्डिया मैच कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के गत 2-3 वर्षों के लेखों की जाँच की है ;

(ख) क्या यह सच है कि दियासलाई के मूल्य में वृद्धि के बावजूद इससे होने वाली आय और उत्पादन राजस्व के सम्बन्ध में अच्छे परिणाम सामने नहीं आये हैं ;

(ग) क्या कम्पनी ने कम उत्पादन-शुल्क लगने वाला मूल्य निर्धारित करने हेतु कोई पद्धति अपनाई है ; और

(घ) इस कारण अनुमानतः कितनी हानि हुई है और सरकार का विचार इस हानि को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कारखाना अधिकारी द्वारा की गई जाँच के अलावा लेखों की जाँच, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन कार्य कर रहे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व लेखा–परीक्षा द्वारा भी की गई थी।

(ख) और (ग) : दियासलाई के मूल्य में वृद्धि का उत्पादन–शुल्क राजस्व से कोई संबंध नहीं होता क्योंकि दियासलाई पर शुल्क मूल्यानुसार न होकर बिशिष्ट होता है । रिपोर्ट मिली है कि कारखाने में दियासलाई के उत्पादन में कुछ कमी हुई थी क्योंकि कारखाने के पास लकड़ी की कमी हो गयी थी और दियासलाई के बेंडरोल्स की क्वालिटी के संबंध में कुछ समस्या थी।.

(ग) उपर्युक्त स्थिति को दृष्टि में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता है।

पर्यटन के लिए राज्यों द्वारा भावी योजनायें

1610. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे अपने-अपने राज्यों में पर्यटन के बारे में वृहद् अच्छी योजनायें बनायें ;

(ख) क्या सरकार को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, . यदि हां, तो उसकी प्राथमिकतायें क्या हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से मिले किन प्रस्तावों का अनुमोदन किया है और प्रत्येक योजना की अनुमानित लागत क्या है तथा उन्हें कब आरम्भ किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : दोनों राज्य सरकारों से "पर्स्पेक्टिव" योजनाएं प्राप्त हो गयी हैं। उनमें दिये गये प्रस्तावों पर संबंधित सरकारों के साथ उनकी अगली पंचवर्षीय योजना (1978—83) पर योजना आयोग में बातचीत करते समय इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि किन-किन स्कीमों को केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में हाथ में लिया जाएगा, विचार-विमर्श किया जाएगा ।

एयर इंडिया की अध्यक्षता से श्री जे०आर०डी० टाटा को मुक्त करने संबंधी निर्णय

1611. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एयर इंडिया की अध्यक्षता से श्री जे० आर० डी० टाटा को मुक्त करने और एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स दोनों के लिये संयुक्त अध्यक्ष के रूप में वायु सेनाध्यक्ष श्री पी० सी० लाल को नियुक्त करने सम्बन्धी अचानक निर्णय लिया;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया के विलय करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार बोर्ड में की गई नई नियुक्तियों के बारे में सार्वजनिक आलोचना से अवगत है और उस पर उसका स्पष्टीकरण क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) कुछ समाचार-पत्र एयर चीफ मार्शल पी० सी० लाल की एयर इंडिया के एक साझे पूर्ण-कालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की आलोचना कर रहे हैं। यह प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था तथा दोनों कारपोरेशनों के बीच और अधिक एवं प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया था।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के बोर्डों के गठन के बारे में विवाद

1612. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के बोर्डों का पुनर्गठन किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने जिस ढंग से उक्त बोर्डों का पुनर्गठन किया है और नये चेयरमैन की नियुक्ति की है उस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है जिसके परिणामस्वरूप एयर इंडिया के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने त्याग-पत्र दिये थे और प्रधानमंत्री को श्री जे० आर० डी० टाटा को पत्र लिखना पड़ा था ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(घ) ऐसी कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) श्री जे० आर० डी० टाटा को हटाकर एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के बोर्डों के लिये एक सांझे पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कुछ विवाद हुआ है। प्रबंध निदेशक ने त्याग-पत्र नहीं दिया बल्कि स्वेच्छा से सेवा से निवृत्त होना चाहा है जिसकी कारपोरेशन के नियम अनुमति देते हैं। प्रधान मंत्री ने श्री टाटा को लिखा है कि वे श्री टाटा की उन विलक्षण सेवाओं की हृदय से सराहना करते हैं जो उन्होंने एयर इंडिया के साथ अपने संपर्क की लम्बी अवधि के दौरान की हैं।

(ग) और (घ) : एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मंडल का 31-1-1978 को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने पर, सामान्य प्रक्रिया के अनुसार पुनर्गठन किया गया है। वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 4(1-क)(अ) की शर्तों के अनुसार दोनों एयरलाइनों के निदेशक मंडलों के लिए एक ही अध्यक्ष रखने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था। दोनों कारपोरेशनों के लिए एक सांझा पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करना दोनों कारपोरेशनों के बीच और अधिक एवं प्रभावी समन्वयन स्थापित करने के हित में है।

अप्रत्यक्ष कर संबंधी झा समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

1613. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेफ्रीजिरेशन और एयर-कंडीशनिंग एककों ने, जो बंद होने की स्थिति में हैं, सरकार से अनुरोध किया है कि अप्रत्यक्ष कर सम्बन्धी झा समिति की सिफारिशों को लागू किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार को आल इण्डिया एयर-कंडीशनिंग और रेफ्रीजिरेशन संघ की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उत्पादन शुल्क से राहत देनें का अनुरोध किया गया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने भी एयर-कंडीशनिंग और रेफ्रीजिरेशन उद्योग के संबंध में इस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का आग्रह किया है।

(ख) वर्ष 1978 के बजट के अंग के रूप में रेफ्रीजिरेशन और एयर-कंडीशनिंग उद्योग के लिए कतिपय राहतों की घोषणा की गई है। ये राहतें निम्नानुसार हैं :—

(1) 100 लीटर तक की क्षमता वाले घरेलू रेफ्रीजिरेटरों पर उत्पादन शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 31.5 प्रतिशत किया गया है। (इसमें नये प्रस्तावित विशेष उत्पादनशुल्क का प्रभाव भी सम्मिलित है),

(2) रेफ्रीजिरेशन और एयर-कंडीशनिंग साधित्रों और मशीनों के पुजों को, जो कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किये जाने के लिए आशयित हों, जैसे संगणक कक्षों, पशुगृहों, बांधों, तापिय और जलीय बिजली केन्द्रों आदि में लगाई गई मशीनों और साधित्रों में इस्तेमाल के लिए, अभी तक मूल्यानुसार 20 प्रतिशत का रियायती शुल्क का लाभ मिलता रहा है। इस बजट में, यह रियायती शुल्क पैकेज किस्म के और वातायन किस्म के एयर कंडीशनरों पर भी लागू किया गया है जब इन उत्पादों का इस्तेमाल उन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

(3) लघु निर्माताओं (घरेलू उपभोग के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये से अनधिक की निकासी के मूल्य तक) को शुल्क से छुट देने के लए एक नई योजना प्रारम्भ की गई है जो 1 अप्रैल, 1978 से प्रभावी होगी। इस योजना से लाभान्वित होने वाली उत्पादनशुल्क लगने योग्य मदों में से एक मद रेफ्रीजिरेशन तथा एयर-कंडीशनिंग सादित्र और मशीनें सभी प्रकार की और उनके पुर्जे हैं।

घड़ियों से उत्पादनशुल्क और आयात शुल्क का समाप्त किया जाना

1614. **श्री ईश्वर चौधरी** . क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी रोकने के लिये घड़ियों से उत्पादन शुल्क तथा दोहरा आयात शुल्क समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) घड़ियों के पुर्जों पर उत्पादन शुल्क हटाने और सीमाशुल्क की एक ही दर लगाने के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उनकी जांच की जा रही है।

सीमाशुल्क टैरिफ में परिवर्तन

1615. **श्री के० राममूर्ति :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमाशुल्क टैरिफ में हाल ही में क्या परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ख) क्या अन्य प्रकार के आयातों के बारे में भी अधिक उदार दृष्टिकोण लगाये जाने की संभावना है जिससे कि साधारण लोगों के जीवन में थोड़ी प्रसन्नता आ सकती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सीमाशुल्क टैरिफ में हाल ही में किये गये प्रमुख परिवर्तन निम्नानुसार हैं :—

(1) कतिपय प्राण रक्षक औषधि-द्रव्यों, औषधियों और उपस्करों को सीमाशुल्क की अदायगी से पहले ही छूट दी गयी थी । यह छूट किन्हीं अन्य ऐसी औषधि-द्रव्यों, औषधियों अथवा उपस्कारों को भी दी गई है जिनके सम्बन्ध में स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय यह प्रमाणित करे कि वे औषधि-द्रव्य, औषधियां अथवा उपस्कर प्राण रक्षक हैं ।

(2) देश में उच्च कोटि के कैमरों के निर्माण को प्रोत्साहन देने और उपभोक्ताओं को उचित दामों में कैमरे उपलब्ध कराने की दृष्टि से फोटो-कैमरों के पुर्जों को सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट दी गई है जो मूल्यानुसार 75 प्रतिशत से अधिक हो।

(3) देश में सीमेंट की कमी को पूरा करने और उचित दामों पर इसे उपलब्ध कराने की दृष्टि से सीमेंट को उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से छूट दी गई है।

(4) चिकित्सा, शल्यक और नैदानिक उपस्करों, साधित्रों और यंत्रों को उस स्थिति में समस्त सीमाशुल्क से छूट दी गई है जब कतिपय श्रेणियों के अस्पतालों द्वारा उनका आयात किया गया हो।

(5) तराशे और पालिश किये गये हीरों और पालिश किये हुए उपरत्नों के निर्यात व्यापार के संवर्धन की दृष्टि से बिना पालिश किये हुए हीरों और उपरत्नों को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से छूट दी गई है ।

(6) चिकित्सा, शल्यक और नैदानिक उपस्करों को जिनका मूल्य 50 हजार रुपये से अधिक नहीं हो, उस स्थिति में सीमाशुल्क की अदायगी से छूट दी गयी है जब भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए विदेश से लौटने वाले सर्जन अथवा डाक्टर द्वारा उनका आयात किया गया हो। डाक्टरों अथवा सर्जनों को स्वदेश लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह रियायत दी गयी है।

(7) उद्योग को आयातित एसीटोन/उचित दामों में उपलब्ध कराने की दृष्टि से एसीटोन को सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट दी गयी है जो मूल्यानुसार 30 प्रतिशत से अधिक हो।

(8) मोटर गाड़ियों और ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए अपेक्षित संघटकों और ऐसे संघटकों के निर्माण के लिए जरूरी माल को सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट दी गई है जो मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से अधिक हो। आटोमोबाइल उद्योग को उचित दामों पर आयातित माल उपलब्ध कराने की दृष्टि से ऐसा किया गया है ।

(9) पोलिनोसिक स्टेंपल तंतु को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त मूल और उपसंगी सीमाशुल्क से 31-3-78 से छूट दी गई है।

(ख) प्रत्येक मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छूटें मंजूर की जाती हैं।

Printing of Duplicate Currency Notes During Emergency

*1616. **Shri Brij Bhushan Tiwari** : Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during emergency the then Congress Government has got duplicate currency notes issued by the Reserve Bank of India ;

(b) if so, the total value of such notes ; and

(c) the action taken in regard thereto ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

Smuggling Activities in Border Areas

1617. **Shri Brij Bhushan Tiwari** : Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state :

(a) the total value of smuggled goods seized during 1976-77 and the number of persons arrested in this connection ;

(b) whether it is a fact that smuggling activities have increased in border areas;

(c) if so, the action taken in this regard ; and

(d) whether it is proposed to use the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) Reports recevied by the Government show that during 1976-77 i.e. from April , 1976 to March, 1977, smuggled goods totally valued at Rs. 34.83 crores were seized and 2,679 persons arrested for their involvement in smuggling.

There is indication in the reports received by the Government that so far as smuggling activities are concerned Indo-Nepal and Indo-Pakistan borders are active and on the Indo-Bangladesh and Indo-Burma bordrs it is well contained.

(c) To combat the menace of smuggling on the borders, the preventive and intelligence set ups have been strengthened and reorganised and the staff re-deployed more effectively. New Check-posts near the borders have been created at vulnerable points. Wireless communication network has been sanctioned for the entire Indo-Nepal border. The Collectrorates having jurisdiction over the borders have been equipped with necesssary anti-smuggling equipment. In addition, anti-smuggling measure including patrolling of Vulnerable areas and exercise of greater vigilance at the borders have been reinforced. Besides proposals for involving village panchayats and state machinery in certain areas in anti-smugglin efforts, are under active consideration,

(d) Yes Sir.

Purchase of two Air Buses

1618. **Shri Brij Bhushan Tiwari** :
Shri Vasant Sathe :

Will the Minister of **Tourism And Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to purchase two air-buses ;

(b) if so, from which countries and the total cost thereof ;

(c) whether experts have expressed doubts about the operation of those air-buses ; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b) Indian Airlines have submitted a proposal for the acquisition of two A300B2 airbus air-crafts from M/s Airbus Industry, France. The proposal is still under the consideration of Government. The cost thereof has not yet been finalised.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Reduction in Rate of Interest on Capital For Industrial Development

*1619. **Shri Brij Bhushan Tiwari :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether with a view to bring about industrial development, Government propose to reduce the rate of interest on capital as also to make suitable amendments to the laws governing payment of loans ; and

(b) if so, the facts in this regard ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) & (b) As part of overall Government strategy for promoting capital investment in industry, the Reserve Bank of India have taken specific measures such as placing ceilings of 12.5% and 11% on the rates of interest on advances of maturity of three years or more to major and medium industries and small scale industries respectively, lowering the general ceiling on the rates of interest of commercial banks and calculation of interest at quarterly rests. instead of at monthly rests as in the past. The proposed abolition of the Interest Rate Tax is also expected to enable the banks to reduce the Interest burden on their borrowers.

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल जनपथ तथा लोधी और रणजीत एककों में स्वागत एवं आरक्षण काऊंटरों पर काम कर रहे कर्मचारी

1620. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल जनपथ, लोधी तथा रणजीत एककों में स्वागत तथा आरक्षण कांउटरों पर काम कर रहे बहुत से कर्मचारी उचित संवर्गीकरण, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में पदोन्नति पर वेतनों के नियत किये जाने तथा अन्य लाभों के लिये, जिनके बारे में प्रबंधकगण न्याय करने में असमर्थ रहे हैं, अपने-अपने होटलों के प्रबन्धकों से अनुरोध करते आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं और प्रत्येक का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्रबन्धक इस तथ्य के बावजूद कि ये युवक दस वर्ष से तथा कई मामलों में इस से भी अधिक अवधि से सेवा कर रहे हैं, इन्हें न तो ऊंचे पद पर पदोन्नति देते हैं और न ही इन्होंने शिफ्ट इंचार्ज अथवा सहायक प्रबन्धक के पदों के लिए उन्हें आगे प्रशिक्षण देने का कोई कार्यक्रम ही तैयार किया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन कर्मचारियों के लिए सहायक प्रबंधकों आदि के कुछ प्रतिशत पद निश्चित न करने के क्या कारण हैं, और

(ङ) भारतीय पर्यटन विकास निगम के इन कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जनपथ, लोधी तथा रणजीत होटलों के कर्मचारी, जिनमें स्वागत एवं आरक्षण काउंटरों पर कार्य कर रहे कर्मचारी भी शामिल हैं, अपने ग्रेडों तथा वेतनमानों में संशोधन करने के लिए अतीत काल से प्रतिवेदन करते आ रहे हैं। इन प्रतिवेदनों पर द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत हुई हैं तथा यूनियनों के साथ समझौते किए जा चुके हैं। कर्मचारियों के ग्रेड बनाने तथा वेतनों में संशोधन के संबंध में अंतिम समझौता दिसम्बर, 1973 में किया गया था और यह समझौता 31 मार्च, 1978 तक वैध हैं। इस समझौते के अन्तर्गत, गृह भत्ते को 15% से बढ़ा कर 25% करने, भोजन भत्ते को 35 रुपए से बढ़ा कर 45 रुपए प्रति मास करने दीर्घायु भत्ता चालू करने आदि जैसे अतिरिक्त लाभ स्वीकृत किए गए हैं। जहां तक पदोन्नति होने पर एक ग्रेड के वेतनमान से दूसरे ग्रेड के वेतनमान में वेतन निर्धारित करने का प्रश्न है, वेतन निर्धारित करने संबंधी सामान्य नियमों का अनुसरण किया गया है और असंगतियों को यदि कोई हों, दूर कर दिया गया है।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1696/78]

(ग) स्वागत तथा आरक्षण काउंटरों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को उच्च वेतनमान वाले पदों के उपलब्ध होने तथा उन उच्च पदों को भरने के लिए व्यवसायिक अपेक्षाएं होने की अवस्था में पदोन्नत किया जा रहा है बशर्ते कि उम्मीदवार के पास अपेक्षित अर्हताएं तथा अनुभव और अधिक उत्तरादायित्वों को संभालने की कुशलता हो और इसके साथ-साथ वरीयता-व-योग्यता के सिद्धान्त को भी दृष्टि में रखा जाता है। कर्मचारियों को अपने ज्ञान, कौशल तथा कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए गहन सेवा कालीन प्रशिक्षण देने के लिए एक "कैरियर डवेलपमेंट स्कीम" भी चालू की गयी है।

(घ) सहायक प्रबंधकों तथा ऊपर वाले पद "एग्ज़ीक्यूटिव काडर" में हैं जिनके लिए योग्य तथा अनुभवी उपयुक्त विभागीय उम्मीदवारों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है। होटल प्रबन्ध तथा खान-पान प्रबन्ध में अपेक्षित डिप्लोमा न रखने वाले कुछ विभागीय उम्मीदवारों को भी सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के बाद होटल जनपथ, लोधी तथा रणजीत में सहायक प्रबन्धकों के रूप में पदोन्नत किया गया है। होटल के स्वागत तथा फ्रंट आफिस विभाग से कुछ कर्मचारियों को सुपरवाइजरी तथा नान एग्जीक्यूटिव लेविल से आरक्षण/स्वागत विभाग में सहायक प्रबन्धक के एग्जीक्यूटिव लेविल में पदोन्नत किया गया है। एक कर्मचारी को भारत पर्यटन विकास निगम तथा विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सुपरवाइज़री काडर से वरिष्ट सहायक प्रबन्धक के लेविल पर भी पदोन्नत किया गया है। एग्जीक्यूटिव काडर के पद सिलेक्शन पद हैं, हालांकि पात्र विभागीय उम्मीदवारों को यदि वे अन्यथा उपयुक्त पाए जाते हैं, बाहर के उम्मीदवारों की अपेक्षा निश्चय ही तरजीह दी जाती है।

(ङ) भारत पर्यटन विकास निगम के खान-पान संस्थानों के गैर-अधिकारी कर्मचारियों के ग्रेड तथा वेतनमानों में संशोधन करने संबंधी मामले की जांच भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त, 1977 को गठित की गयी भारत पर्यटन विकास निगम पत्तन पुनरीक्षण समिति द्वारा की जा रही है। कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी उक्त समिति के सदस्य हैं।

— कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा विकास के लिए, कारपोरेशन में एक विशेष होटल प्रशिक्षण सेल कार्य कर रहा है और जैसा कि ऊपर पहले ही बताया जा चुका है, कर्मचारियों को अपने पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण तथा कैरियर डवेलपमेंट स्कीम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता रहा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बड़े औद्योगिक एककों को ऋण

1621. **श्री आर० के० महालगी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को हाल ही में ऐसे अनुदेश दिये हैं कि वे बड़े औद्योगिक एककों को ऋण देना बन्द कर दें ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में कार्यालय स्थापित करने का बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रस्ताव

1622. **श्री आर० के० महालगी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय निगमों ने सरकार से भारत में विदेशी पूंजी-निवेशों के लिये अपनी शाखाएं कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) कितने बहुराष्ट्रीय निगमों को ऐसा करने की अनुमति दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

दिल्ली में नया अन्तर्राष्ट्रीय विमान टर्मिनल

1623. **श्री शिव संपत्ति राम : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक नया बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय विमान टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसमें कितनी राशि खर्च होगी; और

(घ) कार्य के कब आरम्भ होने की और पूरा होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल परियोजना के लिए एक मास्टर प्लान तथा व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। यात्री तथा कार्गो टर्मीनलों, टैक्सी लिंक तथा एप्रन सहित परियोजना की लागत लगभग 40 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

परियोजना का अभी सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाना है।

एयर इंडिया के प्रबन्ध निदेशक का त्यागपत्र

1624. **श्री लखन लाल कपूर :**
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :
श्री रागावलू मोहनरंगम :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया के प्रबन्ध निदेशक तथा एक अन्य उच्च अधिकारी ने त्यागपत्र दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Ex-servicemen working the L.I.C.

1625. **Shri R.L.P. Verma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Ex-servicemen who are working in the life Insurance Corporation have not been given the benefit of previous Military service in the matter of seniority and salary but officers who have been appointed in the Departments of Government of India, have received such benefits;

(b) if so, the reasons for such discrimination and whether it is proposed to make an effort to extend this benefit to the Ex-servicemen working in the life Insurance Corporation; and

(c) the number of such officers in the Life Insurance Corporation who have not received benefits of their previous service ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a), (b) & (c) Presumably the Honourable member refers to the Emergency Commissioned officers and Short Service Commissioned officers released from the army and who have been taken in the service of the L.I.C. The LIC in order to help these officers decided to reserve some percentage of vacancies for such officers and also allowed the following other benefits :—

(i) As against three examination papers prescribed for regular entrants to Class I service of LIC, the ECOs were required to appear at only two papers (namely General Knowledge and English).

(ii) The age limit was relaxed to the extent of number of years of service rendered by them in the Army.

(iii) The percentage of marks to be obtained by these officers in the written papers in order to qualify for interview is lower than the percentage required of other candidates.

The Corporation has not given any benefit in the matter of seniority and fixation of pay. However the general question of giving benefit of seniority and fixation of pay to Emergency Commissioned officers and Short Service Commissioned officers, who are employed in public sector undertakings, is under consideration of the Government.

वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि/कमी

1626. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री महेन्द्र सिंह सैयांवाला :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977 के अन्त तक मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई और 1976 के अन्त तक मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई ;

(ख) गत छह महीनों में सरकार ने मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की है ;

(ग) गत तीन महीनों के दौरान कौन-कौन सी वस्तुओं के मूल्य बढ़े ;

(घ) गत छह सप्ताहों में दैनिक उपयोग की किन-किन वस्तुओं के मूल्य गिरे ; और

(ङ) खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और निर्माताओं के लाभ की मात्रा में कमी करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) बिन्दु-प्रति-बिन्दु तुलना के आधार पर थोक कीमतों के सूचक अंक (1970-71=100) में 1977 में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1976 में इसकी तुलना में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(ख) कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनको "आर्थिक समीक्षा 1977-78" में वर्णित कर दिया गया है, जिसे हाल ही में संसद में प्रस्तुत किया गया था ।

(ग) गत तीन महीनों में, अर्थात् 12 नवम्बर 1977 तथा 11 फरवरी 1978 के बीच, जौ, मूंग, घी, मांस, मूंगफली, मूंगफली के तेल, चाय, साबुन, सूती कपड़े, जूट से बने सामान तथा सीमेंट जैसी चीजों की कीमतों में निवल वृद्धि हुई थी ।

(घ) दैनिक उपभोग की जिन वस्तुओं की कीमतों में, गत छः सप्ताहों में, अर्थात् 31 दिसम्बर 1977 तथा 11 फरवरी 1978 के बीच, कमी हुई उनमें चावल, ज्वार, मसूर, उड़द, आलू, प्याज, अंडे, मछली, चीनी, खांडसारी, गुड़, वनस्पति, सरसों का तेल और हल्दी शामिल हैं ।

(ङ) कीमतों तथा वितरण पर नियंत्रण रखने के विशिष्ट उपायों के अलावा, राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ (नाफेड) तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संस्था संघ (नवफ़) जैसे सार्वजनिक अधिकरणों के द्वारा बाजार के क्रियाकलाप में किये जाने वाले हस्तक्षेप के जरिये तथा खाद्य तेलों और कपास जैसी संवेदनशील वस्तुओं के आयात के द्वारा लाभ राशि के अनुपात को नियंत्रित रखने तथा उपभोक्ताओं के लिए उचित कीमतें सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है । अन्य इस प्रकार के उपायों, जैसे (चीनी तथा वनस्पति उद्योगों में) तथा एकमात्र बिक्री अभिकरणों को हटा देने तथा निर्बंधात्मक व्यापार प्रथाओं पर नियंत्रण रखने की कार्यवाई का उद्देश्य भी यही है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न पार्टियों को दी गई वसूली न होने योग्य राशि

1627. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बैंकों द्वारा विभिन्न पार्टियों को दी गई करोड़ों रुपये की राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वसूल नहीं की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुल कितना अप्राप्य ऋण अथवा संदिग्ध ऋण दिया गया ;

(ग) गत दो वर्षों अथवा उससे अधिक समय के किन-किन पार्टियों को और 50 लाख रुपये और इससे अधिक राशि के ऋण वसूली के लिये पड़े हुए हैं ; और

(घ) उन्हें वसूल करने के लिये सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मंजूर किये गये ऋणों की वसूली का प्रश्न प्रायः ऋणों के उन मामलों में उठता है, जो वापसी अदायगी के कार्यक्रम के अनुसार, वापसी के लिए वाजिब हो गये हैं या जो विशिष्ट रूप से वापस मांगे गये हैं । इस तरह के मामलों में ऋणकर्त्ता के ऋण वापस करने में असमर्थ रहने पर, यदि सम्बद्ध खाते के बारे में कोई जमानत ली गयी हो तो बैंक सबसे पहले उस जमानत को वसूल करने का प्रयत्न करते हैं । जहां कोई जमानत नहीं होती लेकिन ऋणों के लिए जमानती/गारन्टीदाता होता है तो बैंक उस जमानती/गारन्टीदाता से भी वसूली करने का प्रयत्न करता है । यदि ये प्रयत्न असफल रहे तो बैंक अपने देयों की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करते हैं ।

(ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की अनुसूची 3 में विहित तुलन-पत्र और पी/एल खाते के फार्म के अनुसार बैंकों को अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की मात्रा प्रकट करने के विरुद्ध सांविधिक सुरक्षण दिया गया है और इसके लिए वह अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों के संतोष के अनुरूप व्यवस्था करते हैं ।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यचालन का नियमन करने वाली संविधियों के उपबन्धों और बैंकों में प्रचलित प्रथा और रिवाज के अनुसार अलग-अलग ग्राहकों के संबन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जाती है ।

(घ) वापसी अदायगी के कार्यक्रम के अनुसार, वापसी अदायगी की आय, यह सुनिश्चित करने के लिए ऋणों की स्वीकृति के बाद उनके अनुवर्ती पर्यवेक्षण के बारे में, सभी बैंकों की अलग-अलग निर्देश पुस्तिकाएं हैं । वापसी अदायगी के कार्यक्रमों के अधीन स्वीकृत की गयी ऋण सुविधाओं को प्रायः बैंक ऋणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत नकदी से व्याप्त करते हैं । जब कभी वापसी अदायगी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह प्रस्तुत नकदी काफी नहीं होती तो बैंक अपने द्वारा ऋणकर्त्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा करते हैं और उन सुविधाओं को कम करने के बारे में समुचित कार्रवाई करते हैं, जिनमें ये शामिल हैं:—ऋण वापस मांगना, मार्जिन छुड़ाना, अतिरिक्त जमानतें प्राप्त करना, माल को बेचना, स्टाक को गिरवी रखना, कानूनी कार्रवाई करना आदि ।

दिल्ली के निकट शुष्क पत्तन

1628. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के निकट शुष्क पत्तन की स्थापना की मांग पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ख) यह मामला कितनी देर से विचाराधीन पड़ा है और अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ;

(ग) इस समस्या पर सरकार का नवीनतम विचार क्या है ; और

(घ) शुष्क पत्तन पर कितनी लागत आयेगी और दिल्ली तथा निकटवर्ती राज्यों के व्यापारियों को इससे क्या-क्या लाभ होंगे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) भारत के उत्तरी क्षेत्र में एक शुष्क पत्तन स्थापित करने का प्रश्न लगभग 1969 से सरकार के विचाराधीन है । परियोजना के स्थान के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका । जुलाई, 1977 में ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान अवस्था में यह परियोजना तत्काल प्राथमिकता की नहीं है । अतः यह विनिश्चय किया गया कि परियोजना को तत्काल कार्यान्वियन के लिये न लिया जाये।

स्थान के बारे में निर्णय ले लिये जाने के बाद ही लागत के अनुमान का हिसाब लगाया जा सकता है । शुष्क पत्तन का इस्तेमाल करने वाले निर्यातक तथा आयातक समुद्री पत्तनों पर जाने की बजाए शुष्क पत्तन पर ही आवश्यक दस्तावेज तैयार करने तथा अन्य औपचारिकताओं से संबन्धित काम पूरा कर सकेंगे ।

श्री ब्रह्मचारी के आयातित विमान को दी गई सीमा-शुल्क संबंधी छूट

1629. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड और प्रवर्तन निदेशालय के क्रमशः अध्यक्ष और निदेशक का नाम क्या है जब ब्रह्मचारी के एक आयातित विमान को सीमा शुल्क संबन्धी छूट दी गई थी ;

(ख) इससे राजस्व की कितनी हानि हुई थी और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उल्लिखित इन दो प्रमुख अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) उस समय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष श्री जसजीत सिंह थे और प्रवर्तन निदेशक श्री एस० बी० जैन थे।

(ख) छूट नहीं दिये जाने की स्थिति में लगने योग्य सीमा शुल्क की रकम 27504 रु० 64 पैसे बैठती है । छूट इस दावे के आधार पर दी गयी थी कि वायुयान मुफ्त उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त भी थी कि वायुयान का उपयोग विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को मदानी इलाकों से आश्रम तक लाने ले जाने के लिए किया जाएगा और योग का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा ।

29-4-1971 को यह पता चलने पर कि इन शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, उक्त वायुयान को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अन्तर्गत दिल्ली में पकड़ लिया गया था । सम्बन्धित व्यक्तियों को यह बताने के लिए कारण बताओ नोटिश जारी किया गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत वायुयान को जब्त क्यों नहीं किया जाय और अर्थदण्ड क्यों नहीं लगाया जाय। परन्तु संबन्धित पार्टियों ने वायुयान के पकड़े जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका दायर की है ।

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी दृष्टिकोण :

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन का पता चला है और इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है ।

(ग) छूट देने के इस मामले को देखने या उस पर विचार करने का श्री जसजीत सिंह को मौका नहीं आया । शाह जांच आयोग ने इस सम्बन्ध में साक्ष्य दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही आयोग के निष्कर्षों के आधार पर की जायगी ।

एशियन केबल्स कारपोरेशन द्वारा आयातित पोलिथीलीन का दुरुपयोग

1630. **श्री ज्योतीर्मय बसु : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डंकन ब्रदर्स के गोयका बन्धुओं के नियंत्रण वाले एशियन केबल्स कारपोरेशन, बम्बई द्वारा आयातित पोलिथीलीन के दुरुपयोग के मामले की जांच की जा रही है; जैसा कि उन्होंने गत शीतकालीन सत्र में सभा में आश्वासन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है और यदि नहीं, तो इस मामले को जांचार्थ पुनः लेने में विलम्ब क्यों हुआ है ;

(ग) क्या एशियन केबल्स कारपोरेशन को 3.5 करोड़ रुपये के नये आयात लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग (गृह मंत्रालय) को 23-11-77 को यह कहा गया था कि विधि मंत्रालय से मामले पर पुनर्विचार करवा लिया जाये। उनकी सलाह की प्रतीक्षा है।

(ग) तथा (घ) क्रास लिंक्ड बिजली के केबल्स के निर्माण के लिये उपस्करों के आयात के निमित्त दिसम्बर, 1976 में क्रमशः 59 लाख रु० तथा 68 लाख रु० मूल्य के दो लाइसेंस जारी किये गये थे। इसके अतिरिक्त, 1975, 1976 तथा 1977 के दौरान कम्पनी द्वारा केबल्स तथा तारों के विनिर्माण किए जाने हेतु कच्चे माल तथा फालतू पुर्जों के आयात के लिये 1,75,50,631 रुपये मूल्य के छः लाइसेंस तथा एक रिलीज आर्डर जारी किये गये थे। ये लाइसेंस समय-समय पर प्रवृत्त आयात नीति के अनुसार जारी किये गये हैं।

मद्रास एल्यूमीनियम कम्पनी के कार्यों का अध्ययन करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा एक दल की नियुक्ति

1631. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने मद्रास एल्युमीनियम कम्पनी के कार्यों का अध्ययन करने के लिए एक नौ सदस्यीय अध्ययन दल नियुक्त किया है ;

(ख) क्या इस दल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को पहले ही दे दिया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उस प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के क्षेत्रीय निदेशकों में से एक के कहने पर मद्रास एल्युमीनियम कम्पनी के वर्तमान प्रबन्धक निदेशक ने कुप्रबन्ध किया था, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जून, 1977 में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त संस्थान, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा, सामूहिक रूप से मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी के कार्यों के अध्ययन का निरीक्षण किया गया।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधिकारियों ने, सामूहिक निरीक्षण के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है जो कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का एक आन्तरिक दस्तावेज है इसलिए उसे सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसके निरीक्षण अधिकारियों ने यह पाया कि कम्पनी का प्रबन्ध अप्रभावी है तथा उसके व्यावसायीकरण के लिए सिफारिश की थी। अगस्त, 1977 में वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ प्रबन्धकों की बैठक में तथा सितम्बर, 1977 में अन्तःसंस्थानों की बैठक में इस रिपोर्ट पर विचार किया गया । इन बैठकों में कम्पनी के प्रबन्ध के व्यावसायीकरण की आवश्यकता का समर्थन किया गया तथा अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ।

स्टर्लिंग चाय कम्पनियों के भारतीयकरण संबंधी नीति

1632. **श्री शरद यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टर्लिंग, चाय कम्पनियों के भारतीयकरण अथवा उनके साथ रुपया मुद्रा में लेन-देन करने सम्बन्धी नीति में परिवर्तन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ;

(ग) स्टर्लिंग चाय कम्पनियों की ओर से भारतीयकरण के लिये आये कितने आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं तथा तत्संबन्धी व्यौरा क्या है ;

(घ) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों की क्रियाओं से बचने के लिये इनमें से बहुत सी कम्पनियां चुपचाप कुछ हेरा-फेरी करके अपने स्वामित्व विभिन्न भारतीयों के नाम में अन्तरित कर रही है और भारतीय उद्योगपति विदेशी खातों के माध्यम से थोड़ा-थोड़ा करके अदायगियां कर रहे हैं ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी गतिविधियों की जांच की है तथा ऐसे कदाचारों को रोकने के लिये उपाय ढूंढें हैं ; और

(च) यदि हां, तो ऐसे मामलों में की जा रही कार्यवाही का व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) भारतीय आवासियों को स्टर्लिंग शेयर खरीदने से पहले इस हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होती है और इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई। दूसरी ओर यदि भारतीय गैर-आवासियों द्वारा लन्दन स्टाक एक्सचेंज में स्टर्लिंग शेयर खरीदे गये हों तो इन्हें केवल गैर-आवासियों की शेयरधारिता ही माना जाएगा और इस स्थिति में विदेशी शेयरधारिता को 74 प्रतिशत तक कम करने की जिम्मेदारी कम्पनी पर ही रहेगी।

(ङ) और (च) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

विचाराधीन आवेदन-पत्रों की सूची

1. अबगूरी टी एस्टेट्स लिमिटेड, कलकत्ता
2. असम फ्रंटीयर टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

3. असम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
4. असम एस्टेट्स लिमिटेड, कलकत्ता
5. अटारीखत टी कम्पनी लिमिटेड
6. असम डूयर्स टी कम्पनी लिमिटेड
7. बरगांग टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
8. बोरदूबी टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
9. बुग्राई टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
10. दी ब्रिटिश इंडियन टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
11. बायेली टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
12. दी बमगांव टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
13. बजालोनी टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
14. बुक्सा डूर्स टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
15. दी ब्रिटिश दार्जिलिंग टी कम्पनी लिमिटेड
16. ब्रिटिश असम टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
17. बंगाल यूनाइटेड टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
18. ब्रे एंड चिगुर टी एस्टेट्स लिमिटेड, कलकत्ता
19. वलिजन टी कम्पनी लिमिटेड
20. वलसेरी टी कम्पनी लिमिटेड
21. बदूलिपार टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
22. कछार एंड डूर्स टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
23. कोपरेटिव होलसेल सोसाइटी लिमिटेड
24. कोरामोरे टी कम्पनी, लिमिटेड
25. दी क्रेकमोरे लैंड एंड प्रोड्यूस कम्पनी लिमिटेड
26. दी चुल्सा टी कम्पनी लिमिटेड
27. डूम डूमा टी कम्पनी लिमिटेड
28. दार्जिलिंग कंसोलिडेटेड टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता.
29. दंगजुआ झार टी कम्पनी लिमिटेड
30. दुमारा टी कम्पनी लिमिटेड
31. डेजू टी कम्पनी लिमिटेड
32. डीमोली टी कम्पनी लिमिटेड
33. दरबारी टी कम्पनी लिमिटेड
34. एम्पायर प्लान्टेशन लिमिटेड
35. ईस्टर्न असम टी कम्पनी लिमिटेड
36. एंडूग्राम टी कम्पनी लिमिटेड
37. जिजिया टी कम्पनी लिमिटेड
38. ग्रीनवुड टी कम्पनी लिमिटेड
39. हेलम टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
40. हरमुत्ती टी कम्पनी लिमिटेड
41. होप टी कम्पनी लिमिटेड
42. हट्टीमारा टी कम्पनी लिमिटेड
43. हूनवाल टी कम्पनी लिमिटेड
44. ईटारवूली टी कम्पनी, लिमिटेड

45. इम्पीरियल टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
46. ईसा-भील टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
47. जोरहाट टी कम्पनी लिमिटेड
48. दी झांझी टी एसोसिएशन लिमिटेड
49. कूम सांग टी कम्पनी लिमिटेड
50. लकशरिया लिमिटेड
51. लेबोंग टी कम्पनी लिमिटेड
52. लीश रीवर टी कम्पनी लिमिटेड
53. लोंगाई वैली टी कम्पनी
54. मरांगी टी कम्पनी लिमिटेड
55. मोग्राविंद टी कम्पनी लिमिटेड
56. मजूली टी कम्पनी लिमिटेड
57. मद्राम टी एस्टेट्स लिमिटेड
58. मोरन टी एस्टेट्स लिमिटेड
59. मीनग्लास टी कम्पनी लिमिटेड
60. पाबूजन टी कम्पनी लिमिटेड
61. राजमल टी कम्पनी लिमिटेड
62. रूपाजूली टी कम्पनी लिमिटेड
63. रूपाई टी कम्पनी लिमिटेड
64. दी रजत अली टी कम्पनी लिमिटेड
65. सदर्न इंडिया टी एस्टेट्स कम्पनी लिमिटेड
66. स्टानमोरे अन्नामलाई एस्टेट्स लिमिटेड

भारत और मिस्र द्वारा संयुक्त उद्यम

1633. **श्री शरद यादव** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस्र के उप-प्रधान मंत्री की हाल की भारत यात्रा के बाद भारत मिस्र व्यापार नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने भारतीयों को मिस्र में संयुक्त उद्यम लगाने के बारे में उदारता से मंजूरी देने का निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) मिस्र दोनों देशों के लाभ के लिये पूरे आर्थिक और व्यापार विकास के किन-किन क्षेत्रों में हमारा सहयोग चाहता है ; और

(ङ) मिस्र की अर्थ-व्यवस्था पर दबावों को देखते हुए देश के लिये उक्त संयुक्त उद्यमों के लाभ सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ङ) मिस्र के उप-प्रधान मंत्री की हाल ही की भारत यात्रा के बाद मिस्र अरब गणराज्य के साथ व्यापार सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । मिस्र के उप-प्रधान मंत्री के साथ हुई बातचीत शक्ति तथा ऊर्जा के क्षेत्र से सम्बन्धित थी । बातचीत से निकले निष्कर्षों का ब्यौरा लोक सभा में 22 फरवरी, 1978 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 240 के उत्तर में दिया गया था ।

मिस्र समेत विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावों पर इसके बारे में सरकार द्वारा विहित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विचार किया जाता है । इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार करते समय सभी संगत पहलुओं को, जिनमें विदेशी भागीदारी का ब्यौरा, योजना का पुख्तापन तथा संभावित लाभ शामिल है, ध्यान में रखा जाता है ।

अक्तूबर, 1977 में हुई भारत-मिस्र अरब गणराज्य व्यापार वार्ताओं में मिस्र अरब गणराज्य के साथ व्यापार से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा की गई । दोनों पक्षों ने व्यापार के विविधीकरण तथा उसे सुदृढ़ बनाने की अपनी-अपनी इच्छा व्यक्त की ।

सरकारी क्षेत्र की लक्षित समय से पीछे चलने वाली परियोजनाएं

1634. **श्री के० मालन्ना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो अपने लक्षित समय से पीछे चल रही है और प्रत्येक के मामले में कितना विलम्ब है ;

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और उनके विलम्ब से पूरा होने के कारण कितना अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की प्रगति की अन्तिम समीक्षा के आधार पर उपलब्ध सूचना अनुबन्ध में दी गई है।

(ख) सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का कार्य पूरा होने में विलम्ब के प्रमुख कारण इस प्रकार है:—

(1) सिविल निर्माण कार्य, खासतौर से बुनियादी निर्माण कार्य अथवा अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी आदि के मिलने में देरी।

(2) विदेशी उपस्करों की सप्लाई और संस्थापना में देरी।

(3) विदेशी संयंत्र और मशीनों की प्राप्ति और संस्थापना में देरी।

(4) श्रमिक समस्यायें जिनमें परियोजना स्थल पर तथा सप्लायरों के यहां हुई हड़तालें शामिल हैं।

(5) तकनीकी परामर्शदाताओं और/या सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने में देरी।

(6) परियोजना रिपोर्ट के अनुमानों में प्रारम्भिक अशुद्धियां तथा विविध कारण जैसे अप्रत्याशित मानसूनी वर्षा जिसके कारण कुछ परियोजनाओं के कार्य में देरी हुई ।

(ग) सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं, खासतौर से बड़ी-बड़ी सम्मिश्र परियोजनाओं के निर्माण और संस्थापना सम्बन्धी कार्य 'पर्ट (पी० ई० आर० टी०) और सी०पी०एम० जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अवश्य ही एक सुविकसित प्रबन्ध सूचना प्रणाली द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, ताकि विलम्ब कम से कम हो। तथापि सरकार ने परियोजनाओं की मंजूरी, रुपये के रूप में वित्त और विदेशी मुद्रा रिलीज करने तथा पूंजी निवेश प्रस्तावों की जांच करने आदि से सम्बन्धित प्रणालियों को भी सुव्यवस्थित करने के उपाय किए हैं । सरकार इस बात को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझती है कि परियोजना कार्य इसके लक्षित समय के अनुसार पूरा हो तथा उसमें कोई देरी न हो। इस मामले की विभिन्न स्तरों पर लगातार समीक्षा की जाती है ।

परियोजनाओं के विलम्ब से पूरा होने के कारण कितना अतिरिक्त व्यय हुआ, इसका अनुमान लगाना तो मुश्किल है, क्योंकि यह विलम्ब ऊपर दिए गए विभिन्न कारणों से हुआ है तथा इसमें स्वदेशी या अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से हुई मूल्य वृद्धि, संयंत्र और उपस्कर की प्रौद्योगिकी संबन्धी परिवर्तन, परियोजना क्षेत्र में परिशोधन आदि की लागत भी शामिल है ।

विवरण

परियोजना का नाम	अनुमानित विलम्ब
1. बोकारो इस्पात संयंत्र की 17 लाख टन उत्पादन क्षमता–विस्तार–परियोजना का पहला चरण	$4\frac{1}{2}$ वर्ष
बोकारो इस्पात संयंत्र की 17 से 40 लाख टन उत्पादन क्षमता-विस्तार-परियोजना का दूसरा चरण	2 वर्ष
2. हिन्दुस्तान जिंक विशाख-सीसा-जस्ता प्रद्रावक परियोजना . .	$\frac{1}{2}$ वर्ष
3. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मेघाहातबुरू परियोजना . .	$\frac{1}{2}$ वर्ष
4. बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रो-केमिकल्स परियोजना कच्चे तेल का आसवन	$\frac{1}{2}$ वर्ष
5. भारतीय तेल निगम, मथुरा तेल शोधक में यांत्रिक संस्थापना .	--
6. भारतीय तेल निगम गुजरात तेल शोधक विस्तार परियोजना .	$\frac{1}{2}$ वष
7. भारतीय उर्वरक निगम की हल्दिया परियोजना .	2 वष
8. भारतीय उर्वरक निगम की रामागुण्डम परियोजना .	$3\frac{1}{2}$ वष
9. भारतीय उर्वरक निगम की तालचर परियोजना .	$3\frac{1}{2}$ वष
10. भारतीय उर्वरक निगम की सिंदरी आधुनिकीकरण परियोजना . .	$\frac{1}{2}$ वर्ष
11. भारतीय उर्वरक निगम की ट्राम्बे 4 विस्तार परियोजना . .	$1\frac{1}{2}$ वर्ष
12. नेशनल फर्टिलाइजर्स की भंटिंडा परियोजना . . .	$\frac{1}{2}$ वर्ष
13. नेशनल फर्टिलाइजर्स की पानीपत परियोजना . . .	---
14. भारतीय सीमेंट निगम की राजवन परियोजना . .	$1\frac{1}{2}$ वर्ष
15. भारतीय सीमेंट निगम की मंधार विस्तार परियोजना .	2 वर्ष
16. भारतीय सीमेंट निगम की नीमच परियोजना . .	1 वर्ष
17. भारतीय सीमेंट निगम की अकलतारा परियोजना . .	1 वर्ष
18. भारतीय सीमेंट निगम की येरागुण्टला परियोजना . .	$\frac{1}{2}$ वर्ष
19. हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड	1 वर्ष
एण्डोसल्फन तकनीकी परियोजना उद्योग मंडल, विरूपण संयंत्र . .	$\frac{1}{2}$ वर्ष
20. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स जेक्टर परियोजना, पिंजौर .	1 वर्ष
21. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स मुद्रण मशीनी परियोजना . . .	$3\frac{1}{2}$ वर्ष
22. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज टेलीफोन स्विचिंग इक्विपमेंट्स फैक्टरी, रायबरेली	$\frac{1}{2}$ वर्ष
23. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विस्तार परियोजना (मशीने और उपस्कर)	5 वर्ष
इण्डियन एयर लाइन्स का विकास कार्यक्रम . . .	$\frac{1}{2}$ वर्ष
24. कोचीन शिपयार्ड (निर्माण)	3 वर्ष
(गोदी और घाटसंयंत्र 1 से 3, और उपस्करों की मरम्मत) .	3 वर्ष
25. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन केरल, अखबारी कागज परियोजना .	1 वर्ष
26. नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर प्रोजेक्ट . . .	2 वर्ष
27. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण नया अन्तर्राष्ट्रीय बम्बई विमान पत्तन और मालवाही टर्मिनल कम्पलेक्स . .	1 वर्ष

1977-78 में चाय, चीनी, मूंगफली के बीज, तेल और मछली का निर्यात

1635. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977–78 में चाय, चीनी, मूंगफली के बीज, तेल और मछली के निर्यात में क्या वृद्धि/कमी हुई ; और

(ख) अर्जित विदेशी मुद्रा के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और उसमें यदि कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) चाय, चीनी तथा मछली के संबंध में निर्यात, अर्जित विदेशी मुद्रा के तुलनात्मक आंकड़े और वृद्धि/गिरावट के कारण निम्नोक्त हैं :—

चाय

वर्ष	मात्रा (दस लाख कि० ग्रा०)	मूल्य (करोड़ रु०)
1976–77 अप्रैल-जनवरी 1977	213.65	252.34
1977–78 अप्रैल-जनवरी, 78	191.36	485.66

घरेलू खपत के लिए उचित कीमत पर अधिक चाय उपलब्ध कराने के लिए पिछले वर्ष की तुलना में चाय का निर्यात निम्न स्तर पर किया गया। जनवरी-मार्च, 1977 में अभूतपूर्व कीमत वृद्धि को देखते हुए यह कदम आवश्यक था। तथापि, विदेशी मुद्रा आय पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक थी।

चीनी

वर्ष	मात्रा (लाख मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1976–77 (अप्रैल-फरवरी, 1977)	4.62	125.34
1977–78 (अप्रैल-फरवरी, 1978)	0.45	10.43

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में असाधारण रूप से कीमतों के कम होने के कारण पिछले वर्षों की तुलना में 1977–78 में चीनी का निर्यात बहुत कम हुआ।

(समुद्री उत्पाद)

मछली

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1976–77 (अप्रैल-दिसम्बर, 1976)	49059	133.59
1977–78 (अप्रैल-दिसम्बर, 1977)	42273	142.97

मामूली गिरावट का आँशिक कारण है श्रिम्प के पकड़ने में थोड़ी सी कमी होना और आयातक देशों में अस्थिर बाजार दशाओं का रोल।

मूंगफली तथा खाद्य तेल

मूंगफली के बीज तथा मूंगफली के तेल के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है।

सोया दुग्ध पर उत्पादनशुल्क तथा अन्य करों की छूट देने के बारे में अभ्यावेदन

1636. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें नागपुर के एक सोया दुग्ध उत्पादक से सोया दुग्ध पर उत्पादन शुल्क और अन्य करों की छूट देने के बारे में दिनांक 11 अप्रैल, 1977 का एक अभ्यावेदन मिला है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि खाद्य और कृषि मंत्रालय तथा केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने सोया दुग्ध के "सब्जियों का रस नहीं" (नाट ए वेजिटेबल जूस) कहा है, और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) सरकार ने सोया दूध को उस पर लगने योग्य समस्त उत्पादन शुल्क से छूट दी है और यह छूट 31 मार्च, 1979 तक प्रभावी रहेगी।

International Air Cargo Service from Airports in Saurashtra Region

1637. **Shri Dharamasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce Air Cargo Service from any of the airports at Porbandar, Keshod, Rajkot, Jamnagar, Bhuj, Bhavnagar etc. in Saurashtra region for sending goods to Arab and other countries; if so, when it will be introduced and the names of the airports at which it will be introduced; and

(b) whether demands for introducing Air Cargo service have been received from Saurashtra region ; if so, the names of the places from which these demands have been received and on what dates and the action taken or proposed to be taken by Government thereon ?

The Minister of Toursim And Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) : No Sir.

(b) No such demand has been received by Government.

Removal of Restrictions on Export of Gur

1638. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) When the restriction on the export of gur was last imposed and when was this removed ;

(b) the reasons for removing restriction on the export of gur ;

(c) the countries to which export of gur has been permitted ; and

(d) the lowest price of gur recorded and on which date ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) Export of gur has been allowed on a quota basis. In August, 1977 quota of 1,000 tonnes of gur was released for export through STC. On 1st February, 1978, an additional quota of 5,000 tonnes was released. On the 20th February, 1978, the Government decided to remove all quota restrictions on its exports.

(b) The main reason for removing restriction on the export of gur was the low prices for it in the internal market caused by bumper production.

(c) Export of gur is permitted to all countries with whom we have trade relations.

(d) Statement is placed on the Table of the House. [Placed in Library See No. L.T. 1697/78]

Investigation into Complaints About Imported Oils given to Vanaspati Manufacturers

1639. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the types and quantity of imported oils given to Vanaspati manufacturers during 1975-76 and 1976-77 and 1977, year-wise till now ;

(b) the rate at which the imported oil was given to the Vanaspati manufacturers ; and

(c) whether any representation has been received from Vanaspati Manufacturing Association in regard to the State Trading Corporation and imported oils and fats; if so, when and the contents thereof, the action taken or proposed to be taken by Government and when ?

Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) The types and quantity of imported oils given to Vanaspati manufacturers during 1975-76 and 1976-77 and 1977, year-wise till now ;

Type of oil	1975-76	1976-77	(Quantity in MT) 1977 (upto december Provisional)
Soyabean	3,267	1,69,711	2,97,000
Rapeseed	14,156	45,233	13,170
Palm . .	31,781	53,305	50,815
Sunflowerseed	768	3,480	—
Groundnut	—	—	665

(b) The rate at which the imported oil was given to the Vanaspati Manufacturers;

(Rs. per MT Ex-tank)

Type of oil	1975-76	1976-77	1977 (upto December, 1977)
Soyabean	4,000	5,300-6,000	6,000 upto 30.6.1977 75% 6,500) from 1.7.1977 15% 8,250) to 31.10.1977 5,950 from 1.11.1977
Palm	5,000	4,700-5,600	5,600 upto 30.6.1977 75% 6,100) from 1.7.1977 15% 7,850) to 31.10.1977 5,500 from 1.11.1977
Sunflowerseed	5,000-6,300	5,000-5,250	—
Rapeseed	5,000	4,800-6,400	6,300 from 1.4.1977 to 31.10.1977 5,950 from 1.11.1977
Groundnut	—	—	8,250

(c) Yes, Sir, in January, 1978. Vanaspati Manufacturers' Association of India in its representation had suggested :—

(i) To associate itself with the allocation and distribution of imported oils to Vanaspati industries ; and

(ii) The Association may be issued an import licence for distribution of tin plate to Vanaspati factories on the basis of their production of Vanaspati and refined oil.

As for item (i) in the context of the working of the existing arrangements with regard to the distribution of imported oils to Vanaspati industries, Govt. do not consider that any change in these arrangements are called for now.

Regarding item (ii), the matter is being processed with the Department of Steel.

सामान्य उपयोग की आवश्यक वस्तुओं का पता लगाया जाना

1640. **डॉ० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामान्य उपयोग की ऐसी आवश्यक वस्तुओं का पता लगाया है जिनके मूल्य जन सामान्य के हित में नियमित करने की जरूरत है ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर सकारात्मक है, तो ऐसी वस्तुओं के नाम क्या हैं और सरकार उनकी कीमतों के नियमित तथा समाज में उनका उचित और समान वितरण किस प्रकार करना चाहती है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इन मूलभूत और आवश्यक वस्तुओं का जन सामान्य में उचित वितरण सरकार किस प्रकार करना चाहती है और इन वस्तुओं का पता न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) और (ख) सरकार ने ऐसी वस्तुओं का निर्धारण कर लिया है, जिन वस्तुओं के मूल्य जनहित में पूर्ण तथा आंशिक रूप से नियमित किये जाते हैं उनमें गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक, लिखने-पढ़ने के काम में आने वाला कागज, नियंत्रित कपड़ा तथा अन्य वस्तुओं जैसे औषध व दवाईयाँ, सीमेंट शामिल हैं। ये वस्तुयें मुख्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाइसेंसशुदा उचित दर की दुकानों और सहकारी समितियों तथा मान्यताप्राप्त/अनुमोदित अभिकरणों के माध्यम से वितरित की जाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Employees appointed to test the quality of Opium

1641. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the employees appointed to test the quality of opium are untrained and therefore justice is not being done towards the opium producers; and

(b) the action being taken by the Government in the matter ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) No, Sir. The opium is tested for its purity and classified according to its moisture content by trained staff. It is provisionally tested and classified by the District opium officers at the time of purchase of opium from the cultivators at the weighment centres and the results are made known to the cultivators. 90 per cent of the provisional amount so determined is paid to the cultivators on the spot. The final testing and classification of opium is done at the laboratories in the two Government Opium Factories at Ghazipur (U.P.) and Neemuch (M.P.) by qualified chemists in accordance with established scientific procedures and final payments are made to the cultivators on the basis of these analysis. If any poppy cultivator disputes the results of provisional testing done by the District Opium Officer, his opium is sent separately to the concerned factory and he is given an option to visit the factory where the opium is finally tested in his presence.

(b) In view of the above, the question does not arise.

Laboratories for Testing and Processing of Opium

1642. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether laboratories for testing and processing of opium are located in every opium procurement centre ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) the action being taken by Government for improving the present unsatisfactory testing method of opium with a veiw to meet out justice to opium producers and to create confidence in them ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) and (b) There are a number of weighment centres in poppy growing areas where nearly 350 poppy cultivators tender the'r opium produce every day. Simple laboratory tests are carried out to detect common adulterants and the opium is classified provisionally for making 90% of the payment due to the cultivator on the spot. The balance amount of 10% is paid after the final classification of opium done by expert chemists in the two Government Opium Factories at Ghazipur (UP) and Neemuch (MP) which have the necessary arrangements and laboratory equipment for carrying out detailed examination.

The processing of opium for export and for extraction of alkoloids within the country etc., is also done in the aforesaid two factories which have necessary equipments and security arrangements.

(c) The present method of testing of opium for making payments to cultivators has been working satisfactorily.

Procurement of Opium from Producers

1643. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the rate at which opium is purchased from the producers of opium and whether it is a fact that payment at different rates is made to various producers for the same quality of opium; and

(b) the measures being taken to adopt a satisfactory method ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) and (b) The purchase price of opium payable to cultivators for the current crop season 1977-78 is as follows :——

Category	Price per Kg. at 70% consistency. Rs.
Cultivators who tender 60 Kgs. and above of opium per hectare	220/-
Cultivators who tender 45 Kgs. or more but less than 60 Kgs. of opium per hectare.	200/-
Cultivators who tender 35 kgs. or more but less than 45 Kgs. of opium per hectare.	180/-
Cultivators who tender 30 Kgs. or more but less than 35 Kgs. of opium per hectare.	150/-
Cultivators who tender 25 Kgs. or more but less than 30 Kgs. of opium per hectare	130/-
Cultivators who tender less than 25 Kgs. of opium per hectare.	120/-

The underlying principle in the aforesaid slab system is to provide incentive to cultivators who tender more opium per hectare. This system of pricing is working satisfactorily. This slab system was revised in November, 1977 to give better prices to the producers.

स्वर्ण व्यापार को नियमित करने का प्रस्ताव

1644. **डॉ० बापू कालदाते : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वर्ण व्यापार को नियमित करने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी पार्टियां सोना खरीद रही हैं ;

(ग) क्या इससे बाजार में सोने की कमी आ गई है ; और

(घ) यदि हाँ. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 के उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार, स्वर्ण-व्यापारियों को लाइसेंस देने और स्वर्णकारों को प्रमाणित करने तथा निर्धारित लेखे रखने की पद्धति द्वारा, देश में स्वर्ण-व्यापार पहले ही विनियमित किया जाता है।

(ख), (ग) और (घ) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, के अंतर्गत, निजी तौर पर शुद्ध सोने को अर्जित करने, अपने पास रखने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है। स्वर्ण आभूषणों के संबंध में इसके अलावा इस तरह का और कोई प्रतिबंध नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति/परिवार के कब्जे में, उसके पास अथवा उसके स्वामित्वाधीन स्वर्ण-आभूषणों की कुल मात्रा, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा से बढ़ जाय तो उसके लिये एक घोषणा पत्र दाखिल करना पड़ता है।

पिछले पंद्रह वर्षों से, मुख्यतः बढ़ती हुई माँग के कारण, सोने/सोने के आभूषणों के आँतरिक मूल्य में निरंतर वृद्धि होती रही है।

हवाई मार्गों का विस्तार तथा नई दिल्ली और राज्य की राजधानियों के बीच सम्पर्क

1645. **डॉ० बापू कालदाते** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्यमान हवाई मार्गों का देश के विभिन्न मार्गों तक विस्तार करने और राजधानी को उनसे जोड़ने का है;

(ख) क्या कई राज्यों की राजधानियाँ ऐसी हैं जहाँ से नई दिल्ली के लिए सीधा हवाई मार्ग नहीं है ;

(ग) यदि हाँ, तो उन राज्यों की राजधानियों के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार का नई दिल्ली हवाई मार्ग का उन राजधानियों तक विस्तार करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इंडियन एयर लाइंस के विमान बेड़े के पूर्णरूप से व्यस्त होने के कारण, इंडियन एयरलाइंस के लिए फिलहाल नई सेवाएं आरम्भ करना या और और स्थानों को सेवाओं से जोड़ सकना संभव नहीं होगा।

(ख) और (ग) : निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की राजधानियों से दिल्ली के लिए कोई सीधी विमान सेवाएं नहीं हैं :—

राज्य/संघ शासित प्रदेश	राजधानी
1. असम	दिसपुर
2. हिमाचल प्रदेश	शिमला
3. सिक्किम	गंगटोक
4. मेघालय	शिलोंग
5. मिज़ोरम	ऐज़ोल
6. अरुणाचल प्रदेश	इटानगर
7. पाँडिचेरी	पाँडिचेरी
8. लक्षद्वीप	कवारती
9. दादरा व नगर हवेली	सिलवासा
10. नागालैंड	कोहिमा
11. केरल	त्रिवेन्द्रम
12. उड़ीसा	भुवनेश्वर
13. त्रिपुरा	अगरतला
14. मणिपुर	इम्फाल

(घ) फिलहाल नहीं।

बैंकों द्वारा अन्धाधुंध ऋण दिया जाना

1646. **डॉ० बापू कालदाते :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों द्वारा अंधाधुंध ऋण दिए गए हैं ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक ने स्थिति का पुनर्विलोकन किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त पुनर्विलोकन का ब्यौरा क्या है और अन्धाधुंध ऋणों को नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : वाणिज्यिक बैंक अपनी ऋण निधि की मात्रा तथा प्रकार को अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की घट बढ़ के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ऋण नीति के समग्र ढांचे के अंतर्गत कम ज्यादा करते हैं। आजकल अपनायी जाने वाली ऋण नीति का मूल उद्देश्य मुद्रा प्रसार को रोकना तथा साथ ही पूंजी निवेश, उत्पादन और निर्यात को बढ़ाना तथा उपभोक्ता सामान की पूर्ति करना है।

भारतीय निर्यात/आयात की वस्तुओं को तरजीह देना

1647. **श्री सरत कार** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन से देश भारतीय निर्यात की वस्तुओं को तरजीह देते हैं ?

(ख) वे किन वस्तुओं के मामले में तरजीह देते हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) भारत ने किन किन देशों के मामले में उनसे आयात करने के संबंध में तरजीह दी है; और

(घ) भारत किन वस्तुओं के मामलों में तरजीह देता है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) भारतीय निर्यात इनसे अधिमानी व्यवहार प्राप्त कर रहे हैं :

(1) अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के अन्तर्गत विकसित देश;

(2) गाट के विकासशील देशों के बीच व्यापार वार्ताओं से संबंधित संलेख के अन्तर्गत कतिपय विकासशील देश;

(3) 'त्रिपक्षीय करार' नामक भारत-मिश्र का अरब गणराज्य-यूगोस्लाविया व्यापार विस्तार तथा आर्थिक सहयोग के अन्तर्गत मिश्र का अरब गणराज्य ;

(4) कतिपय विकासशील एशियाई देश, जिन्होंने एशिया तथा प्रशान्त देशीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (एस्कैप) के विकासशील सदस्य देशों के बीच व्यापार वार्ताओं के संबंध में प्रथम करार पर जिसे बैंकाक करार कहते हैं हस्ताक्षर किए हैं ; तथा

(5) कनाडा तथा राष्ट्रमंडलीय अधिमानी योजना के अन्तर्गत कतिपय राष्ट्रमंडलीय विकासशील देश।

विवरण (अनुबंध 1 तथा 2) संलग्न है जिनमें अधिमान देने वाले देशों के तथा उनमें शामिल महत्वपूर्ण मदों के नाम दिये गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1698/78]

(ग) तथा (घ) भारत भी विकासशील देशों को टैरिफ अधिमान प्रदान करता है जो इस प्रकार है :--

(1) त्रिपक्षीय करार के अन्तर्गत मिश्र का अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया।

(2) गाट संलेख के अन्तर्गत ब्राजील, कोरिया गणराज्य, स्पेन, टर्की, यूगोस्लाविया, मिश्र, चिली, मैक्सिको, पेरु, ट्यूनिशिया, उरुगुए, परागुए, बंगलादेश और यूनान।

(3) बैंकाक करार के अन्तर्गत बंगलादेश, श्रीलंका तथा कोरिया गणराज्य।

(4) राष्ट्रमंडलीय अधिमानी करार के अन्तर्गत सभी विकासशील राष्ट्रमंडलीय देश।

इन करारों के अन्तर्गत भारत द्वारा दिये जाने वाले अधिमानों का ब्यौरा, वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महानिदेशक द्वारा प्रकाशित इंडियन कस्टम्स एण्ड सैन्ट्रल एक्साइज टैरिफ शिड्यूल में दिया जाता है।

विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण से वित्तीय सहायता

1648. **श्री सरत कार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये और अंशतः छठी पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है ;

(ख) क्या विश्व बैंक तथा उसकी एजेंसियों ने जितनी वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है वह आशा के अनुकूल है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ग) विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ वित्तीय सहायता के वचन वार्षिक आधार पर देते हैं। पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना की अवधि के दौरान अभी तक (अर्थात् पहली अप्रैल, 1974 से आज तक) उन्होंने 319.0 करोड़ डालर की सहायता देने का वचन दिया है।

(ख) जी, हाँ।

Relaxation of Gold Control Order

1649. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of Government for relaxing the Gold Control Order with a view to provide concessions to poor goldsmiths for safeguarding their interests; and

(b) if so, the details thereof ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a) and (b) Certain relaxations have been granted to certified goldsmiths by issue of certain notifications/orders on 14-2-1978 under the Gold (Control) Act. The salient features of these relaxations are that a certified goldsmith can:—

(i) manufacture and sell ornaments out of the standard gold bars which he is already allowed to possess against specific orders from the customers;

(ii) make small purchases up to 35 gms. of ornaments at a time from a person and utilise the same for the purpose of making, manufacturing ornaments against specific orders from other customers. The goldsmiths availing of the above concessions are required to have a fixed place of business and maintain the prescribed accounts.

(iii) The present restrictions regarding issue of goldsmith's certificates only to the members of family of goldsmiths have been removed. Now any person who possesses necessary skill of a goldsmith and who has worked with a certified goldsmith as an apprentice for a period not less than 3 months and who has not been disqualified on account of conviction or imposition of penalty for gold control or smuggling offence is eligible to get a goldsmith's certificate.

Loans Sanctioned by Nationalised Banks to Cottage Industries in Madhya Pradesh

1650. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether certain instructions have been issued to the nationalised banks by the Central Government to the effect that while sanctioning loans particularly to cottage industries, preference should be given to backward areas ; and

(b) if so, the details of the loans sanctioned for cottage industries in backward areas of Madhya Pradesh during the last two years ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) and (b) The public sector banks have been advised to devote special attention to the task of increasing the flow of bank

credit in the backward areas where the bulk of the credit needs relate to neglected sectors including small and cottage industries. The Industrial Development Bank of India is also operating a special scheme of concessional refinance to the financial institutions for encouraging credit assistance to small industries in the backward areas.

The present system of data reporting does not yield data separately for cottage industries. In the small-scale industries sector, however, public sector banks and outstanding advances of Rs. 37.40 crores involving 19039 borrowal accounts as at the end of June, 1977 as compare to Rs. 31.32 crores involving 12760 borrowal accounts at the end of June, 1976, in the State of Madhya Pradesh.

विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिए .न से भारत को गैर-परियोजना सहायता

1651. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेसन ने भारत की विदेशी मुद्रा निधि को देखते हुये निकट भविष्य में भारत को और अधिक में गैर-परियोजना सहायता न देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है ;

(ग) क्या विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन ने भारत के लिये 1.50 करोड़ रुपये का गैर-परियोजना ऋण का उपबन्ध किया था जो अब प्राप्त नहीं होगा; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ कुछ विशिष्ट उद्योगों की आयात संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत को धन देने को एक कार्यक्रम बना रहा है। हमारी सुधरी हुए बिदेशी मुद्रा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने इस प्रकार की कोई सहायता नहीं दी है।

(ग) विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारत को चालू वर्ष के लिए परियोजना-भिन्न ऋण दिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

पर्यटन के बारे में राष्ट्रीय नीति समिति

1652. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० के० कोडियन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन के बारे में राष्ट्रीय नीति का सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति का गठन किया गया है, और

(ग) समिति अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) (ख) और (ग) : सरकार ने पर्यटन के संबंध में राष्ट्रीय नीति का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त नहीं की है क्योंकि समिति के गठन के प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जा रहा है।

रुपये की तुलना में डालर के मूल्य में गिरावट का निर्यात पर प्रभाव

1653. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये की तुलना में डालर के मूल्य में गिरावट का इंजीनियरी के सामान के निर्यात पर कुप्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चाय और पटसन पर इसका बहुत कुप्रभाव पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो कहां तक सच है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क), (ख), (ग) और (घ) ऐसी स्थिति में जबकि मुद्रा विनिमय की दरों का निर्धारण स्वतः होता है, विभिन्न मुद्राओं के मूल्य में अल्पावधिक उतार चढ़ाव आना एक सामान्य बात है। हाल ही के कुछ महीनों से न केवल रुपए की तुलना में डालर के मूल्य में गिरावट आई है, बल्कि कई अन्य मुद्राओं की तुलना में भी इसके मूल्य में गिरावट आई है। रुपए की तुलना में कुछ दूसरी मुद्राओं के मुकाबले इसके मूल्य में कहीं ज्यादा गिरावट आई है। ऐसी स्थिति में, मुद्रा विनिमय की दर में हुए परिवर्तन से हमारे निर्यात पर सामान्यतः पड़ने वाले प्रभाव और कुछ विशेष वस्तुओं जैसे कि इंजीनियरी की वस्तुएं, चाय और जूट के निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का सही सही मूल्यांकन करना मुश्किल है। इस प्रकार के प्रभावों को कम से कम करने और रुपए की प्रभावी विनिमय दर में कुछ स्थिरता लाने के विचार से, रुपए को हमारे साथ व्यापार करने वाले मुख्य देशों की मुद्राओं की डाली के साथ संबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा रुपए की विनिमय दर में अल्पावधिक घट बढ़ होने के विरुद्ध संरक्षण देने के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक निर्यातकों को विनिमय संबंधी अग्रिम सुरक्षा भी प्रदान करता है। रुपए की विनिमय दर पर बराबर नजर रखी जाती है और समय समय पर उसमें उचित समायोजना कर दिए जाते हैं।

स्टेट बैंक आफ इंडिया की सहायक शाखाओं का विलय

1654. **श्री पी० के० मावलंकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्टेट बैंक की एक परिचालित यूनिट (सिंगल स्टेट बैंक आपरेशनल यूनिट) बनाने और अधिकारियों तथा क्लर्कों का समान संवर्ग बनाने के लिए देश भर में स्टेट बैंक आफ इंडिया की सहायक शाखाओं का स्टेट बैंक के साथ विलय करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कैसे; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार अथवा रिजर्व बैंक के विचाराधीन नहीं है।

आगामी दशक में विमान परिवहन का विकास

1655. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आगामी दशक के दौरान विमान परिवहन के विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना अथवा प्रस्ताव तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों तथा देश में राष्ट्रिकों की विमान यात्रा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक हवाई अड्डों और विशेषकर अधिक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही का मुख्य ब्यौरा क्या है और किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : विमान परिवहन के विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए सिविल विमानन के क्षेत्र के लिए एक समग्र व्यापक योजना तैयार करने के लिये विमान परिवहन से संबंधित अभिकरणों की योजनाओं तथा प्रस्तावों का समन्वय किया जाता है। तथापि, अगले पांच वर्षों के लिये विशिष्ट योजनाओं/प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक द्वारा लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए धन देने की पेशकश

1656. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने देश में लघु-कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए धन देने की अपनी पेशकश को दुहराया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है ; –

(ग) क्या विश्व बैंक ने ऐसी पेशकश पहले वर्ष 1976 में की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने लघु क्षेत्र में एक या अधिक परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक को ऐसी ऋण सहायता देने की सिफारिश की है ;

(ङ) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क), (ख) और (ग) : विश्व बैंक और आसान शर्तों पर ऋण देने वाले इससे संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा चुनी जाती हैं और फिर इन संस्थाओं से उन परियोजनाओं के लिए सहायता का अनुरोध किया जाता है। बैंक समूह की सहायता के लिए उपयुक्त परियोजनाओं का जिनमें लघु क्षेत्र से संबंधित परियोजनाएं भी शामिल हैं, निर्धारण उनसे बराबर अनौपचारिक विचार-विमर्श द्वारा किया जाता है।

(घ), (ङ) और (च) : लघु क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए सरकार की सिफारिशें उन प्रस्तावों के आधार पर की जाएंगी जो इस समय तैयार किए जा रहे हैं और उनका पूरा ब्यौरा इन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगा।

विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा कलकत्ता की उड़ानें फिर से प्रारम्भ करने का अनुरोध

1657. **श्री समर गुह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 विदेशी विमान कम्पनियों ने कलकत्ता हवाई अड्डे के लिये अपनी उड़ानें फिर से प्रारम्भ करने के लिए अपनी सहमति प्रदर्शित की है;

(ख) क्या कुछ नई विदेशी विमानन कम्पनियों ने कलकत्ता हवाई अड्डे के लिये अपनी उड़ानें आरम्भ करने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ग) यदि हां, तो इन दोनों मामलों संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) उन अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों को जो कलकत्ता हवाई अड्डे के लिये अपनी उड़ानें आरम्भ करना चाहती हैं, अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : जी, नहीं। किसी भी विदेशी एयरलाइन्स ने अपनी विमान सेवाओं की आवृत्तियों के उपलब्ध अधिकारों के अंतर्गत रहते हुए कलकत्ता विमान क्षेत्र के लिए/से होते हुए उड़ानों का परिचालन करने का अनुरोध नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत सरकार विदेशी एयरलाइनों द्वारा अपने यातायात अधिकारों के अंतर्गत रहते हुए कलकत्ता के लिए/से होते हुए अनुसूचित विमान सेवाओं के परिचालन का स्वागत एवं उत्साहवर्धन करेगी।

खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि

1658. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता वस्तुओं, विशेषकर खाद्य पदार्थों के मूल्यों में हुई वृद्धि संबंधी नवीनतम आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या गत छः महीनों के दौरान उपरोक्त वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई अथवा गिरावट आई और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) इसके फलस्वरूप क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) मुद्रास्फीति को रोकने तथा उसके परिणामों को नियंत्रित रखने के लिये जो कदम उठाए गए हैं उनका उल्लेख आर्थिक समीक्षा 1977-78 में कर दिया गया है, जो हाल ही में संसद् में पेश की गयी है।

विवरण

थोक कीमतों का सूचक अंक (आधार 1970-71=100) चुनी हुई उपभोक्ता वस्तुएं

प्रतिशत परिवर्तन

	एक वर्ष से अधिक अर्थात् 12-2-77 की तुलना में 11-2-78 तक	छः महीने से अधिक अर्थात् 13-8-77 की तुलना में 11-2-78 तक
समस्त वस्तुएं .	−1.2	−4.2
I. प्राथमिक वस्तुएं	−0.8	−5.5
खाद्य वस्तुएं	+4.3	−4.2
खाद्यान्न	+5.8	+0.7
अनाज	−0.9	−3.9
चावल	−4.2	−13.5
गेहूं	+1.0	+7.4
ज्वार	−5.5	−2.9
बाजरा	+4.6	+7.1
दालें	+36.2	+19.5
चना	+47.8	+25.8
अरहर	+34.5	+19.3
मूंग	+31.8	+20.9
मसूर	+31.8	+20.3
उरद	+4.5	−9.8
फल और सब्जियां	+6.3	−16.6
दूध और दूध उत्पाद .	+2.3	−1.1
अंडे, मछली और मांस .	+8.8	+0.5
मसाले और गर्म मसाले . .	+13.8	−0.8
विविध खाद्य पदार्थ . . .	−12.8	−10.3
चाय	−16.3	−12.9
कहवा	−11.7	−8.6
II. इंधन, विद्युत (शक्ति) बिजली और लुब्रिकेंट्स .	+0.1	−0.7
III. विनिर्मित उत्पाद	−1.7	−3.9
खाद्य वस्तुएं	−14.9	−16.6
डेयरी उत्पाद	+5.9	अपरिवर्तित (वही)
अनाज मिल उत्पाद . . .	+2.4	−1.9
बेकरी उत्पाद	−0.6	अपरिवर्तित (वही)
चीनी, खाण्डसारी और गुड़ . .	−21.5	−23.3
खाद्य तेल	−8.4	−12.5
सूती वस्त्र . . .	+8.0	+1.6

मुद्रास्फीति में वृद्धि

1659. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975, 1976 और 1977 के मुद्रास्फीति संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) मुद्रास्फीति में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) थोक कीमतों के सूचक अंक (1970-71=100) के अनुसार, अंश प्रति अंश के आधार पर 1975, 1976 और 1977 में मुद्रा-स्फीति की दर निम्नलिखित थी :—

1975 . .	(−) 5.5 प्रतिशत
1976 .	(+) 6.3 प्रतिशत
1977	(+) 3.7 प्रतिशत

(ख) और (ग) : फिर भी 11 फरवरी, 1978 को मुद्रास्फीति की वार्षिक दर ऋणात्मक (−1.2 प्रतिशत) थी । इस प्रकार मुद्रास्फीतिकारी शक्तियां जो कि 1976 में प्रभावी थीं उनको सफलतापूर्वक दबा दिया गया। इस संबंध में जो कदम उठाए गए हैं उनका ब्यौरा उन्हें आर्थिक सर्वेक्षण, 1977-78 में दे दिया गया है जिसे हाल ही में संसद् में पेश किया गया है।

कमरों के लिये ऊंची दरें लेने वाले बड़े होटल

1660. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश के बड़े होटल अतिथियों/पर्यटकों से कमरों के लिये बहुत ऊंची दरों पर किराया वसूल कर रहे हैं ;

(ख) क्या इन होटलों द्वारा कमरों के लिये अतिथियों से बहुत ऊंची दरों पर किराया वसूल करने पर सरकार का कोई नियंत्रण है, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों के कमरों की किराया दरों में कमी करने का है, यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि डीलक्स होटलों द्वारा चार्ज की जाने वाली दरें ऐसे अन्य होटलों द्वारा चार्ज की जाने वाली दरों से अपेक्षतया अधिक हैं जिनमें विदेशियों के ठहरने की व्यवस्था है। तथापि होटल दरें अथवा ग्रुप टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत एक ऐसे फार्मूले के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं जिससे परिचालन लागतों पर उचित आय होती हो। पर्यटन विभाग उस होटल टैरिफ का अनुमोदन करता है जो इस फार्मूले के आधार पर तैयार किया जाता है तथा जिसे एक चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया जाता है उसके पश्चात्, होटल टैरिफ में हर संशोधन के लिए, विभाग की अनुमति प्राप्त की जाती है।

(ग) मामले की समीक्षा की जा रही है।

केन्द्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता

1661. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को अधिकाधिक धन के लिए लगातार केन्द्र पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में किये जा रहे उपायों का स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) केन्द्र तथा राज्य आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भागीदार हैं । केन्द्रीय और राज्य आयोजनाएं एक दूसरे को सहायता पहुंचाती हैं और मिल कर के राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन सिद्ध होती हैं । अतः केन्द्र और राज्यों के बीच घनिष्ठ आर्थिक पारस्परिक निर्भरता है । केन्द्र राज्य सरकारों से अनुरोध करता रहा है कि वे अपनी वित्तीय अधिकारिता के क्षेत्रों में और अधिक गहराई से साधन जुटाकर और सिंचाई, बिजली तथा अन्य परियोजनाओं में किए गए निवेश से पर्याप्त लाभ प्राप्त करके अपने संसाधन-आधार को मजबूत बनाये ।

Implementation of Section 3(3) of Official Languages Act

1662. **Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 is being implemented fully in his Ministry ;

(b) if so, the number of general orders, circulars, notices, tender permits issued during the latter half of 1977 and the number of orders, out of them etc. issued in Hindi along with the English ones ; and

(c) if the above section is not being implemented fully, the reasons therefor and the action being taken to implement it ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a), (b) and (c) The provisions of the Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963, as amended, are being implemented to the maximum possible extent in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Main) as may be seen from the statement attached.

Similar information in respect of attached and subordinate offices of this Ministry is being collected and will be laid of the Table of the Sabha.

Statement

Documents for which both Hindi & English languages shall be used under Section 3(3) of the Official Languages Act	Issued during July—December, 1977		
	Issued both in Hindi and English	Issued in Hindi only	Issued in English only
1	2	3	4
1. General Orders . . .	151	—	—
2. Rules	1	—	—
3. Notifications . . .	39	—	—

1	2	3	4
4. Administrative and other reports	—	—	—
5. Press communiques	7	—	—
6. Official papers laid before a House or the Houses of Parliament	7	—	—
7. Contracts and agreements	—	—	—
8. Licences	—	—	—
9. Permits	—	—	—
10. Notices	—	—	—
11. Forms of Tender	—	—	—

Printing of publications and journals/periodicals in Hindi

1663. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names of publications and journals/periodicals brought out by his Ministry'/Departments during 1977 ;

(b) the number of publications and journals/periodicals out of them which were brought out in Hindi and the reasons for not bringing out the other publications in Hindi;

(c) whether there is a proposal to bring out all such publications and journals/periodicals in Hindi as are being published in English now ; and

(d) if so, the steps taken so far in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a), (b), (c) and (d) No publications, journals or periodicals were brought out by the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Main) during the year 1977 except the official Reports which were submitted to Parliament both in Hindi and English. The information in respect of attached and subordinate offices and public sector undertakings of this Ministry is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

ऐसे 20 व्यक्ति अथवा कम्पनियां जिन्होंने सबसे अधिक मूल्य के विमुद्रीकृत नोट बदलवाने के लिये पेश किये

1664. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक को अब तक कितने मूल्य के विमुद्रीकृत नोट बदलवाने के लिये पेश किये गये हैं और ऐसे 20 ऊपर वाले व्यक्तियों तथा कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने सबसे अधिक मूल्य के करेंसी नोट बदलवाने के लिये पेश किये ;

(ख) जनता के पास कितनी विमुद्रीकृत करेंसी शेष है और उन नोटों को बदलने के लिये पेश न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) कितने मामलों में आय कर अधिकारियों से सम्भावित काले धन तथा अघोषित धन का पता लगाने के लिये जांच प्रारम्भ कर दी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, बदले जाने के लिए जनता द्वारा प्रस्तुत किए गए, विमुद्रीकृत नोटों का कुल मूल्य लगभग 60 करोड़ रुपए है । सबसे ऊपर के बीस उन व्यक्तियों अथवा कम्पनियों के नाम, जिन्होंने सबसे अधिक मूल्य के करेंसी नोट प्रस्तुत किए हैं ; अभी उपलब्ध नहीं हैं, और मिलने पर सभा-पटल पर रख दिए जाएंगे ।

(ख) जनता द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए नोटों के संबंध में सूचना इकट्ठा की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी । सम्भवतः लोगों ने सभी नोट इसलिए प्रस्तुत नहीं किए क्योंकि शायद उन्हें प्राप्त करने और रखने के सम्बंध में वे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकते थे ।

(ग) घोषणाओं के संबंध में आयकर विभाग जांच कर रहा है तथा बड़ी राशि के संबंध में की गई घोषणाओं के मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है । इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 133क के अन्तर्गत दो हजार सात सौ से अधिक स्थानों की सरसरी तौर पर खोज की गई है ।

आयकर तथा निगमित कर की बकाया राशि

1665. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक आयकर तथा निगमित करों की कुल कितनी राशि बकाया है और उसे वसूल करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) चोटी के उन 20 व्यक्तियों और फर्मों के नाम क्या हैं जिनकी ओर करों की अधिकतम राशि बकाया है ; और

(ग) करों की बकाया राशि की वसूली के लिए इन दोषी लोगों/फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) 31-12-1977 की स्थिति के अनुसार आय-कर तथा निगम कर की बकाया की रकम निम्नानुसार है :—

(रकम करोड़ रुपयों में)

बकाया पड़ी सकल मांग	शुद्ध बकाया
1,008.76	725.70

आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार कर की बकाया वसूल करने के लिये संबंधित आयकर प्राधिकारियों द्वारा, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, समय समय पर उपयुक्त कार्यवाही की जाती है । इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(क) कर की अदायगी विलम्ब से किये जाने के लिए ब्याज लगाना ;

(ख) कर की अदायगी नहीं किये जाने के लिये अर्थदण्ड लगाना ;

(ग) बाकीदार को प्राप्य रकमों का अधिग्रहण; और

(घ) चल/अचल सम्पत्तियों का अभिग्रहण तथा बिक्री।

प्रशासन की ओर से आयकर अधिकारियों को कहा गया है कि वे आयकर की बकाया को वसूल करने/कम करने के कार्य पर विशेष ध्यान दें। बड़े मामलों में बकाया को वसूल करने/कम करने में हुई प्रगति का, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी पर्यवेक्षण किया जाता है।

(ख) तथा (ग) इस संबंध में, 31 दिसम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार, पूरी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्रित किया जा रहा है और यथासम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दिया जायगा।

खाद्य तेलों के व्यापार संबंधी गोयल समिति का प्रतिवेदन

1666. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :**
श्री वसंत साठे :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें खाद्य तेलों के व्यापार संबंधी गोयल समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में यदि कोई निर्णय किया गया है तो वह क्या है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें निम्नोक्त प्रकार हैं:—

(1) रिपोर्ट में देश की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के पुनरीक्षण की व्यवस्था है और उसमें उन महत्व पूर्ण बातों के बारे में बताया गया है जिन पर भारत में खाद्य तेलों के विनियमन और विकास के लिए समन्वित नीतियां तैयार करते समय ध्यान दिया जाना चाहिए।

(2) रिपोर्ट में भूतपूर्व सरकार के गैर सरकारी व्यापारियों के माध्यम से खाद्य तेल मुक्त रूप से आयात की अनुमति देने के निर्णय पर विचार किया गया है और उसमें बताया गया है कि निम्नोक्त बातों के संबंध में निर्णय दोषपूर्ण था:—

(क) आयात लाइसेंस सामान्य लाइसेंस योजना के अन्तर्गत मुक्त रूप में जारी किए जाते थे जो कि लघु उद्योग क्षेत्र के वास्तविक प्रयोक्ता/प्रयोक्ताओं के लिए थी;

(ख) लाइसेंस में कोई मूल्य सीमा नहीं रखी गई थी;

(ग) आयातकों पर कोई शर्त अथवा दायित्व नहीं रखा गया था;

(घ) लाइसेंसों की वैधता अवधि एक वर्ष थी जबकि आवश्यकता यह थी कि आयात यथा संभव शीघ्र किये जाएं;

(ङ) सभी प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं में अत्यधिक कटौती कर दी गई थी;

(च) आवेदकों की दक्षता के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच-पड़ताल नहीं की जाती थी।

(छ) निर्णयों के दीर्घावधि वित्तीय फलितार्थों पर विचार नहीं किया गया ;

(ज) लाइसेंसों के कार्यान्वयन को देखने के लिए कोई उपयुक्त अभिकरण नहीं था तथा

(झ) कीमतों के नियंत्रण के लिए तथा राज्य व्यापार निगम जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल करके अधिक आयात सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध विकल्पों का पता नहीं लगाया गया।

(3) रिपोर्ट में यह बताया गया है कि राष्ट्रव्यापी कमी की स्थिति का सामना करने की क्रियाविधि के रूप में गैर सरकारी व्यापारियों पर निर्भर रहना एक गलत व्यवस्था थी, विशेष रूप से जबकि खाद्य तेल का व्यापार कुछ ही केन्द्रों में केन्द्रित है और कुछ ही बड़े व्यापारियों के हाथों में है।

(4) रिपोर्ट में आयात लाइसेंसों के उपयोग किये जाने का विस्तृत विश्लेषण किया गया है और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कुल लाइसेंसों में से लगभग 80 प्रतिशत मूल्य के लाइसेंस बहुत थोडे लाईसेंस धारियों द्वारा प्राप्त कर लिये गये थे और उपयोग दर बहुत कम थी। बड़े व्यापारी और आयातक इस कार्य को इस ढग से करते हैं जिससे उन्हें अधिकाधिक वित्तीय लाभ मिलता है जैसे कि सीमित मात्रा में आयात करना तथा अपने आयात कार्यक्रम इस ढंग से तैयार करना जिससे अधिकाधिक फायदा मिले।

(5) खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के भावी प्रबन्ध के संबंध में रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों में आयातों के उचित प्रबंध हेतु राज्य अभिकरण की भूमिका, आयातों तथा निर्यातों के लिए दीर्घावधि परिप्रेषण, खाद्य तेलों के विकास तथा विनियमन के लिए नीतियों तथा प्रशासनिक कार्रवाइयों के समन्वय के लिए एकल अभिकरण के महत्व एवं सांविधिक कीमत नियंत्रणों की जरूरत संबंधी सिफारिश शामिल हैं तथा रिपोर्ट में आयात व निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय के कार्यकरण में सुधार संबंधी सूझाव दिए गए हैं।

(ग) रिपोर्ट पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस बीच निम्नलिखित उपाय शुरू किए जा चुके हैं:—

(1) सापेक्ष महत्व की खाद्य तेल योजना तैयार करने के लिए मामले के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता विभाग द्वारा एक कार्यकारी दल का गठन किया जा चुका है। इस की रिपोर्ट शीघ्र आने की संभावना है।

(2) वनस्पति तिलहन तथा तेल निगम की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

उर्वरकों का आयात

1667. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार उर्वरकों का भारी मात्रा में आयात करने का है जिस पर पाँच सौ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा लगेगी ; और

(ख) इतनी बड़ी विदेशी मुद्रा बचाने के लिये उर्वरकों का देश में ही उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है और/अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बैग) : (क) और (ख) उर्वरकों के आयात का प्रबंध समय समय पर माँग तथा देशी सप्लाइयों के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसके साथ-साथ पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक कार्य-क्रमों के अन्तर्गत उनके उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना की जाती है ताकि बढ़ती हुई मांगों को और अच्छी तरह पूरा किया जा सके। छटी योजना के संबंध में ऐसी कार्यवाही करने के बारे में सरकार पहले ही विचार कर रहा है।

निर्यात प्रयोजनों के लिए राज-सहायता

1668. **श्री दुर्गा चन्द :**
श्री कचरूलाल हेमराज जैन :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय निर्यात प्रयोजनों के लिए कितनी राज सहायता दी जाती है;

(ख) क्या निर्यात के लिए दी जाने वाली राज सहायता पर होने वाला कुल सरकारी खर्च बढ़ा है ;

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि राज सहायता से निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ;

(घ) क्या सरकार का राज सहायता में कमी करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या यह प्रस्ताव है कि कुछ मदों का निर्यात बिना सरकारी सहायता के किया जाये और यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ;

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) वर्ष 1976-77 के दौरान नकद मुआवजा सहायता देने के लिए विपणन विकास सहायता (एम० डी० ए०) में से कुल 236.62 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी हाँ।

(घ) नकद मुआवजा सहायता की दरों की समीक्षा की जाती रहती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी सहायता केवल उन्हीं मामलों में दी जाये जहाँ यह न्यायोचित हो।

(ङ) इस समय कई ऐसे निर्यात उत्पाद हैं जिनका निर्यात सरकार की ओर से बिना किसी प्रकार की सीधी वित्तीय सहायता के लिए किया जा रहा है। सरकार की नीति इस बात को प्रोत्साहन देने की है कि अधिकाधिक निर्यात उत्पाद सरकारी इमदाद पर निर्भर रहे बिना विश्व बाजारों में प्रतियोगी बने।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये बड़ी राशि के नोट

1669. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये एक हजार, पाँच हजार और दस हजार रुपये के नोटों की पृथक-पृथक संख्या कितनी हैं ; और

(ख) एक हजार, पाँच हजाँर और दस हजार रुपये में से प्रत्येक के प्रकार के पंजीकृत नोटों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) 16 जनवरी, 1978 को कारोबार बंद होने के समय, 1000 रुपये मूल्यवर्ग के लगभग 12.80 लाख बैंक नोट जिनका मूल्य 128 करोड़ रुपए था, 5000 रुपए मूल्यवर्ग के 36300 बैंक नोट जिनका मूल्य 18.15 करोड़ रुपए था और 10,000 रुपए मूल्यवर्ग के 346 नोट जिनका मूल्य 34.6 लाख रुपए था, चलन में थे। इसका कुल जोड़ लगभग 146.5 करोड़ रुपए बैठता है। किन्तु ये आँकड़े अन्तिम हैं।

(ख) जीं हाँ ।

भारत और अमरीका के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करना

1670. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार ने दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के संबंध में भारत सरकार से कहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को इस संबंध में उस सरकार से कोई पत्र मिला है ;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) इस समय दोनों देशों के बीच क्या व्यापार बाधायें हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) भारत तथा संयुक्त राज्य अमरीका के बीच व्यापार में अधिकाँश अन्य देशों के बीच व्यापार की भांति कई मामलों में आयात शुल्क लगते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्यात बाध्यताओं मात्रा संबंधी प्रतिबंधों तथा सुरक्षा संबंधी उपायों जैसे विभिन्न उपायों का भी प्रभाव पड़ता है, जिनके परिणामस्वरूप व्यापार पर प्रतिबंध लग जाते हैं। सीमा शुल्क मूल्याँकन क्रियाविधि तथा तकनीकी स्टैन्डर्ड जैसे कुछ अन्य उपाय हैं जिनका भी समान प्रभाव हो सकता है। टैरिफ तथा गैर-टैरिफ संबंधी ये उपाय व्यापार प्रतिबंध माने जाते हैं।

जेनेवा में चल रही बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में संयुक्त राज्य अमरीका ने और कुछ अन्य विकसित देशों ने भारत से अपनी रुचि के कृषि व औद्योगिक उत्पादों के संबंध में टैरिफ व गैर-टैरिफ रियायतें देने का अनुरोध किया है। ये विकसित देश ऐसी रियायतें इसी प्रकार की उन रियायतों के बदले में चाहते हैं, जो हमने उनसे माँगी हैं।

इन वार्ताओं में भारत ने अब तक यह पक्ष लिया है कि टोकियों में हुई मंत्रिस्तरीय घोषणा के अनुसार जिसके परिणामस्वरूप वार्ताएं आरंभ हुई विकासशील देश यह आशा करते हैं कि उन्हें अतिरिक्त लाभ हो और यह कि जब वे यह देख लेंगे कि उन्हें कौन कौन से अतिरिक्त लाभ होने जा रहे हैं, उसके बाद ही वे अंशदान करेंगे। विकासशील देशों द्वारा किये जाने वाले ऐसे अंशदान उनकी विकास संबंधी वित्तीय तथा व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुरूप भी होंगे। इस पक्ष के अनुसार, संयुक्त राज्य अमरीका सहित विकसित देशों के अनुरोधों पर अनुवर्ती कार्यवाही इस बात पर निर्भर करेगी कि आगे वार्ताएं किस प्रकार चलती हैं और उनसे क्या परिणाम निकलते हैं।

विदेशी मुद्रा कोष में जमा हुई राशि

1671. **श्री दुर्गाचन्द :**
डा० वी० ए० सेयद मुहम्मद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी मुद्रा कोष में इस समय कितनी राशि जमा है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : 24 फरवरी, 1978 को भारत के पास 4038.00 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा थी।

Fall in Prices of potato

1672. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the prices of potato have considerably gone down as a result of new crop ; and

(b) if so, whether Government are making any arrangements to ensure reasonable prices of potato to the farmers and if not, the reasons therefore ?

Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) Whilst there has been a noticeable decline in the prices of potatoes since the arrival of the new crop, the wholesale price index for potatoes in the week ending February 11, 1978 was still 9.8% higher than that of the corresponding week in the preceding year.

(b) Arrangements have been made with the National Agricultural Cooperative Marketing Federation (NAFED) to see that by timely market intervention, as necessary, the prices of potatoes do not fall to an unremunerative level to the grower.

Survey regarding Prices of Gold and Silver

1673. Shri Daya Ram Shakya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether Government propose to conduct a survey about the prices of gold and silver prevailing in the country as well as in foreign countries with a view to bring them at par with those prevailing in foreign countries so that smuggling thereof is checked ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : From the point of view of combating smuggling, the prices of gold and silver in India and in foreign countries are being studied on a continuing basis.

भारत को ब्रिटेन से सहायता

1674. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की सरकार भारत को 3 करोड़ पौंड की सहायता देने पर सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने जब जनवरी, 1978 में भारत की यात्रा की थी तब कुल कितनी सहायता देने का आश्वासन दिया था;

(ग) भारत सरकार द्वारा उस सहायता का किस प्रकार उपयोग किये जाने की संभावना है ; और

(घ) क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) यूनाइटेड किंगडम की सरकार भारत को वर्ष 1977-78 में 1440 लाख पौंड (228 करोड़ रुपए) तक की और जैसा प्रश्न में कहा गया है 300 लाख पौंड तक की निवल सहायता देने के लिए सहमत हो गई है । माननीय सदस्य ने 300 लाख पौंड की जिस रकम की ओर निर्देश किया है, वह उन राशियों की द्योतक है जो भारतीय उर्वरक निगम के द्वारा उर्वरक एज्यूकेशनल परियोजना को कार्यान्वित किए जाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी । इस विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के लिए निधियों का एक अंश 1977-78 के लिए वचनबद्ध सहायता में से उपलब्ध होगा और शेष रकम सहायता की भावी वचनबद्धताओं से प्राप्त होगी ।

(ग) भारत के द्वारा इस सहायता को निम्नलिखित रीति से उपयोग में लाया जाएगा :

(i) 700 लाख पौण्ड (110.8 करोड़ रुपए) अनुरक्षण सहायता के रूप में, जिसे ब्रिटेन से अनेक प्रकार की अनुरक्षण वस्तुओं, जिनमें कच्चा माल, फालतू पुर्जे, संघटक तथा वस्तुए शामिल हैं, के आयात के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा ;

(ii) 200 लाख पौण्ड (31.7 करोड़ रुपए), जो पूंजी निवेश सहायता के रूप में होगा और जिसे सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के द्वारा उपकरणों के आयात के लिए जिसे अंशतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से भी किया जाएगा, उपयोग में लाया जाएगा;

(iii) 300 लाख पौण्ड (47.5 करोड़ रुपये), संयुक्त परियोजना सहायता के लिए, जिसके परस्पर सम्मति से निर्धारित अधिक मूल्य की परियोजनाओं के लिए उपकरणों तथा मशीनरी के आयात के लिए किया जाएगा;

(iv) 200 लाख पौंड (31.7 करोड़ रुपए) क्षेत्रीय सहायता के रूप में, जिसे कोयला और विद्युत क्षेत्रों की आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के उपयोग में लाया जाएगा; और

(v) 40 लाख पौण्ड (6.3 करोड़ रुपये) ऋण राहत के रूप में।

(घ) यूनाइटेड किंगडम की सरकार के साथ 4 जनवरी, 1978 को, कुल मिलाकर 1440 लाख पौण्ड की इस राशि के लिए 5 करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

सीमाशुल्क में छूट

1675. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चालू वर्ष में अनेक मदों में सीमाशुल्क में छूट दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) : चालू वर्ष के दौरान, अर्थात् 1-4-1977 से 28-2-1978 तक, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (1) के अन्तर्गत सरकार द्वारा 200 से अधिक सीमा शुल्क छूटें जारी की गई हैं। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अन्तर्गत जारी की गयी इन सीमाशुल्क छूट अधिसूचनाओं में से प्रत्येक को छूट के लिए कारण बनाते हुए व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ सभा पटल पर रखा गया है। इस प्रकार माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना लम्बी चौड़ी किस्म की है। यदि माननीय सदस्य किसी खास छूट के बारे में ब्यौरे और उसके कारण जानना चाहते हों, तो वह सूचना दी जा सकती है।

कार, ट्रक और ट्रैक्टर बनाने के लिये प्रयोग में आने वाले उपकरणों पर सीमाशुल्क कम किया जाना

1676. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार, ट्रक तथा ट्रैक्टर बनाने के लिये तदर्थ आधार पर आयात किये जा रहे कुछ आवश्यक उपकरणों पर लगाये जाने वाले सीमाशुल्क में कमी करने का कोई प्रस्ताव सकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपकरणों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने शुल्क में कितनी कमी की घोषणा की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सरकार ने, तारीख 30 जनवरी, 1978 की अधिसूचना संख्या 23–सी शु० और 24–सी० शु० (31 मार्च, 1978 तक वैध) द्वारा मोटर गाड़ियों तथा ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए अपेक्षित संघटकों पर तथा ऐसे संघटकों के निर्माण हेतु अपेक्षित सामान पर लगने वाले 120 प्रतिशत और इससे अधिक के सीमाशुल्क को घटाकर मूल्यानुसार 40 प्रतिशत कर दिया है; ये रियायतें केवल ऐसे संघटकों और सामान पर लागू होंगी जो विशेष आयात व्यापार नियंत्रण लाइसेंसों के अन्तर्गत आते हैं।

चालू वर्ष के दौरान मूल्य प्रवृत्ति

1677. **श्री चित्त बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान त्रुटिपूर्ण मूल्य प्रवृत्ति के क्या कारण हैं ; और

(ख) मूल्य स्तर को स्थिर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना आर्थिक सर्वेक्षण 1977-78 में उपलब्ध है, जिसे अभी हाल ही में संसद में पेश किया गया है।

अगले पांच वर्षों में बनाये जाने वाले होटल

1678. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 31 दिसम्बर, 1977 को पर्यटकों के लिये कितने होटल चल रहे थे और उनकी कमरों की संख्या कितनी थी ;

(ख) पर्यटकों की सुविधा के लिये अगले पांच वर्षों में कितने होटल बनाये जाने का विचार है; और

(ग) इसके लिये कौन से स्थान चुने गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) 31 दिसम्बर, 1977 को पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची पर कार्यरत होटलों की संख्या 287 थी जिनमें कुल धारिता 17,831 की थी ।

(ख) इस समय देश में उपलब्ध होटल आवास तथा 1982 के अंत तक अपेक्षित आवास के बीच लगभग 22,000 होटल कमरों के अंतर की पूर्ति करने के लिए, 72 होटल परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है जिनके पूरा हो जाने पर 5,689 कमरों की और वृद्धि हो जाएगी । इस समय यह बताना संभव नहीं है कि अगली पंचवर्षीय योजनावधि में कितने और अधिक होटलों का निर्माण किया जाएगा । तथापि, पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होटल आवास में और अधिक वृद्धि करने के लिए, सरकार द्वारा उद्यमियों को नये होटल स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

(ग) पर्यटन महत्व के स्थानों पर अपेक्षित आवास के आकार, प्रकार तथा स्थान का निर्धारण अपेक्षित सर्वेक्षण करने के बाद ही किया जाएगा ।

कुछ औषधियों और चिकित्सा संबंधी उपकरणों पर सीमाशुल्क कम करने अथवा समाप्त करने का प्रस्ताव

1679. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषधियों और चिकित्सा संबंधी उपकरणों पर सीमाशुल्क कम करने अथवा उसे समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मदों पर सीमाशुल्क समाप्त कर दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सरकार ने सभी चिकित्सा, दन्त्य, शल्य और पशुनैदानिक उपकरणों और साधित्रों पर 7-10-77 से सीमाशुल्क की दर 75 प्रतिशत से घटाकर केवल मूल्यानुसार 45 प्रतिशत कर दी है । डाक अथवा हवाई जहाज द्वारा आयात किये गये विकलांग साधित्रों पर, जो व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आशायित हों, सीमाशुल्क की दर उसी तारीख से मूल्यानुसार 120 प्रतिशत से घटाकर केवल मूल्यानुसार 45 प्रतिशत की गयी है । कतिपय प्राण रक्षक औषधि द्रव्यों, औषधियों और उपस्करों को सीमाशुल्क से छूट मिली हुई थी ; सरकार ने यह रियायत ऐसे किसी अन्य औषधि द्रव्य, औषधि अथवा उपस्कर पर भी लागू की है जिसके सम्बंध में, निदेशक, सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा प्रत्येक मामले में यथास्थिति, उनका प्राण रक्षक औषधि द्रव्य, औषधि अथवा उपस्कर होना प्रमाणित किया जाय । अस्पताल की कतिपय श्रेणियों द्वारा आयात की गयी चिकित्सा, शल्य और नैदानिक उपस्करों को भी कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए सीमाशुल्क से छूट दी गयी है । सरकार ने भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए विदेश से लौटने वाले सर्जन अथवा डाक्टर द्वारा आयातित 50,000 रुपये मूल्य तक के किन्हीं चिकित्सा, शल्य और नैदानिक उपस्करों को भी कतिपय शर्तों के अधीन सीमाशुल्क से छूट दी है ।

ईरान से वित्तीय सहायता

1680. **श्री बसंत साठे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने ईरान के शाह की हाल की भारत यात्रा के दौरान उन्हें सहयोग और वित्तीय सहायता के लिए कुछ परियोजनाओं का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक और कृषि तथा सिचाई क्षेत्रों में जिन विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया । जिन पर सहमति हुई उनका महत्वपूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुमानतः कितनी वित्तीय और अन्य सहायता देने का वायदा किया गया है ? उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) (ख), और (ग)· पूर्वी तट पर बाक्साइट के भंडारों के लिए एल्युमिना परियोजना, त्रिपुरा के लिए कागज और लुगदी का कारखाना और राजस्थान नहर का दूसरा चरण जैसी अनुमोदित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ईरान के शहनशाह ने पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन की कीमतों पर उधार अथवा एकमुश्त अदायगी पर, जैसा भी उचित हो, प्रतिवर्ष अतिरिक्त कच्चे तेल की सप्लाई करने का प्रस्ताव रखा था यथास्थिति अदायगी की किस्तों अथवा एकमुश्त रकम के बराबर भारत में एक रुपया निश्चित बनाई जा सकती है जिससे कि आवश्यकतानुसार इन परियोजनाओं की वित्त-व्यवस्था की जा सके । भारत के प्रधानमंत्री ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है । दोनों सरकारों द्वारा इस मामले के ब्यौरे पर विचार-विमर्श किए जाने के बाद उसे अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ।

Setting up of an Income-Tax Office in Neemuch (Madhya Pradesh)

Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to set up an income tax office at Neemuch, district Mandsaur, Madhya Pradesh, keeping in view the convenience of the public and the increasing volume of work in this regard;

(b) if so, when and whether in the absence such facility the concerned parties have been experiencing a great difficulty and they have been demanding the said facility for a long time ; and

(c) the time by which the said office would be set up at Neemuch keeping in view the convenience of the residents in this area ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla):(a) The question of opening an income-tax office at Neemuch District, Mandsaur, Madhya Pradesh was considered in August, 1977. However, it was noticed that out of the total number of assessees in Neemuch about 80% of the assessees were covered under the summary assessment scheme by which as assessee is not required to be present in the Income-tax Office for the finalisation of his assessments. After considering the administrative restrictions the proposal to open an office at Neemuch was dropped.

(b) Representations had been received from the assessees for opening of an income-tax office at Neemuch. The issue was considered and after all the facts were taken into consideration, the proposal to open the Income-tax Office at Neemuch was dropped. This was in view of the reasons stated in answer to part (a) of the question.

(c) There is no pr oposal at present to set up an office at Neemuch.

Tax Arrears Against Hyderabad Asbestos Limited, Ethiopean Airlines, Dalmia Jain Airways and others.

1682. Dr. Laxminarayan Pandeya ; Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether huge amounts of tax arrears are yet to be realised from the Hyderabad Asbestos Limited, Ethiopean Airlines, Dalmia Jain Airways, M/s. Modi Spinning and Weaving Company, Garware Nylon Limited, Nirlon Synthetic Fibres and Chemicals Limited and General Electric Company;

(b) if so, the amount of tax outstanding against each company ;

(c) the reasons for these arrears and from what dates ; and

(d) the action taken to realise the same ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) & (b); A sum of Rs. 582 representing customs duty is outstanding against M/s. General Electric Company of India Ltd. and a sum of Rs. 1271 representing foreign travel tax is outstanding against M/s. Ethiopean Airlines upto 31-12-1977.

Particulars of arrears of Direct Taxes and Central excise duties, if any, outstanding against the companies are being collected and will be laid on the table of the House.

(c) &(d) Of the two customs demands one is of recent origin. In the second case the concerned Airlines have indicated that they are making arrangements to pay the amount shortly.

Particulars in respect of the Direct Taxes and Central excise duty arrears, if any, are being collected and will be laid on the table of the House.

नये निर्णयों के अनुसरण में आयात और निर्यात स्थिति

1683. **श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक आयात और निर्यात नीति के बारे में दिये गये नये निर्णयों के अनुसरण में देश की आयात तथा निर्यात स्थिति किस सीमा तक अनुकूल रही है और उसके परिणाम-स्वरूप विदेशी मुद्रा कोष में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : अद्यतन अस्थायी आंकड़ों के आधार पर अप्रैल–दिसम्बर, 1977 के दौरान भारत के कुल आयात तथा निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) क्रमशः 391.12 करोड़ रु० तथा 3952.44 करोड़ रु० मूल्य के हुए जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान, ये क्रमशः 3767.70 करोड़ रु० तथा 3637.12 करोड़ रु० मूल्य के थे। अप्रैल-दिसम्बर, 1977 में व्यापार-शेष में 34.52 करोड़ रु० मूल्य का अधिशेष रहा जबकि अप्रैल—दिसम्बर, 1976 में 130.58 करोड़ रु० का घाटा रहा था।

विदेशी मुद्रा रिजर्व कोष (सोना, विशेष आहरण अधिकार तथा सरकारी होल्डिंग्ज को छोड़कर) 17 फरवरी, 1978 को बढ़कर 3935.80 करोड़ रु० हो गया जबकि यह 31 मार्च, 1977 को यह 2862.99 करोड़ रु० था और इस प्रकार 31 मार्च से इस में 1132.81 करोड़ रु० की वृद्धि हुई।

तथापि यह उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा कोष में घट-बढ़ के, निर्यात तथा आयात के अलावा और भी अनेक कारण होते हैं। इसमें, अदृश्य साधनों के अधीन प्राप्तियां तथा व्यय और पूंजी लेन-देन आदि शामिल हैं।

पर्यटन रुचि के स्थानों के लिए फीडर विमान सेवायें

1684. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन रुचि के महत्वपूर्ण स्थानों के लिए फीडर विमान सेवाओं की व्यवस्था करने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस बारे में केन्द्र और राज्य का कितना-कितना उत्तरदायित्व है; और

(ग) प्रस्तावित परिव्यय का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय सीमा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (ग) "थर्ड लेविल एयर आपरेशन" के बारे में एक प्राजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है तथा सरकार उस पर विचार कर रही है । रिपोर्ट का संबंध पर्यटन तथा अन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐसे छोटे नगरों को जो इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं से जुड़े हुए नहीं हैं, विमान सेवा से जोड़ने, परिचालनों की अर्थव्यवस्था (Economics) सरकारी सहायता के स्वरूप तथा ऐसे ही अन्य संबद्ध ब्यौरों से है ।

नारियल जटा और नारियल जटा निर्मित वस्तुओं का निर्यात

1685. **श्री अघन सिंह ठाकुर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की नारियल जटा और नारियल जटा निर्मित वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ख) यह स्थिति गत वर्ष की स्थिति की तुलना में कैसी है; और

(ग) इस बारे में निर्यात की भावी सम्भावनाएं क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकरिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) 1977-78 (अप्रैल, 1977—जनवरी, 1978) के दौरान लगभग 36,883 मैं० टन के निर्यात हुए जिनका मूल्य 20.78 करोड़ रु० था जबकि 1976-77 की उसी अवधि में० 28,120 मैं० टन के निर्यात हुए जिनका मूल्य 19.34 करोड़ रु० था।

(ग) हमारे निर्यातों का वर्तमान प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि 1977-78 के लिए निर्धारित 25 करोड़ रु० का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा । इसके अतिरिक्त पश्चिम यूरोपीय बाजारों में हमारे तैयार उत्पादों के लिए संभाव्यताएं बेहतर प्रतीत होती है ।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के चैयरमैन के पदों के विलय के बारे में विचार विमर्श

1686. **श्री रागावलू मोहनरंगम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के बोर्डों के लिए एक ही चैयरमैन नियुक्त किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि चेयरमैन के पदों के विलय के बारे में एयर इंडिया के भूतपूर्व चेयरमैन की कोई सलाह नहीं ली गई थी हालांकि उन्हें इस क्षेत्र का बहुत अधिक अनुभव प्राप्त था, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोतम कौशिक): (क) दोनों एयर कारपोरेशनों के बीच और अधिक तथा ज्यादा प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया कि 1 फरवरी, 1978 से दोनों बोर्डों के लिए एक सांझा पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिये।

(ख) जी, हां।

(ग) यह आवश्यक नहीं था।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notifications under Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 and Cardamon Rules, 1977

Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Krishna Kumar Goyal) : Sir, I lay on the table :—

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 :—

(i) The Export of Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1977 published in Notification No. S.O. 4008 in Gazette of India dated the 31st December, 1977.

(ii) The Export Inspection Council Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978 published in Notification No. S.O. 42 in Gazette of India dated the 7th January, 1978.

(iii) The Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978, published in Notification No. S.O. 43 in Gazette of India dated the 7th January, 1978.

(iv) The Export of Roasted and Salted Cashew Kernels (Inspection) Rules 1978, published in Notification No. S.O. 276 in Gazette of India dated the 28 th January, 1978.

[Placed in Library. *See* No. Lt.1668/78]

(2) A copy of the Cardamom (Amendment) Rules, 1977 (Hindi and English versions) otification No. G. S. R. 1678, in Gazette 'of India dated the 17th December, 1977, under sub-section (3) of section 33 of the Cardamom Act, 1965.

[Placed in Library. *See* No. LT. 1669/78]

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मंडल) : मैं विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 860 (ङ) में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। (देखिए संख्या एल० टी० 1670 /78)]

आयकर (संशोधन) नियम, 1978, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा भारतीय सामान्य बीमा निगम का वर्ष 1975 का प्रतिवेदन।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं श्री जुलिफकार उल्लाह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सं० आ० 24 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। (**देखिए** सं० एल० टी० 1671/78)]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 79 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण की एक प्रति, जो दिनांक 21 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। (**देखिए** संख्या एल० टी० 1672/78)]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 38 (ङ) से 40 (ङ) की एक-एक प्रति जो दिनांक 24 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। (**देखिए** सं० एल० टी० 1673/78)]

(4) भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा इसकी सहायक कम्पनियों के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। (**देखिए** सं० एल० टी० 1674/78)]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा ने पहली मार्च, 1978 को अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पास किया है जिसके द्वारा प्रेस परिषद् विधेयक 1977 को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा गया, जिसमें 30 सदस्य होंगे, राज्य सभा से 10 सदस्य, अर्थात्:—

(1) श्री रवि राय

(2) श्री दिनेश सिंह

(3) श्री जे० एस० तिलक

(4) श्री ऋषि कुमार मिश्र

(5) श्री श्रीकान्त वर्मा

(6) श्री सीता राम केसरी

(7) श्री जगजीत सिंह आनन्द

(8) श्री पी० राममूर्ति

(9) श्री ई० आर० कृष्णन

(10) श्री लाल के० अडवानी

ग्रौर लोक सभा से 20 सदस्य होंगे ग्रौर सिफारिश की कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो ग्रौर संयुक्त समिति में लोक सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नामों की सूचना उस सभा को दे।

(दो) कि राज्य सभा 2 मार्च, 1978 की ग्रपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 21 फरवरी, 1978 को पास किये गये, बाल विवाह ग्रवरोध (संशोधन) विधेयक, 1978 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(तीन) कि राज्य सभा लोक सभा द्वारा 23 फरवरी, 1978 को पास किये गये वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1978 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

ग्रधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

(पांचवां प्रतिवेदन)

श्री दुर्गाचन्द (कांगड़ा) : मैं ग्रधीनस्थ विधान संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य ग्रौर श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : में घोषणा करता हूं कि सोमवार 6 मार्च, 1978 से ग्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) राष्ट्रपति के ग्रभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर ग्रागे चर्चा।

(2) वर्ष 1978-79 के लिये रेल बजट पर सामान्य चर्चा।

(3) वर्ष 1978-79 के लिये सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : There is industrial unrest in the country and workers are agitated, I want to know the time by which a bill regarding recognition of trade unions is likely to be brought before the house with a view to put an end to the labour unrest ?

Shri Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Three Textile mills in Madhya Pradesh are facing closure due to mismanagement of Textile Corporation as a result of which thousands of workers will be rendered unemployed. The House should discuss this issue.

I would also like to know the steps being taken by Government to safeguard the interests of cane growers. This item should be included in the list of business for the next week.

समिति के लिए चुनाव

ELECTION TO COMMITTEE

Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Krishna Kumar Goyal): On behalf of Shri Arif Baig, I move :—

"That in pursuance of sub-section (3) (c) of Section 4 of the Cardamom Act, 1965, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker

may direct, two members from among themselves to serve as members of the Cardamom Board, subject to the other provisions of the said Act."

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : The Hon. Minister should give a reply to my question.

अध्यक्ष महोदय: आपके सुझाव पर कार्य मंत्रणा समिति विचार करेगी।

Shri Hukam Chand Kachwai: I wanted to know the time by which a bill is likely to be brought in the house. It has been the convention of the house to give replies to the questions.

अध्यक्ष महोदय: वह आपके उत्तर नहीं दे सकते। वह इसे कार्यमंत्रणा समिति को सौंपेंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai : This is an important bill which has already been discussed by the House. I want to know the time by which this bill is likely to be brought before the house.

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।

रविन्द्र वर्मा : मेरा वक्तव्य अगले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे है। माननीय सदस्य इस प्रकार के मामलों को अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान उठा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:—

"कि इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम, के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1975-76

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL)—1975-76

वित्त मंत्री (श्री एच एम० पटेल) मैं वर्ष 1975-76 के बजट (सामान्य) के बारे में अतिरिक्त अनुदानो की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—1977-78

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL)—1977-78

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) मैं वर्ष 1977-78 के बजट (सामान्य) के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगे दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक

RESERVE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :—

"कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री एच० एम० पटेल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) विधेयक

HIGH DENOMINATION BANK NOTES (DEMONETISATION) BILL

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि लोकहित में कतिपय उच्च मूल्य बैंक नोटों के विमुद्रीकरण और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि लोकहित में कतिपय उच्च मूल्य बैंक नोटों के विमुद्रीकरण और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री एच० एम० पटेल: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उच्च बैंक नोट (विमुद्रीकरण, अध्यादेश, 1978 के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. HIGH DENOMINATION BANK NOTES (DEMONETISATION) ORDINANCE, 1978

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश, 1978 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया (**देखिए** संख्या एल० टी० 1675/78)]

विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. SECOND REPORT OF COMMITTEE OF PRIVILEGES REPORT

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु आप ध्यान रखें कि नियम 315(2) के अन्तर्गत केवल आधे घंटे की चर्चा की ही अनुमति दी जाती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: (डायमंड हार्बर) : मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहूंगा की नियम 388 के अन्तर्गत इस नियम को निलम्बित किया जाये और चर्चा का समय बढ़ाया जाये।

अध्यक्ष महोदय: क्या सभा ऐसा चाहती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैं इस पर मत विभाजन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मतदान से पहले मैं इसे फिर सभा के सामने रखूंगा ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुबुतमुजा): नियम निलम्बित करने का अर्थ सारी चर्चा को निलम्बित करना है । सम्भवतः माननीय सदस्य निलम्बित करने के परिणामों को अनुभव नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री महोदय, क्या आप भी इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे ताकि मैं निर्णय ले सकूं ।

श्री बसंत सांठे (अकोला): नियम 388 के अन्तर्गत नियम के एक भाग के निलम्बित करने का उपबंध नहीं है ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): इस नियम को निलम्बित करने से एक खतरनाक उदाहरण पैदा हो जायेगा और इसलिये मैं इस बात का समर्थन नहीं करूंगा कि वाद-विवाद के लिये समय बढ़ा दिया जाये। सभा में यह वाद-विवाद अधिक समय के लिए नहीं चलना चाहिये। मैं इसके विरुद्ध हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु: सभा के नेता के विचार को ध्यान में रख कर मैं नियम के निलम्बन संबंधी प्रस्ताव पर जोर नहीं देता।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसु अब अपना प्रस्ताव पेश कर सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन पर जो 1 मार्च, 1978 को सभा में पेश किया गया था, विचार करती है ।"

श्री आर० वेंकटारमन (मद्रास दक्षिण) : नियम 340 के अन्तर्गत मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये क्योंकि हमारे पास प्रतिवेदन पढ़ने के लिए समय नहीं है। दूसरे हमारे पास संशोधन पेश करने के लिये भी समय नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि सभा चाहती है तो इस मामले को 13 मार्च तक के लिए स्थगित किया जा सकता है ।

श्री मोरारजी देसाई : स्थगन की कोई बात नहीं है क्योंकि यह प्रतिवेदन परसों दे दिया गया था । 46 पृष्ठों के दस्तावेज़ को पढ़ने के लिये 24 घंटे का समय काफी होता है। प्रतिवेदन की सिफारिशें केवल 11 पृष्ठों में हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरी सभा से अपील है कि वह इस मामले पर शांतिपूर्वक विचार करे । हमने कुछ प्रथायें बना रखी हैं । संसद की समिति के प्रतिवेदन को सभा द्वारा सम्मान दिया जाता है क्योंकि समिति सभा का लघु रूप होती है और सभा का प्रतिनिधित्व करती है ।

समिति ने सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है और पता चला है कि विशेषाधिकार को भंग किया गया है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि इस मामले को स्थगित कर दिया जाये ।

अब प्रश्न यह है कि इस मामले में वर्तमान परिस्थितियों के अधीन सभा को हस्तक्षेप करना चाहिये और समिति के निर्णय को अस्वीकृत कर देना चाहिये । हमें खतरनाक तथा गलत सिद्धांतों को नहीं बनाना चाहिये । हमें संसदीय समिति का पूरी तरह सम्मान करना चाहिये । यह एक ऐसी समिति

है जिसमें सभी दलों के सदस्य हैं और इसलिये हमें यह प्रतिवेदन स्वीकार कर लेना चाहिये । मैं इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहता । मुझे इस प्रतिवेदन पर विचार करने या इस पर कोई संशोधन करने पर आपत्ति है । प्रतिवेदन को केवलसभा पटल पर रखने तक ही सीमित रखा जाना चाहिए ।

श्री मोरारजी देसाई : यदि ऐसा किसी नए संसद सदस्य या देश के किसी साधारण नागरिक द्वारा कहा जाता है तो कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता किन्तु ऐसा एक ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा गया है जो कि 11 वर्षों तक इस देश की प्रधान मंत्री रही हैं तथा इस सभा की सदस्य रह चुकी है । अतः यह एक महत्वपूर्ण मामला बन जाता है और इसलिए हमें इस पर समय से विचार करना चाहिए और किसी तरह का भावावेश प्रदर्शित नहीं करना चाहिए ।

समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है । इसमें मतैक्य नहीं है, यह बात सच है, किन्तु इस तरह के मामले में यदि कोई यह आशा करता है कि यह सर्वसम्मत होगा तो यह वास्तविकता से कहीं दूर की बात होगी । अतः इसमें बहुमत है और वह बिल्कुल स्पष्ट है । लोकतांत्रिक ढांचे में तथा लोकतांत्रिक निर्णयों में बहुमत प्राप्त निर्णय का अधिक महत्व होता है । यह वैसा ही समझा जाना चाहिए कि इसे मतैक्य प्राप्त है । अतः हमें इसे स्वीकार करना है ।

इससे बढ़कर कोई और व्यापक प्रतिवेदन नहीं हो सकता और इसलिए हमें इसे पूरी तरह स्वीकार कर लेना चाहिए और इस मामले पर आगे चर्चा नहीं की जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार समिति का दूसरा प्रतिवेदन 1 मार्च, 1978 को सभा में पेश किया गया है । सामान्यतः सभा पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर कोई चर्चा नहीं होती । किन्तु श्री ज्योतिर्मय बसु ने प्रस्ताव किया है कि इस पर आगे चर्चा की जाये । क्या आप इस बात से सहमत है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : सभा के नेता ने कहा है कि इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं और इसे पूरी तरह स्वीकृत कर लिया जाना चाहिए । इसका अर्थ यह हुआ कि इस पर विचार न किया जाये ।

श्री मोरारजी देसाई : इसे तो हमें स्वीकार करना ही है, किन्तु इसे केवल सभा पटल पर रख देना ही पर्याप्त नहीं है ।

श्री बसंत साठे : प्रतिवेदन तथा सिफारिशें पेश की जा चुकी हैं । इतना ही पर्याप्त है । (**व्यवधान**) उन्होंने प्रतिवेदन का कुछ अंश भी पढ़ कर सुना दिया है । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मामला यहीं समाप्त समझा जाए ।

श्री हरि विष्णु कामथ (होशंगाबाद) : सभा के समक्ष एक प्रस्ताव है । मैं प्रधान मंत्री की बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि यदि सभा प्रधान मंत्री की सलाह को मान लेती है तो यह भविष्य के लिए एक बुरा उदाहरण होगा और भविष्य में किसी सदस्य समिति या सभा की समिति की सिफारिशों को इसी तरह स्वीकार कर लेने की सलाह को मान लेने की परम्परा स्थापित हो जायेगी । समिति का प्रतिवेदन सभा के समक्ष आता है और उसे स्वीकार करना, या उसमें संशोधन करना आदि सभा का काम है । मेरा विचार है कि प्रतिवेदन पर सभा में विचार किया जाये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं लोक लेखा समिति का चेयरमैन था उस समय धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया था । उस सम्बन्ध में मतैक्य से एक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया था उसके बावजूद भी श्री स्टीफन के दल के सदस्यों ने इसी सभा में ही नहीं बल्कि दूसरे सदन में भी उस प्रतिवेदन पर विचार करने की बार-बार मांग की थी ।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव पेश किया है "कि यह सभा 1 मार्च, 1978 को पेश किए गए विशेषाधिकार समिति दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है ।"

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि सभा की इच्छा है तो इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद 13 मार्च तक स्थगित किया जा सकता है ताकि सदस्यों को अधिक समय मिल सके । उन्हें अपने संशोधन पेश करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाये ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : श्रीमान मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 315 के अन्तर्गत श्री ज्योतिर्मय बसु ने प्रस्ताव पेश किया है जिसका कार्य सूची में 15वां स्थान है । मेरा निवेदन यह है कि मद संख्या 16 पर विचार करने से पूर्व मद संख्या 15 पर विचार किया जाये । चाहे इसके लिए आधा घंटा ही क्यों न दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : केवल 5 मिनट शेष हैं······(**व्यवधान**)

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आप श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रस्ताव को आधे घंटे का समय दे सकते हैं । इसमें सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है । नियम 315 के अन्तर्गत माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव को पेश किया है और आप उन्हें उनके इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक ही व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं । मैं इस पर आगे चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहा ।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी (जूनागढ़) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न यह है कि इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाये और केवल तभी उप-नियम (3) के अन्तर्गत इस पर आगे चर्चा हो सकती है । इसके अतिरिक्त सदस्य इस समय संशोधन पेश कर सकते हैं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय): मैं एक बात पर आपका मार्ग-दर्शन चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं । मुझे इसे आधे घंटे में समाप्त करना है ····(**व्यवधान**)

श्री ए० बाला पजनौर (पांडिचेरी): किन्तु ये तो व्यवस्था के प्रश्न उठाये जा रहे हैं। यदि इन पर कुछ समय लग भी जाता है तो आप यह नहीं कह सकते कि प्रस्ताव के लिए नियत किया गया समय समाप्त हो गया है ············(**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हाउस आफ कामन्स में यह प्रथा है कि जब कोई सदस्य विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है या सभा का अवमान करता है तो वहां सभा का नेता प्रस्ताव पेश करता है । किन्तु यहां वैसा नहीं होता ।

इस विशेष मामले में विशेषाधिकार समिति के चेयरमैन को प्रतिवेदन पेश करने के लिए सभा के समक्ष आना चाहिये और उनके द्वारा सभा में प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए था ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन पर, जिसे 1 मार्च, 1978 को पेश किया गया था, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जिसे 1 मार्च, 1978 को पेश किया गया था, सहमत है ।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब मेरा अनुषंगी प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिये : ····· **(व्यवधान)** मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"जबकि लोक सभा की विशेषाधिकार समिति अपने दूसरे प्रतिवेदन में, जो 1 मार्च, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, श्रीमती इन्दिरा गांधी कि स्पष्टीकरण से पूर्णतया संतुष्ट न होते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उनके द्वारा 15 जुलाई, 1977 को जारी किए गये अपने प्रेस वक्तव्य में की गई टिप्पणियों में 'आक्षेप और तोहमत लगाई गई है, जिनसे संसद की गरिमा तथा सत्ता को आघात पहुंचा है' और इस प्रकार 'सभा का विशेषाधिकार भंग हुआ है और उसका अवमान हुआ है' और उन्होंने 'गृह मंत्री पर, जो इस सभा के सदस्य हैं, तोहम्मत लगाई है';

यह सभा संकल्प करती है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को सभा के न्यायालय के समक्ष बुलाये जाये और सभा का विशेषाधिकार भंग करने और उसका अवमान करने के लिये अध्यक्ष द्वारा उनकी भर्त्संना की जाये।"

श्री सी० एम० स्टीफन: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह प्रस्ताव व्यवस्था से बाहर है ··· **(व्यवधान)** प्रस्ताव में प्रतिवेदन का उल्लेख नहीं होना चाहिए बल्कि सिफारिश का उल्लेख होना चाहिये। और उसमें यह बताया जाना चाहिए कि अमुक संशोधन को स्वीकार किया जा सकता है तथा अमुक-अमुक संशोधन को नहीं । श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रस्ताव में इस तरह की कोई बात नहीं है । उनका प्रस्ताव बिल्कुल भिन्न है।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर): श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रस्ताव में प्रतिवेदन के कुछ अंश का उल्लेख किया गया है । यह नियम के अनुसार नहीं है । इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : श्री ज्योतिर्मय बसु का संशोधन नियमानुसार है । संशोधन कोई भी रूप ले सकता है । नियम 315(3) के अनुसार प्रस्ताव में संशोधनों का उल्लेख भी किया जाना चाहिये इस दृष्टि से संसदीय कार्य मंत्री का प्रस्ताव वैध है ।

श्री रवीन्द्र वर्मा: मैंने जो प्रस्ताव पेश किया है, वह नियमानुसार है क्योंकि इसमें कहा गया है कि सभा अमुक संशोधनों से सहमत है तथा अमुक संशोधनों से नहीं ।

श्री सी० एम० स्टीफन: श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रस्ताव के स्थान पर मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री के० लकप्पा: मैं श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रस्ताव के स्थान पर अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री बी० पी० मंडल (मधेपुर): मैं श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रस्ताव के स्थान पर अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत: मेरा संशोधन श्री स्टीफन के संशोधन के बारे में है। (**व्यवधान**)···

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर): आधा घंटा अभी पूरा नहीं हुआ है अतः हम कुछ बोल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आधा घंटा मुख्य वाद-विवाद के लिए है। उप नियम (2) के अनुसार आधा घंटा मुख्य वाद-विवाद के लिए होता है।

श्री कंवर लाल गुप्त: यह प्रस्ताव पर वाद-विवाद की अनुमति देता है।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा उप-धारा (1) के अन्तर्गत होता है। हम उपधारा 1(3) की बात कर रहे हैं ···· (**व्यवधान**)

श्री समर गुह (कन्टाई): विशेषाधिकार समिति के तथा अन्य प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रख दिये जाने के बाद स्वीकार समझ लिया जाता है, यदि उस पर वाद-विवाद करने की मांग न की गई हो या कोई संशोधन पेश न किया गया हो। अब यदि किसी सदस्य ने कोई संशोधन दिया हो तो नियमानुसार सभापति को प्रतिवेदन को स्वीकार करने की लिए प्रस्ताव पेश करना पड़ता है। इसलिए यदि आप मुझे अनुमति दें····· (**व्यवधान**) यदि कोई संशोधन है तो वह आप मुझे दीजिए क्योंकि में इस समिति का सभापति हूं ······ (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: मुझे संशोधन के चयन का अधिकार है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: आप चयन नहीं कर सकते। आप अस्वीकार कर सकते हैं। (**व्यवधान**)······

अध्यक्ष महोदय: सभा के समक्ष यह प्रस्ताव है:—

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति ने दूसरे प्रतिवेदन से, जिसे 1 मार्च, 1978 को सभा में पेश किया गया, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock

---

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 4 मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at eight minutes past fourteen of the clock

उपाध्यक्ष महोदय : पीठासीन हुए।

Mr. Deputy Speaker in the Chair.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव —जारी

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S—Contd.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर): राष्ट्रपति का अभिभाषण अत्यन्त निराशाजनक एवं प्रेरणाहीन है। अधिकांश वक्ताओं ने कहा है कि इस महान सदन में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए प्रेरणाहीन भाषण से यह धारणा उत्पन्न होती है कि जनता पार्टी तथा जनता सरकार देश की एकता तथा इसकी अर्थ-व्यवस्था को नष्ट करने में लगी हुई है।

मैं जनता सरकार के कुप्रशासन तथा गलत कार्यकरण के कई उदाहरण दे सकता हूं। सभी प्रकार की भूल चूक के लिए कई बार प्रधान मंत्री को क्षमा मांगनी पड़ी। प्रायः देखा गया है कि मंत्री-गण सभा में उपस्थित नहीं होते

हाल ही में चुनावों के दौरान श्री चरणसिंह ने बंगलौर में अपना भाषण हिन्दी में दिया । वहां के लोगों ने कहा है कि वह अपना भाषण या तो अंग्रेजी में दे या फिर कन्नड़ में । किन्तु उन्होंने अपना भाषण हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में देने से इंकार कर दिया । भाषा का मामला बड़ा नाजुक है और देश में एकता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाये । राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस देश की भाषाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कोई उल्लेख नहीं किया । ऐसी स्थिति में दक्षिणी राज्यों को उत्तरी राज्यों के साथ कैसे मिलाया जा सकता है ?

जनता सरकार दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रशासन चलाने में सफल नहीं हुई है । वहां विकास की गतिविधियां नहीं चलाई जा रही हैं । मैं उन्हें यह पूछना चाहता हूं कि देश में एकता का वातावरण पैदा करने के लिए क्या उन्होंने दक्षिणी राज्यों में कोई विकास कार्य आरम्भ किए हैं या वहां संसाधनों का वितरण किया है ? गत एक वर्ष से राज्यों में एकता की भावना समाप्त हो रही है । उनमें असंतोष व्याप्त है और एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं । सरकार ने अनवरत योजना का विचार किया है किन्तु उनका अपना ही हल इसकी आलोचना कर रहा है । उनके अपने ही हल में मतभेद है ।

गत माह प्रधान मंत्री द्वारा सभा में दिए गए वक्तव्य के अनुसार राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है । राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और वहां विकास कार्य चलाने की पूर्ण उपेक्षा की जा रही है । इससे वहां के लोग जबरदस्त आन्दोलन करने वाले हैं । कुद्रेमुख परि-योजना के निर्माणकार्य में कोई प्रगति नहीं हो रही है ।

दक्षिणी राज्यों में कई नदियां हैं । किन्तु वहां बहुत से अन्तर्राज्यीय जल-विवाद काफी समय से लम्बित पड़े हुए हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने विवादों को हल किया गया है । जब तक इन विवादों को हल नहीं किया जाता क्या तब तक वहां की कृषि में विकास नहीं किया जा सकता है ? राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है ।

विश्व में आयोजना का एक मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विषमता को दूर करना होता है, किन्तु गत एक वर्ष के दौरान हमने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । जनता सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान केवल आयोगों की स्थापना की है । अब आपको एक और आयोग की स्थापना करनी चाहिए जो कि इस बात का पता लगाए कि इन आयोगों पर कितना व्यय हुआ है और कितने बेरोजगार न्यायाधीशों को रोजगार दिया गया । क्या सरकार इन आयोगो के कार्य से संतुष्ट है ? शाह आयोग को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए ताकि देश में स्वच्छ वातावरण तैयार हो सके । इस प्रकार विभिन्न आयोगों की स्थापना करके आप भूतपूर्व सरकार के प्रति बदले का रवैया अपना रहे हैं । इन आयोगों से आपको क्या लाभ हुआ है, केवल जनसाधरण का पैसा बरबाद हुआ है । इन आयोगों की स्थापना से कोई लाभ नहीं होगा ।

सरकार को चाहिए कि वह दक्षिण भारतीय राज्यों में विकास कार्य आरम्भ करे और देश में एकता का वातावरण बनाए । इन दक्षिण भारतीय राज्यों की उपेक्षा बहुत समय से इसलिए होती रही है क्योंकि केन्द्र में एक विशेष दल अथवा राजनीतिक नेता का प्रभुत्व रहा है ···· (**व्यवधान**) चाहे वह कोई भी दल रहा है अथवा कोई भी नेता रहा है । विद्यमान परिस्थितियों में सभी राज्यों को समान अवसर दिए जाने चाहिए । वर्तमान सरकार कुछ राज्यों की पूर्ण उपेक्षा कर रही है जबकि कुछ राज्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं के इर्द-गिर्द सहायक एककों की स्थापना की जानी चाहिए । जबकि श्री जार्ज फर्नान्डिस ने औद्योगिक नीति की घोषणा की तो श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने उसका विरोध किया था। पता नहीं वह जनता सरकार के किस ग्रुप से सम्बद्ध हैं· · · · (व्यवधान) । इस बजट के द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को ही प्रोत्साहन दिया गया है और सरकारी क्षेत्र की उपेक्षा की गई है । यह आवश्यक है कि सरकारी क्षेत्र के एककों की भलीभांती देखभाल की जाये । छोटे उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने के बारे में आभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही राज्यों को इस बारे में कोई अनुदेश जारी किए गए हैं । राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार का दीवालियापन झलकता है ।

भूतपूर्व सरकार के शासन काल में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को सुदृढ़ किया गया था। उस समय यह कार्यभार श्री पाई के हाथ में था । उस समय इस दिशा में जो भी प्रगति की गई वर्तमान सरकार ने उसे मिट्टी में मिला दिया है । गृह मन्त्री कानून और व्यस्था की स्थिति पर नियंत्रण रखने में असफल रहे हैं । देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है । वर्तमान सरकार को व्यावहारिक, प्रगतिशील तथा उपचारात्मक उपाय अपनाने होंगे अन्यथा इसका पतन हो जायेगा ।

Shri Shambhu Nath Chaturvedi (Agra) : It has been said by certain members of the opposition that the Janata Government has done nothing. But the fact is otherwise. In fact the Congress Government had not been able to do anything during its regime of 30 years and there was no freedom in any respect, while the Janta Government during the period of only one year has restored freedom of expression, freedom of speech and freedom of thought to the people. As regards freedom from want, it cannot be achieved in such a short period and will take some time. Prices have been stabilised and inflation has been checked. During the Congress regime, everything was being done for the benefit of capitalists and big businessman and the remaining 80 percent were neglected and no voice was raised in support of 60-70 percent of people living below the poverty line. This is what we got in legacy. Now all attempts are being made for the economic development and uplift of these so far neglected 80 percent people. 40 percent of the budget provision has been made for rural development. If monopoly in private sector is bad, monopoly in public sector is worse, because the political power and economic power put together lead to dictatorship ultimately and therefore, proper and adequate control over public sector is also essential.

The strikes, lockouts, gheraos and incidents of destruction of public property occrruing all over the country can be said to be merely an explosion of suppressed feelings and demoralisation of people which prevailed for long during the previous regime. In reply to a question it has been stated today that the number of strikes in public sector and private sector is 596 and 1298 respectively, the number of lockouts is 323 and in all 18 million mandays have been lost. This position is no doubt alarming. In this connection I would suggest that a code of conduct should be framed for them and proper arrangements should be made to ensure that the grievances of workers and others are redressed early. It is not a good policy to wait first and then yield before any kind of pressure. Strikes and lockouts should be banned for two years at least and all the problems should be settled through conciliation and by adjudication.

As regards law and order problem, it is fell that since fear from the minds of anti-social elements also has been removed now, it is resulting in an increase in the number of crimes and a feeling of in security is developing among the people and if this position continues for long, it will create hindrance in the way of development of our country Proper attention should, therefore be paid to remedy this situation.

I am of the opinion that if the provisions re: grant of bail are tightened, the provision regarding preventive detention will not be necessary. At present administration is top heavy and there is no proper organisation in different fields.

Although implementation of the scheme of prohibition will result in loss of some revenue but it is essential for the uplift of the country and character building of the people.

Shri Vasant Sathe (Akole): The present Government during its 11months rule has done nothing except trying to nullify what has been achieved during the last eleven years. When the Janta Party came into power, we had high hopes and we thought that for the first time healthy democracy is being established in the country. This was one of the good results of the emergency that different opposition parties united and formed a single party ......(*interruption*)

Fortunately, the Janta Party has come into power and we expect a healthy democratic set up in the country from them. We do not intend to topple the Janta Government. But they have belied our expectations. They are engaged only in referring to the happenings during emergency while the things in the country are taking a turn for the worse. If the Janta Party will also commit the same mistakes, which we had committed, they will also meet the same fate which we had met.

There are very important economic issues before the country. The problem of unemployment is at its worst. People are facing starvation to solve these problems. This Government should have sought the cooperation of every section of people and every political party. Under 20 point programme we took some steps to distribute land among the landless people, to free bonded labour etc. These steps were not wrong we agree that we could not implement these measures but-it cannot be said that these were wrong measures. The Janta Government should have followed those measures and sought our cooperation to implement them. But the only thing being done by the present Government during its 11 months rule is character assassination of one individual through a Commission, Television and radio ······(*interruptions*). It is desirable that these Commissions etc. should be scrapped now. It is becoming counter productive now.

You took steps for demonetization against only one person. So much of anger is not good ····(*interruptions*). Shri Charan Singh has appointed a number of Commissions and the heads of these commissions are those persons who did not hold a good opinion about Shri George Fernandes, Shri Madhu Limaye, Shri S.M. Joshi, Shri Joneshwar Mishra and Shri Raj Narain......(*interruptions*)

The Government is the advocate, the prosecutor etc. If such activities go on, it will become counter productive and it will go against you······(*interruptions*)

The law and order situation in the country today is deplorable. There is need to give serious thought to this problem to make the people feel more secure and safe.

Shri Jayaprakash Narayan has done great work in the Chambal Valley by inspiring the dacoits to surrender. But the new Government is not doing anything to pursue this work. Even Shri Jaya Prakash Narayan has also referred to this thing.

It is being claimed by Janta Government that the press is now enjoying complete freedom. But it is not true. The newspapers which gave prominence to Smt. Indira Gandhi's visits etc. are being discriminated against in the matter of advertisements.

The need of the hour is to forget all bitterness. We should all sit together to solve the burning problems of the country.

Shri Ram Kishan (Bharatpur) : I support the Motion of thanks to the Presidents Address. Some of our friends from the opposition have criticized the economic policy of the present Government. I want to ask them whether they have ever tried to know that what the previous Government left for us in legacy. When we took over, the economic condition of the country was miserable. They said that the rate of growth has declined. But they should keep in mind that from 1951 to 1975 our rate of growth remained 3.2 per cent. This was the achievement of previous Government during their rule of 30 years.

What right has he got to say that pace of development has decreased during the Janta Government's time—only one year is not sufficiently decisive.

This year we had 5 per cent rate of growth. Agricultural production is good and our economy is sound. On the contrary our rate of growth was lowest during 1971-75. Per capita income also showed a marginal increase. It was Rs. 335.71 in 1964-65 and in 1975-76 it was only Rs. 337.71. Even this marginal increase was due to improvement in communications and transport facilities.

The trend of rise in prices had started during the Third Five Year Plan and the price index rose by 32 per cent. The situation remained the same in the 4th and the 5th plan. The malady of our economic system has been that the prices of agricultural produce have been constantly going down whereas the prices of manufactured goods have been rising. Now the price index of commodities as a whole has remained constant during the year. The Janta Government should give serious thought to this aspect. The main problem facing the country is as to how prices can be brought down.

The Janta Party is moving in the right direction. It thas adopted the policy of rural development. The Government have stated that they will provide 40 per cent of the total revenue for bringing about rural development . But the fact can not be ignored that the previous Government has neglected agriculture and the rural development. The allocation for rural development has gone down from 28 percent in the First Five year Plan to 23 per cent in the Fifth Five Year Plan. Therefore, the current provision of 40 per cent for rural development is a welcome feature. The programmes of rural development should mainly cover those who are landless, poor and down-trodden. The President's Address gives no indication of the measures that are proposal to be taken up to uplift these people.

Our main problem is that the industrial production is not increasing, Government should immediately take effective steps to check decline in capital investment. In spite of all facilities accorded by the previous Government to big capitalists, the total capital investment went down from Rs. 1300 crores in 1975-76 to Rs. 900 crores during 1977-78. There Government should take measures to step up investment.

Sir, I want to make it very clear that we do not want to impose Hindi on anybody. We enjoy whenever you speak in your mother tongue but when you speak in English it smacks of over-lordism. We should encourage our own languages.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति 12वां प्रतिवेदन

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

उपाध्यक्ष महोदय : गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लिये जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधान मन्त्री सोमवार को चर्चा का उत्तर देंगे ।

Shri Chandradeo Prasad Verma (Arrah): I beg to move that this house do agree with the twelfth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 1st March, 1978.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 12वें प्रतिवेदन से, जो 1 मार्च, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अर्थ व्यवस्था में सुधार और आय की असमानता को कम करने आदि के बारे में उपायों संबंधी संकल्प

RESOLUTION RE. STEPS TO IMPROVE THE ECONOMY AND TO REDUCE INQUALITIES OF INCOME ETC.

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : श्री कंवर लाल गुप्त का संकल्प यह था :

"कि यह सभा देश की अर्थ-व्यवस्था को सुधारने और आय, धन और व्यक्तिगत उपयोग की असमानता को घटाने के लिए सरकार से आग्रह करती है।"

[**डा० सुशील नायर पीठासीन हुई**
Dr. Sushila Nayar in the chair]

उस दिन श्री कंवर लाल गुप्त तथा कई अन्य सदस्य इस पर बोले थे। उनका मुख्य रूप से यह कहना था कि गरीबों की हालत सुधारने और असमानता घटाने के लिए पिछले 30 वर्षों में कुछ नहीं किया गया है और ग्रामीण क्षेत्र के साथ भेद-भाव किया जाता रहा है।

इस असमानता को दूर करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो काम 30 वर्ष की अवधि में भी नहीं हो पाया वह एक वर्ष में कैसे पूरा हो सकता है।

यह समस्या इस योजना में ठीक प्रकार से नहीं रखी गई है। इस लिए इस दिशा में नये ढंग से आगे बढ़ना होगा। सरकार ने इस समस्या के हल की आवश्यकता को समझा है। इसके लिए समय सीमा निर्धारित करना उचित नहीं है। हमने और सरकार ने उद्योगों के बजाये कृषि को प्राथमिकता दी है। हम ग्रामीण क्षेत्र का यथाशीघ्र विकास करना चाहते हैं, यही हमारी नीति है। हम ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

1978-79 के बजट प्रस्तावों के द्वारा इस नई नीति को निश्चित रूप दिया गया है। हम देश की अर्थ व्यवस्था का सर्वतोमुखी विकास चाहते हैं इसलिए हमने कृषि के विकास और रोजगार बढ़ाने विशेषकर गांव में प्रयत्न कर रहे हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि देश की निर्धनता का मुख्य कारण बेरोजगारी है। इसलिए बजट अनुमान तैयार करते समय अधिक धन रोजगार बनाने पर खर्च करने की व्यवस्था की गई है। नई योजनाओं पर खर्च होने वाला 80 प्रतिशत धन कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं पर व्यय होगा। बिजली के उत्पादन के लिए हमने सबसे अधिक धन रखा है।

सिंचाई के लिए भी पर्याप्त धन का आवंटन किया गया है। अगले पांच वर्षों में हमें आशा है 190 लाख हेक्टेयर और भूमि में सिंचाई होने लगेगी। इसमें 30 लाख हेक्टेयर भूमि 1978-79 में सिंचाई के अन्तर्गत आ जाएगी। खण्ड विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपये दिए गए हैं। हम इन खण्ड विकास क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का माध्यम बनाना चाहते हैं।

ग्रामीण विकास के लिए एक अन्य परियोजना है डेरी विकास कार्यक्रम। इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके पहले चरण में 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पर कार्य 1978-79 में शुरू हो जाएगा। मत्स्य पालन पर 1978-79 में 33 करोड़ के स्थान पर 61 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। चालू योजनाओं के लिए भी हमने धन की व्यवस्था की है और इस वर्ष इसे 45 करोड़ से बढ़ा कर 115 करोड़ रुपये दिये गए है। सूखाग्रस्त इलाकों के लिए इस वर्ष 51 करोड़ के स्थान पर 76 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य के पूर्णतः रुक जाने का मुख्य कारण वहां उसके लिए समुचित आधार का न होना है। ग्रामीण विकास के आधार का विकास करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है और ग्रामीण सड़कों के लिए राज्यों की योजनाओं में इस वर्ष 85 करोड़ के स्थान पर 115 करोड़ रुपये रखे गये हैं। 1978-79 की योजना में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 70 करोड़ रुपये के स्थान पर 109 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा केन्द्रीय योजना में से 60 करोड़ रुपये भी इस मद में खर्च किए जायेंगे।

छोटी सड़कों और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भी बजट में पर्याप्त धनराशि रखी गयी है। यह कहा गया है कि हमें आवश्यक वस्तुओं को समुचित मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए। वास्तव में विभिन्न परियोजनाओं के फलस्वरूप इन वस्तुओं के उपलब्ध होने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के लिए एक योजना बनाई गयी है और सभी राज्य सरकारों के सामने रखा गया है और आशा है कि सभी राज्य सरकारें इसे स्वीकृति प्रदान करेंगी और अपने राज्यों में लागू करेंगी। वर्तमान वितरण व्यवस्था के क्षेत्र को बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस योजना का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं को सभी ग्राम लोगों तक पहुंचाना और अधिक से अधिक क्षेत्र में इन्हें उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ में खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल, कपड़ा, वनस्पति घी तथा कुछ चुने हुए निर्मित सामान का वितरण करने की व्यवस्था की जायेगी। हम चाहते हैं कि यह वितरण व्यवस्था देश के कोने-कोने में दूरस्थ स्थानों तक फैले।

जहां तक कराधान व्यवस्था का संबन्ध है हमारी कराधान पद्धति को यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रगतिशील नहीं है। जबकि आय और धन कर स्तर के अनुसार लगाए जाते हैं, विलासिता की वस्तुओं पर अपेक्षतया अधिक शुल्क लगाया जाता है। झा समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वस्तुओं पर कर की पद्धति प्रगतिशील है। हम एक राष्ट्रीय मजदूरी व आय-नीति बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और उसके लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की जा चुकी है। सरकार देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने तथा बेरोजगारी कम करने और असमानता को कम करने के लिए कोई भी प्रयत्न करने से पीछे नहीं हटेगी। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को अच्छा व्यवहार मिलने की सरकार की चिन्ता हाल ही में चीनी उद्योग को दी गई सहायता से प्रकट होती है। इस संबन्ध में जो पग उठाए गए हैं उनके पीछे गन्ना उत्पादकों को लाभ पहुंचाने की इच्छा है।

अतः मैं उपरोक्त संकल्प के प्रस्तावक से कहूंगा कि वे इसकी स्वीकृति के लिए जोर न डालें, क्योंकि वर्ष 1978-79 के बजट प्रस्तावों पर होने वाली चर्चा में इस पहलू पर विस्तारपूर्वक विचार किया जायेगा

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): It is heartening to note that for the first time in 30 years, there is a shift in plan priorities from urban sector to rural sector. The net result of the economic policies followed by the previous Government for the last 30 years is that the poor have become poorer and the rich have become richer. The production of luxury items has increased whereas the availability of essential goods has become more difficult and the per capita consumption of food articles has gone down during these years.

On the other side, the per capita tax on commodities has increased from 10.9 in 1950-51 to 90.0 in 1973-74. Further the average expenditure on essential commodities has been going down gradually.

It is good that the Janta Government have diverted their investment to rural sector. But its efficacy depends upon the execution of economic policies for rural development. However, the economic development has to be brought about through democratic means and not through dictatorial methods as adopted by the previous Congress Government.

It is quite appropriate that our Constitution has provided for political equality, but steps have to be taken to bring about economic equality as well. For that purpose, economic disparity has to be removed at the earliest and directive principles of the constitution have to be enforced vigorously. I shall, therefore, demand that the fundamental right to property must be abolished and a Bill for that purpose should be brought at the earliest.

Top priority has to be given to the upliftment of poor people and tribals specially in union Territories like Andaman and Nicobar Islands. It is heartening to note that special provision has been made in the current Budget for the development of tribal people.

The assets of monopoly houses have increased from Rs. 594 crores in 1951 to Rs. 3.717 crores in 1975. Now I would like to know what steps have been taken by Government to reduce the growing disparities between the rich and the poor people. The present situation is the outcome of the basic defects in our planning in the past.

There must be a guarantee about the availability of essential commodities. It is welcome that government propose to streamline the public distribution system.

No time-bound programme has been drawn up so far to remove unemployment. So, it is essential that every year, a time bound programme is drawn up to provide employment to the unemployed or under-employed people.

Then the exhibitions of richness should be severely dealt with. To curb this evil, extra taxes should be imposed on luxury items and a pool should be set up, out of its revenue, which should be utilised for the upliftment of the poor people. If necessary, some kind of cess or poverty tax can also be levied. This sort of dynamic approach has to be adopted by Government. Therefore drastic measures have to be taken to remove the economic disparities. I shall, therefore, commend the resolution for unanimous approval.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 4 was put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 1 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने, तथा आय, धन और वैयक्तिक उपभोग में असमानता को कम करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम का निरसन और आंसुका को वापस लेने के बारे में संकल्प

RESOLVTION RF : REPEAL OF CONSTITUTION FORTY-SECOND AMENDMENT) ACT AND WITHDRAWAL OF MISA

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूं जिसमें जीतने की बहुत कम आशा है क्योंकि सरकार अपना संशोधन पहले ही पेश कर चुकी है। जनता पार्टी के सदस्य अपने चुनाव घोषणापत्र के आधार पर जीते। उस घोषणापत्र में उन्होंने लोगों से यह प्रतिज्ञा की थी कि ज्योंही हमें अवसर मिलेगा हम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम और आंसुका को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे।

जैसा कि अक्सर होता है जनता पार्टी के साथ भी वैसा ही हुआ और सत्ता का चस्का लगते ही हमारे ये राजनीतिज्ञ बदल गए। अब हम बहुत बुद्धिमान हो गये हैं हम अपना कार्य अब अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार करते हैं। परन्तु हम वह भूल गये हैं जो भारत में पिछले आम चुनावों में हुआ, ऐसा आज तक कभी किसी देश में नहीं हुआ था।

यह इतिहास की एक अनोखी घटना है जिसके द्वारा जनता पार्टी बनी और सत्ता में आई। वास्तव में पार्टी का जन्म एक मई को हुआ परन्तु यह सत्ता में दो महीने पहले ही आ गई थी क्या इसका कोई राजनैतिक, नैतिक और दार्शनिक महत्व है?

जो लोग इस पार्टी को बनाने वाले थे उन्होंने ही इसे नाम दिया—जनता पार्टी का अर्थ है "जनता" यह पार्टी अपने बल, अपनी संगठन शक्ति और अपने संसाधनों के आधार पर नहीं बनी। यह एक प्रकार का तूफान था जिसने 30 साल के सत्तारूढ़ दल को उखाड़ फेंका। जयप्रकाश जी के शब्दों में देश भर के ऊपर एक व्यक्ति की तानाशाही छायी हुई थी और उसी एक तानाशाही के हाथ में सारी सत्ता थी। लेकिन एक चमत्कार हुआ और ऐसा चमत्कार मानवता के इतिहास में कभी नहीं हुआ लेकिन देश के लोगों ने विश्व को बता दिया कि असली सत्ता किसके हाथ में है। ऐसे शक्तिशाली तानाशाह को जनता ने धराशाही कर दिया।

चाहे किसी देश में एक दल का शासन हो या साम्यवाद वह फिर भी पोलिटब्यूरो परिषद या अपने दल के प्रति जबावदेह होता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा शासन स्थापित हो गया था जिसका शासक किसी के प्रति जबावदेह न था। केबिनेट केवल एक व्यक्ति के हाथों में थी सारा प्रशासन, सारा गुप्तचर विभाग एक व्यक्ति के हाथ में था। राज्यों के मुख्य मंत्री वही बनाए गए जोकि बिना कुछ आनाकानी किए उस तानाशाह के आदेशों को मानने वाले थे। सारी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित थी।

लोकतंत्र का अर्थ यह है कि सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानमंडल में संतुलन हो लेकिन कार्यपालिका को शीर्षस्थ स्थान दे दिया गया न्यायपालिका को दूसरा और विधान मंडल को तीसरा स्थान दिया गया ।

आपातस्थिति के दौरान हममें से कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया था और हम यही सोचते थे कि क्या पता इस फासिस्ट तानाशाही में हम लोगों को यहीं न दबा दिया जाए तानाशाह के हाथों को सशक्त करने के लिए 42वां संशोधन लाया गया । पिछले कुछ वर्षों में लोकतंत्र के इतिहास में इस तरह का शासन कहीं नहीं हुआ परन्तु भारत में ऐसा हुआ लेकिन ऐसे तानाशाह को भी देश की जनता ने निकाल बाहर किया ।

लोक सभा के पिछले चुनावों में इस दल या उस दल की जीत नहीं हुई । यह तो नैतिक आन्दोलन का परिणाम था कि सत्ता हमारे हाथों में आई और हम जे०पी० को इस नैतिक आन्दोलन का भागीरथ कह सकते हैं जो राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरोध में इस बहाव को यहां लाया । लेकिन अब हम व्यावहारिक राजनीति को अपना रहे हैं और इसलिए 42वें संशोधन को रद्द करने में हिचकिचा रहे है। हम अवसरवाद की राजनीती अपना रहे हैं यही कारण है कि इन्दिरा गांधी को दो राज्यों में जीत हुई । शाह आयोग में उनकी सरकार के काले कारनामों की पोल खुलने के बावजूद भी सैकड़ों लोग उसकी बात सुनने के लिए कैसे इकट्ठे हो जाते है । इसका क्या कारण है इसके लिए कौन जिम्मेदार है जो प्रवाह इस देश में आया था जो नैतिक क्रांति लोगों में हुई उससे हमने अपनी नजर हटा ली है हमने अवसरवाद और व्यावहारिक राजनीति अपना ली है और इसका परिणाम यह हुआ है कि देश के सब लोग ऊहापोह में पड़ गए है । जयप्रकाश जी ने कहा देश में नया विश्वास पैदा करने के लिए नया वातावरण तैयार करने के लिए मैंने अपने जीवन को जोखिम में डाला । हम भी आधारभूत परिवर्तन चाहते हैं । जब क्रांति होती है तो राजनीति की धारणा में सबसे पहले परिवर्तन होता है ।

42वां संशोधन विधेयक हमारे संविधान में कैंसर के फोड़े के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । एक ही व्यक्ति की तानाशाही लागू करने के लिए ही इसे संवैधानिक आधार दिया गया था । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 'आंसुका' लागू किया गया था । संविधान में किए गए इस संशोधन से भूतपूर्व प्रधान मंत्री को अनियंत्रित शक्ति मिल गई थी किसी दल अथवा संगठन को किसी भी समय राष्ट्रविरोधी घोषित किया जा सकता था । इस विधेयक का विरोध करने वाले को राष्ट्रविरोधी कह कर मौन कर दिया जा सकता था । प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति किसी भी समय आपातस्थिति की अवधि 2 वर्ष तक बढ़ा सकता था लेकिन राष्ट्रपति भी स्वतंत्र प्रतिनिधि नहीं रह गया था। अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की ही सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य था ।

सरकार ने प्रथम अवसर पर 42वें संशोधन को समाप्त क्यों नहीं किया ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे ऊपर राजनीतिक सुविधा की भावना हावी रही । सरकार का विचार था कि यदि उसने ऐसा प्रयास किया तो विपक्ष उनका समर्थन नहीं करेगा । क्या बचने का यही तरीका है ? इससे पता चलता है कि उसमें संदर्श का अभाव था । विपक्ष भले ही हमारा समर्थन न करे। इससे जनता का मनोबल बढ़ाने में सहायता मिलेगी ।

कैंसर के फोड़े में कुछ कोशिकाएं सशक्त होती हैं और कुछ निर्जीव होती है। जिस प्रकार डाक्टर कैंसर वाले भाग का ऑपरेशन करके निकाल देता है उसी प्रकार सरकार को भारतीय संविधान में से इस 42वें संशोधन को भी निकाल देना चाहिये और इसे स्वतंत्र लोगों का संविधान बनाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम का, जो संसद द्वारा आपातस्थिति के दौरान वस्तुतः परशवता की दयनीय स्थिति में पास किया गया था और जिसका उद्देश्य भारत के लोगों की प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता को षड्यंत्रकारी ढंग से पंगु बनाना और भारत के संविधान के मूल उद्देश्यों का खुला उल्लंघन करके देश में अर्द्ध-निरंकुश शासन कायम करने के अपवित्र प्रयास द्वारा कानून की सर्वोच्चता के आधारभूत सिद्धान्त को खंडित करना था, तुरन्त निरसन करके गत लोक सभा चुनाव के ऐतिहासिक अवसर पर जनता से की गई अपनी पावन प्रतिज्ञा पूरी करे और यह भी सिफारिश करती है कि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम को तुरन्त वापस लिया जाए, जिसका हमारे प्रजातंत्र के उपरोक्त काले दिनों के दौरान जनता की सर्वोच्च इच्छा की अवज्ञा करके भूतपूर्व प्रधान मंत्री की वैयक्तिक तानाशाही की रक्षा करने के प्रयोजन से लोगों का दमन करने और कुचलने के मुख्य हथियार के रूप में अत्याचारपूर्ण ढंग से प्रयोग किया गया था।"

श्री युवराज (कटिहार) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विनायक प्रसाद यादव (सरहसा) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री युवराज : मैं संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : संशोधन और संकल्प चर्चा हेतु सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

Shri Y.P. Shastri (Rewa) : It is very surprising that even after eleven months of Janata Government's rule we are still discussing this motion The Janata Party had given a promise to the people to do away with the 42nd Amendment of the Constitution. It should have been the first act of the Janata Government to have come forward with a Bill to repeat the Constitution (Forty-second Amendment) Act.

The previous Government had brought forward the 42nd Amendment Bill to perpetuate itself in power.

[**श्री द्वारिकानाथ तिवारी** पीठासीन हुए
Shri Dwarika Nath Tiwari in the chair :]

This bill introduced a chapter on fundamental duties in the Constitution. The idea of incorporating them in the Constitution is to encroach upon the fundamental rights guaranteed in the Constitution. Do we want even today that our fundamental rights should be under the threat of being encroached upon ?

The 42nd Amendment Act has abridged the rights of courts. It has also curtailed the rights of the States. The Centre could deploy armed forces in a State without consulting the state Government concerned.

It has been claimed by the previons Government that the 9th schedule of the Constitution is meant to protect progressive legislation. But MISA is included in this schedule. The law to give protection to the Prime Minister in the matter of his or her election being. challenged is also incorporated in the 9th schedule, Are these legislative provisions progressive? This is how the previous Government was functioning.

Today the Government is taking the plea that the 42nd Amendment has incorporated certain good things. Can these good things not be done by the Government after repealing the 42nd Amendment lock stock and barrel. It is also wrong to think that we cannot get

the Bill passed without the support of the Congress Party. Should we not do things because of fear of Congress Party not supporting us ? We have to do our duty. We should take the earliest opportunity to avoid by the mandate of the people.

There is no justification for continuing MISA. Why should it be incorporated in the form of an amendment, to the criminal procedure code. Even our Prime Minister had gone on fast against MISA at one time. The Government should be able to deal with anti-national elements under ordinary laws of the land.

We should fulfil the promises given to the people. We have to usher in a new era in our country.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : इस संकल्प के प्रस्तावक हमें आपात स्थिति के सह-अपराधी कह कर पुकार रहे हैं । वास्तविकता तो यह है कि भारत की जनता कांग्रेस पार्टी को आपात स्थिति की सह-अपराधी कहती है और उसने 1977 में अपना निर्णय दे दिया है। हम तो आपात स्थिति के शिकार हैं जब कि इस संकल्प के प्रस्तावक और जनता पार्टी में अन्य लोगों ने इसका लाभ उठाया है । कांग्रेस पार्टी और हमने तो हानि उठाई है क्योंकि आपात स्थिति के दौरान कुछ , गलतियां हुई हैं, यदि आपात स्थिति में ऐसा नहीं हुआ होता तो जनता पार्टी के अधिकांश सदस्य आज यहां नहीं होते । यह याद रखना चाहिये कि जनता के नकारात्मक आदेश से ही यह सरकार सत्ता में आई है और यह सत्ता उन लोगों के हाथों में नहीं जानी चाहिये जो अब सरकार में हैं ।

42वें संशोधन के माध्यम से जो भी परिवर्तन किये गये हैं वे केवल सरकार के प्रयास से ही नहीं हुए हैं । ये तो इस समय के विपक्ष के अनवरत प्रयासों का ही फल है । 42वें संशोधन का अत्यन्त घृणित भाग तो समाप्त कर दिया गया है। अब गेंद सरकार के बाड़े में हैं। अब हम इस सरकार का साहस देखना चाहते हैं कि क्या यह दिये गये वचनों को पूरा करेगी ? बड़े खेद का विषय है कि सरकार दिन-प्रतिदिन अपने वायदों से पीछे हट रही है ।

जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में उल्लेख है कि वह दलबदल को रोकेगी। वह दल-बदल निवारक विधेयक लायेगी । अब जनता पार्टी ने उन लोगों को अपने खेमें में शामिल किया है जिनको उसने संजय गांधी के नौकर घोषित किया था ।

जनता पार्टी ने चुनाव सुधारों की बात की है । लेकिन अभी किया कुछ भी नहीं है इस सरकार ने राजनीतिक दलों की निधियों पर नियंत्रण करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। जनता पार्टी को बताना चाहिये कि हाल में हुए चुनावों में उसने कितना धन खर्च किया है। सत्ता के लिए संघर्ष करते समय उन्होंने कहा था कि उनकी नीति है कि चुनाव सुधार करेंगे और दल-बदल निवारक विधेयक लायेंगे । लेकिन अब सत्ता में आने पर वे इन दोनों बातों के विरुद्ध प्रतीत होते हैं ।

इसके प्रस्तावक ने 42वें संशोधन विधेयक के बारे में कहा है। क्यों न हम आपात स्थिति के सभी उपबन्धों को समाप्त करने के लिये एक अन्य विधेयक लायें।

इस देश में आन्तरिक आपात स्थिति की क्या आवश्यकता थी ? जब तक ये उपबन्ध रहेंगे इनका तानाशाहों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है । सरकार व्यापक विधेयक ला सकती है । अब 42वें संशोधन के कुछ भाग तो पहले ही समाप्त कर दिये गये हैं और दूसरे भाग समाप्त किये जाने है । हम सरकार के उन सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिये वचनबद्ध है जिनसे लोकतांत्रिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता जिन्हें 42वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था, बहाल की जाये। लेकिन नैतिक भाषण देने के लिये हम उन्हें अपना समर्थन नहीं दे सकते।

सरकार ने 'आंसुका' को समाप्त करने का वचन दिया था और अब इसे समाप्त किया जाना चाहिये। देश को इससे काफी हानि हो चुकी है। 'आंसुका' का काफी दुरुपयोग किया गया है। अब इसे सदा के लिये समाप्त कर दिया जाना चाहिये और इसे पीछे से लाने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिये।

मैं संविधान में ऐसा परिवर्तन करने के सुझाव का भी समर्थन करता हूं जिससे मौलिक अधिकार के रूप में सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त किया जाये और इसमें काम का अधिकार अन्तःस्थापित किया जाये।

Shri Yuvraj (Katihar): It is regrettable that even though one year has passed, we have not yet withdrawn the MISA or repealed the Constitution (Forty-Second) Amendment Bill so far, even though we had made promises to this effect in our election manifesto. In fact, this should have been the first step of the Government after assuming power. By not doing so it has betrayed the confidence of the people. Our first job should have been the repeal of 42nd Amendment Bill. We had also promised to exclude the right to property from the fundamental rights enshrined in the Constitution. But we have not done it so far.

Smt. Indira Gandhi tried to become a dictator. She subverted the Constitution. Civil liberties were taken away by her. The press was gagged. But our people rose against all this and put an end to dictatorship.

Sir, one full year has elapsed but we have not worked according to our first political charter. I want to make it categorically clear that wherever dictators tried to establish their rule by tempering the Constitution, the people rose against them, punished them and they were tried for treason. What happened in our country. Thousands of young man were hit with bullets and Indira Gandhi mauled the Constitution and betrayed the people. So today there is need for her trial. She may be hanged, if found guilty of these crimes. She is responsible for the massacre of a large number of people.

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर): मुझे खुशी है कि प्रो० समर गुह ने यह संशोधन लाकर सदन और सरकार का ध्यान संवैधानिक और लोक महत्व के मामलों की ओर आकृष्ट किया है।

जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में 'आंसुका' को समाप्त करने और सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा करने का वचन दिया था। लेकिन क्या आज तक ऐसे निवारक नजरबन्दी कानूनों को समाप्त करने के लिए कोई कार्य आरम्भ किया गया है? पिछले सत्र के दौरान सरकार दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक लाई थी जिसमें 'आंसुका' जैसे ही उपबन्ध थे। इसकी कालावधि बढ़ाने का भी उसमें प्रावधान किया गया था यदि तकनीकी कारणों से आदेश को रद्द कर दिया गया है तो उस अवधि को, जो बिना मुकदमा चले जेल में काटी गई, निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। क्या बिना मुकदमा चलाये नजर बन्द करने में उनका विश्वास है।

पिछले सत्र में पेश किये गये दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक के उद्देश्यों और कारणों संबन्धी कथन में वही कारण दिये गये है कि देश में पुलिस को सर्वशक्तिशाली बनाये बिना देश का शासन चलाना संभव नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि देश के सामान्य कानून में उनका विश्वास नहीं है। सरकार चलाने में उनकी नितान्त असफलता का यह एक स्पष्ट प्रमाण है। वह बिना मुकदमा चलाये लोगों को जेलों में डाले बिना जनता की भलाई नहीं कर सकते।

जहां तक 42वें संशोधन का संबन्ध है सरकार को इसके कुछ उपबन्धों में ही बहुत अच्छाई दिखाई दी है। ऐसा एक अनुच्छेद 48क है। अन्य उपबन्ध बालको को स्वतंत्र और प्रतिष्ठा के वातावरण में अपना विकास करने और उन्हें सुविधा देने के बारे में है। सबको समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता देने का उपबन्ध भी है। हर एक को निःशुल्क कानूनी सहायता और न्याय मिल रहा है। क्या काम के अधिकार संबन्धी निदेशक सिद्धान्त से लोगों ने काम प्राप्त कर लिया है। क्या जीवन निर्वाह हेतु योग्य वेतन लोगों को मिलने लगा है? यह तो एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निदेशक सिद्धान्त है। मैं श्री गुह के संकल्प का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वह पार्टी के अन्य नेताओं को भी प्रभावित करने में सफल होंगे ताकि जनता से किये गये वचन पूरे किये जा सकें और इस देश की जनता पूर्ण स्वतंत्रता अनुभव कर सके।

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharasa): **I thank Mr. Samar Guha for his motion.**

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 6 मार्च, 1978/15 फाल्गुन, 1899 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday March 6, 1978/ Phalguna 15, 1899 (Saka)

MGIPRRND—3LSS/78—Sec. VIII—20-6-78—210.

P.L.S. 48.X. 10/78(N)
210

© 1978 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित

© 1978 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixth Edition) and Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, New Delhi-110064